खण्ड-128, अंक-4
गुरूवार, 3 पौष, शक संवत् 1875
(24 दिसम्बर, 1953 ई0)

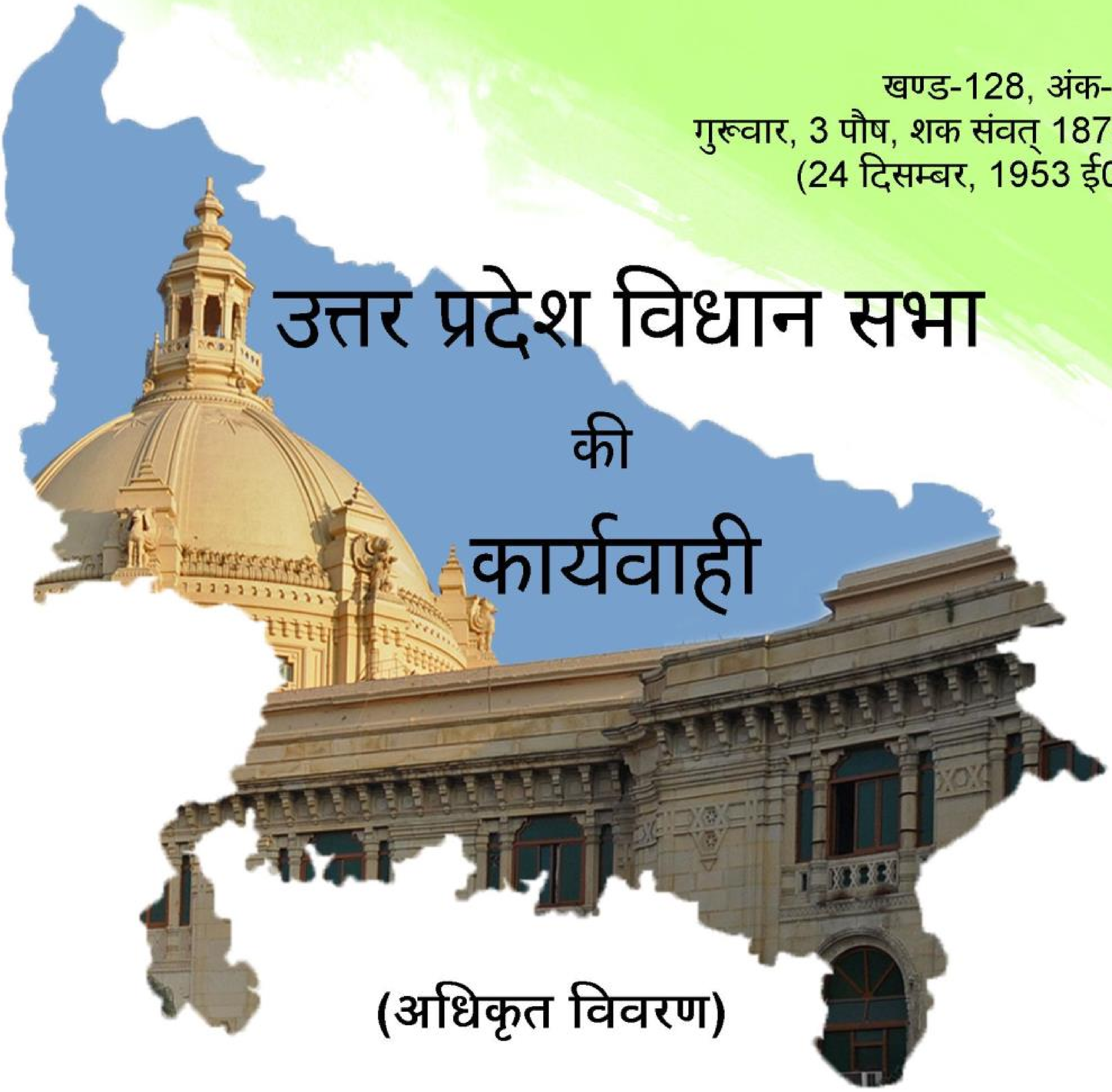

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 128 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या २७-लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१ क-विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	३४९
अनुदान संख्या २८-लेखा शीर्षक ४२-सहकारिता (स्वीकृत) . .	३४९
अनुदान संख्या २९-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग (स्वीकृत) . .	३४९-३५०
१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये समय विभाजन की सूची . .	३५०
१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ३०-लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग (श्रम और संख्या) (स्वीकृत) . .	३५०
अनुदान संख्या ३२-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४-लेखा शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत) . .	३५०-३५४
अनुदान संख्या ३५-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत) . .	३५४-३५६
अनुदान संख्या ३६-लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत) . .	३५६-३५९
अनुदान संख्या ४०-लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय (स्वीकृत) . .	३५९
अनुदान संख्या ४२-लेखा शीर्षक ६३-असाधारण व्यय (स्वीकृत) . .	३५९
अनुदान संख्या ४३-लेखा शीर्षक ६३ क-युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय (स्वीकृत) .	३५९-३६२
अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६९-सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत) . .	३६२-३६३
अनुदान संख्या ४५-लेखा शीर्षक ७१-कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) . .	३६३
अनुदान संख्या ४७-लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक-निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (स्वीकृत) . .	३६३
अनुदान संख्या ४८-लेखा शीर्षक ६९ और ८१ क-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) (स्वीकृत) . .	३६४
अनुदान संख्या ४९-लेखा शीर्षक ८२-कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विस, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (स्वीकृत) . .	३६४
अनुदान संख्या ५२-लेखा शीर्षक ८-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत) . .	३६४
१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक (पुरःस्थापित किया गया, तथा विचारोपरान्त पारित हुआ) . .	३६४-३६९
सदन के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) . .	३६९
उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३ (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित विधेयक की प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) . .	३७०
उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूब वेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक की प्रतिलिपि मेज पर रखी गई) . .	३७०
उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३ (विधान परिषद् द्वारा संशोधित विधेयक विचारोपरान्त पारित हुआ) . .	३७०-३७१
राजा वीरेंद्रशाह के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना . .	३७१
विधान सभा का भावी कार्यक्रम	३७१
नत्थियां	३७२-४०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—:o:—

बृहस्पतिवार, २४ दिसम्बर, १९५३

—:o:—

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

—:o:—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आसम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह,श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री

सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगना, श्री
होतीलालदास, श्री

—:o:—

प्रश्नोत्तर

(१७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

भारतनगर, जिला इलाहाबाद में बीज गोदाम की इमारत

*१—राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भारतनगर, जिला इलाहाबाद में कोई इमारत बीज गोदाम के लिये बनाई गई है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—इमारत अभी बन रही है।

*२—राजा वीरेंद्रशाह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस इमारत का प्रयोग बीज गोदाम के लिये नहीं किया जाता है ?

श्री मंगला प्रसाद—प्रश्न नहीं उठता।

* * * *

कोइन्दी, देवरिया में श्री उदित प्रसाद की ओर से ५८ राजनीतिक-पीड़ितों को सहायतार्थ प्रार्थना

*५—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि ग्राम कोइन्दी, थाना तरया सुजान (देवरिया) के किसी सज्जन द्वारा ५८ राजनैतिक पीड़ितों को सहायता देने की प्रार्थना पिछले सितम्बर में सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)—जनवरी सन् १९५३ में श्री उदित प्रसाद ने ५८ राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजे। उनमें से ५४ प्रार्थियों ने अपने जिले में भूमि के लिये प्रार्थना की। इस संबंध में उनको यह सूचित किया गया कि वे अपने जिलाधीश से मिलें। चार प्रार्थना पत्रों में से जिनमें कि आर्थिक सहायता की मांग की गई थी दो अस्वीकार किये गये और दो विचाराधीन हैं।

* * *

दुद्धी स्टेट (मिर्जापुर) में तेंदू के पेड़ों की पत्ती का ठेका

*१०—श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के दुद्धी स्टेट के तेंदू पेड़ की पत्ती का ठेका दिया जाता है या दिया गया है? उसमें क्या किसानों की निजी जोत की भूमि में उत्पन्न होने वाली उक्त पत्ती भी शामिल है? यदि हां, तो क्यों?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—दुद्धी स्टेट में केवल वहां के जंगल में खड़े हुये तेंदू के पेड़ों की पत्तियों का ठेका दिया जाता है। उसमें किसानों की निजी जोत भूमि में उत्पन्न होनेवाली पत्तियां शामिल नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सरकारी ठेकेदार निजी जोत की पत्ती तोड़ने या खरीदने म बाधा उत्पन्न करते हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यदि ऐसा करते हैं तो अनियमित कार्य करते हैं और उसके अनुसार कार्यवाही हो सकती है।

श्री रामस्वरूप—सरकार निजी जोत की पत्ती तथा वनक्षेत्र की पत्ती के संबंध में क्या कोई व्यवस्था करने जा रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो स्पष्ट कर ही दिया गया है कि सरकार की तरफ से ठेका अलग है सिर्फ जंगलों की पत्तियों का, अगर वे उसे काटते हैं तो आप उनके खिलाफ अदालत में कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को मालूम है कि ठेकेदारों ने बहुत से लोगों पर इसलिये मुकद्दमें चलाये हैं कि उन्होंने किसी की पत्ती न लेकर उनकी पत्ती ली है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार के पास इस प्रकार का कोई आवेदन-पत्र नहीं आया।

* * *

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बदायूं जिले में जनहित के प्रमुख कार्य

*१२—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा कर बतायगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन बदायूं जिले में क्या क्या प्रमुख कार्य जनहित के लिये किये जाने वाले हैं?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बदायूं जिले में जो प्रमुख कार्य जनहित के लिये किये जायेंगे उनकी एक सूची मा० सदस्य की मेज पर रख दी गयी है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७२-३७३ पर)

श्री शिवराज सिंह यादव—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो खेती के औजार और खाद्य जिला बदायूं में बांटे जावेंगे उन पर क्या सरकार कुछ सब्सिडी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री फूलसिंह—औजारों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जायगी ?

मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र के वन विभाग से राबर्ट्सगंज बाजार में लकड़ी लाने वाले मजदूरों पर टैक्स

*१३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में सोन क्षेत्र के वन विभाग द्वारा राबर्ट्सगंज बाजार में लकड़ी लाकर बेचने वाले गरीब मजदूरों से १ आना फी सर-बोझ, २ आना फी कन्धा-बोझ और ४ आना फी बैल या टट्टू-बोझ के हिसाब से तथा मिर्जापुर व चुनार शहर में लाने वालों से इससे भी अधिक टैक्स वसूल किया जाता है, जब कि जमींदारी समाप्त होने के पूर्व इन लकड़हारों को कोई ऐसा टैक्स नहीं देना पड़ता था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जमींदारी समाप्त होने के पूर्व वन की लकड़ी का ठेका ठेकेदारों को दिया जाता था और ठेकेदारों के आदमी लकड़हारों से 'कौड़ी' वसूल किया करते थे। अब इन वनों के सरकार में निहित होने के बाद गिरी पड़ी लकड़ी का ठेका नहीं दिया जाता है और लकड़हारों से जो लकड़ी वे ले जाते हैं उनका मूल्य लिया जाता है। इस मूल्य का दर प्रश्न में जो दिया है वह ठीक है। आजकल जो वसूल किया जाता है वह उससे जो इन लकड़हारों को जमींदारी समप्त होने से पहले देना पड़ता था कहीं कम है।

*१४—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतायगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् से अब तक सोन वन विभाग द्वारा उक्त प्रत्येक तहसील से कितना कितना रुपया उपरोक्त टैक्स से वसूल हुआ ?

श्री जगमोहन नेगी—अभीष्ट सूचना नीचे दी हुई है—

	रु०	आ०	पा०
अहरौरा से	१,१०	३	०
मिर्जापुर से	६५३	१३	०
राबर्ट्सगंज से	९६	०	०

*१५—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार उपरोक्त लकड़हारा वर्ग को उक्त टैक्स से मुक्त करने का विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लकड़हारों से जो कुछ लिया जाता है वह टैक्स नहीं है वह तो उस लकड़ी का, जो वे जंगल से ले जाते हैं, नाममात्र मूल्य है। यदि इस लकड़ी का कोई मूल्य नहीं लिया जाय तो जगंलों को क्षति पहुंचने का अंदेशा है। इस कारण सरकार लकड़ी मुफ्त देना उचित नहीं समझती।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी मुख्य मंत्री जी दुद्धी और राबर्ट्सगंज गये थे और क्या उन्होंने इसको माफ नहीं कर दिया है?

श्री गोविन्दबल्लभ पंत—यह मसला मेरे सामने आया था जब मैं वहां गया था और मैंने कहा था कि यह सहानुभूतिपूर्वक देखने की बात है और मैं समझता हूं कि अगर यह टैक्स छूट सके, तो अच्छा हो।

श्री व्रजभूषण मिश्र---जो यह रुपया बतलाया गया है तो यह कितने महीने की आय है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसकी मुझे ठीक तो सूचना इस समय नहीं है मगर संभवतः यह साल भर की ही आय है। अगर आप नोटिस देंगे तो इसका सही उत्तर दे दिया जायगा।

* * *

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों की संख्या

*१७---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट इस प्रान्त में किस सन् से नियुक्त किये गये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---इस समय इस प्रदेश में १७४ जुडीशल अफसर विभिन्न जिलों में नियुक्त हैं। कितने व्यक्ति किस सन् में नियुक्त हुये यह सूचना मेज पर रखी हुई तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७४ पर।)

*१८---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने मुस्तकिल किये गये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---इनमें से ५६ जुडीशल अफसर स्थायी हैं। इनके अतिरिक्त दो जुडीशल अफसर, जिनका दो स्थायी जुडीशल अफसरों के पदों पर 'लीयन' हैं, इस समय अस्थायी मुंसिफ के पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ जुडीशियल आफिसर्स और रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---जुडीशियल आफिसर्स की तादाद बढ़ाये जाने की तजवीज तो इस समय गवर्नमेंट के सामने नहीं है।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ११८ जगह अस्थायी हैं वह कब तक स्थायी कर दी जायंगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---अभी जमींदारी उन्मूलन का क्या परिणाम होगा यह अच्छी तरह से मालूम नहीं है। फिर जिलों में कितने आदमियों को रखा जाना मुनासिब होगा यानी कितने जुडीशियल आफिसर्स और कितने डिप्टी कलेक्टर्स जब इसकी निश्चित व्यवस्था हो जाय तब यह तय हो सकेगा। इस बीच में इस बात को भी सोचा जा रहा है कि जो जिलों में अधिकारी हैं उनकी संख्या घटाई जाय या बढ़ाई जाय, या क्या किया जाय।

जिला मैजिस्ट्रेटों का स्थानान्तरण

*१९---श्री रामसुन्दर पाण्डे (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिलों के जिला मैजिस्ट्रेटों का स्थानान्तरण ३ वर्ष के अन्दर नहीं हुआ है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जिला मैजिस्ट्रेट आजमगढ़।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैजिस्ट्रेटों को एक-एक जिले में रहने के लिये क्या कोई अवधि निर्धारित है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इसका कोई खास नियम नहीं है। पहले पांच वर्ष की अवधि समझी जाती थी मगर तीन वर्ष में तबादला कर दिया जाता था।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या जिलाधीश आजमगढ़ के ट्रांसफर के लिये कोई पाप्पुलर डिमांड है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी नहीं, पाप्पुलर डिमांड अगर कही जा सकती है तो वह इसके बरअक्स है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत के समस्त जिलाधीशों का स्थानान्तरण कर दिया गया और आजमगढ़ के जिलाधीश का क्यों नहीं किया गया?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---आजमगढ़ में सब लोग उन्हें पसन्द करते थे।

श्री राममसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के जिलाधीश बृजपाल सिंह सेठ का पद अभी तक स्थायी नहीं हुआ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जिलाधीश का पद तो स्थायी है मगर सेठ अभी स्थायी नहीं हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके स्थायी न होने के कारण क्या हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अभी करीब ३०-४० या ५० आदमी ऐसे हैं सीनियोरिटी वगैरह तय करके गवर्नमेंट आफ इंडिया से मश्विरा करके स्थायी करने का प्रश्न सामने है। यदि उन्हें खुशी हो तो मैं समझता हूं कि वह बहुत जल्दी ही स्थायी होने वाले हैं।

जिला नैनीताल में विनायक चांफी मोटर रोड का निर्माण

*२०---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि जनता ने जिला नैनीताल में विनायक चांफी मोटर रोड पर एक तिहाई निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है? अगर हां, तो क्या सरकार बाकी १।। मील सड़क चांफी पुल तक बनवाने की कृपा करेगी?

श्री फूलसिंह---जी हां। इस सड़क के बनवाने में जो व्यय होगा उसका एक तिहाई भाग केन्द्रीय सड़क फंड से मिलेगा और बाकी एक तिहाई प्रदेशीय सरकार देगी। केन्द्रीय रोड फंड से रुपया मिलने पर आशा की जाती है कि कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रोड फंड रुपया कब तक मिल जायगा?

श्री फूलसिंह---इस मामले में लिखा पढ़ी हो रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या इस रोड के तखमीने में चांफी पुल का निर्माण भी शामिल है?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

* * *

गाजियाबाद के लौनी परगना में विकास योजना

*२८—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या यह सच है कि गाजियाबाद के लौनी परगना को सरकार ने पिछड़ा हुआ इलाका क़रार दिया है ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं ।

*२९—श्री तेजा सिंह—क्या सरकार कृपया बतायगी कि इस क्षेत्र के विकास के लिये क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

श्री फूलसिंह—विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिये कोई योजना तैयार नहीं की गई है। समस्त जिले के लिये जो योजना तैयार की गई है उसमें परगना लौनी भी सम्मिलित है। लौनी में निम्नलिखित कार्य हुआ है—

(१) सहकारी समितियों द्वारा १० ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं।
(२) गांवों की ३९ मील सड़क का सुधार व निर्माण किया जा चुका है।
(३) विभिन्न गांवों में २१०० गज खड़ञ्जा बनाया जा चुका है।
(४) सामूहिक सुनने की योजना के अनुसार ६ रेडियो लगाये गये हैं।
(५) ग्रामों में रोशनी के लिये अब तक ७९ लालटेनें लगाई गई हैं।

श्री तेजा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस एम० ई० एस० योजना में गाजियाबाद-लोनी सड़क को पक्की करने का प्रावीजन किया गया है, अगर नहीं तो क्या किया जायगा ?

श्री फूलसिंह—जितना रुपया उपयोग के लिये निर्धारित है उसको वहां के कार्यकर्ताओं की सम्मति के अनुसार खर्च करने की कोशिश की जायगी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया विकास के लिये जिलों को दिया गया है, अगर उस रुपये को मार्च तक खत्म नहीं किया गया तो क्या वह लैप्स हो जायगा ?

श्री फूलसिंह—यह योजना तीन साल के लिये है। जो रुपया इस वर्ष खर्च नहीं होगा वह अगले वर्ष खर्च किया जा सकता है।

* * * *

अक्टूबर, १९५३ से सरकारी कार्यवाही में हिन्दी का प्रयोग

*३४—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व निश्चयानुसार गत अक्टूबर से सरकारी कार्यवाही हिन्दी में होने लग गई है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू० ओ०-७१८/१७ के अनुसार उस विज्ञप्ति में उल्लिखित विषयों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है । इस विज्ञप्ति की एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७५ पर ।)

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गत अक्टूबर के बाद भी लोग अंग्रेजी में दरख्वास्तें देते हैं और माननीय मंत्रियों को स्मृतिपत्र भी देते हैं तथा वे स्वीकार भी किये जाते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अंग्रेजी या किसी दूसरी जबान में स्मृतिपत्र देने से लोगों को कोई नहीं रोक सकता ।

श्री सीताराम शुक्ल---तो क्या इससे सरकारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं समझता हूं कि जनता कोई बात करे तो उल्लंघन नहीं होता ।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कुछ अफसर जो सन् १९४९-५० में तो अपनी कार्यवाही हिन्दी में करते थे और अब अंग्रेजी में करने लगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी नहीं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार को मालूम है कि रोडवेज की बसों में साधारण सूचनायें भी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जब माननीय सदस्य यह कहते हैं तो मैं समझता हूं कि होगा ऐसा। मगर मुझे कोई जाती इल्म नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार कृपा करके बतलायगी कि कलेक्टरेट लेबिल में चिट्ठी पत्री आदि सभी कार्यवाही हिन्दी में शुरू न कर के अंग्रेजी में ही होती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---कलेक्टरेट में तो बहुत कुछ कार्यवाही हिन्दी में ही होती है हमेशा से और अब भी ऐसा ही होता है। कुछ कार्यवाही अंग्रेजी में भी होती है ।

श्री वृजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि अब तक सेक्रेटेरियट में जो बहुत सी खतो-किताबत होती है वह अंग्रेजी में होती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---वह हिन्दी में भी होती है और अंग्रेजी में भी होती है। कभी-कभी उर्दू में भी होती है।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायंगे कि सेक्रेटेरियट में हिन्दी टाइपराइटर्स से अंग्रेजी टाइपराइटर्स की संख्या कितनी गुनी अधिक है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां, अंग्रेजी के टाइपराइटर्स ज्यादा हैं। एक सौ वर्ष से बराबर अंग्रेजी के टाइपराइटर्स आते रहे हैं। हिन्दी के टाइपराइटर्स अब आने लगे हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्यपाल जी से या डिपार्टमेंट से जो निमंत्रण-पत्र वग़ैरह माननीय सदस्यों को आते हैं वे अंग्रेजी में ही क्यों छपते हैं, हिन्दी में क्यों नहीं छपते ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---डिपार्टमेंट से निमंत्रण-पत्र वग़ैरह जाते हैं, यह खुशी की ही बात है और वे अक्सर हिन्दी में ही छपते हैं। राज्यपाल अगर अंग्रेजी में कभी भेजते हैं तो उनका निमंत्रण-पत्र आता रहे और वह अंग्रेजी में हो या हिन्दी में हो, यह खुशी की ही बात है ।

* * * *

बलिया में १९४२ के शहीदों के परिवारों को सरकारी सहायता

*३८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि बलिया के १९४२ के शहीदों के परिवारों को सरकार द्वारा कुछ सहायता दी जा रही है? यदि हां, तो किस रूप में?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—जी हां। यह सहायता पेन्शन, एक मुश्त रकम, क्षति का म्वायजा, बच्चों की शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति तथा भूमि प्रदान के रूप में है।

* * * *

नैनीताल जिले में पेड़ कट जाने के कारण भीमताल के सूख जाने का खतरा

*४२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि भीमताल, जिला नैनीताल में जौन्स इस्टेट के मालिक कई एकड़ जमीन में खड़े जंगल को काट चुके हैं, जिसके कारण भीमताल के तालाब के सूख जाने का खतरा हो गया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जोन्स इस्टेट के जंगल का वर्किंग प्लान यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत ३-११-१९५२ को चीफ कंजरवेटर द्वारा स्वीकृत हुआ था। इस दिनांक के पूर्व जो पेड़ इस इस्टेट के मालिक ने अनधिकृत रूप से काटे थे उसके लिए उनको उचित दंड दिया गया। उसके बाद जो भी कटान हुई है वह स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार है। इस कटान से भीमताल के तालाब के सूख जाने का कोई खतरा नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि ३-११-५२ के बाद स्टेट के मालिक ने कितने पेड़ अनधिकृत रूप से काटे हैं और उनको क्या दंड दिया गया?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—२५ पेड़ काटे और ५० रुपया जुर्माना हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायगी कि वर्किंग प्लान के अनुसार इस्टेट के मालिक साल में अब कितने पेड़ काट सकते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उसके बाद तो कोई नहीं काटे। जो काटे भी हैं वह सारे कुछ पावर लाइन को बचाने के लिये, या मोटर रोड को बनाने के लिये कुछ एलेक्ट्रिक पावर्स वग़ैरह के निर्माण के हेतु में वर्किंग प्लान के अनुसार काटे गये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि वर्किंग प्लान के अनुसार कितने पेड़ सालाना काटने की आज्ञा उनको कंजरवेटर आफ फारेस्ट ने दी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी कि उसका एक्जैक्ट नम्बर क्या है। मगर मैंने बताया कि वर्किंग प्लान के मुताबिक इस हेतु काटे गये हैं।

* * * *

इलाहाबाद के आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल के सम्बंध में पूछ ताछ

*४४—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि प्रयाग (इलाहाबाद) के आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल में अब तक कितने अफ़सरों को शिक्षा दी गई है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इलाहाबाद के आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल में जितने आफिसरों को अब तक शिक्षा दी गई है उनका विवरण इस प्रकार है—

ट्रेनिंग कोर्स की अवधि	अफ़सरों की संख्या	विशेष विवरण
१—जनवरी २, से मार्च २२, १९५१ तक।	३४	यह सब प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर थे।
२—जुलाई ४ से अक्तूबर ४, १९५१ तक।	२५	" " "
३—दिसम्बर ३, १९५१ से मार्च ९, १९५२ तक।	२५	इनमें से ११ अफ़सर मध्य-भारत और २ भूपाल से आये थे। बाकी प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर थे।
४—जून १६ से सितम्बर १० या १५, १९५२ तक।	१३	११ डिप्टी कलेक्टर, २ आई० ए० एस० अफ़सर।
५—दिसम्बर ३, १९५२ से मई २, १९५३ तक।	८	डिप्टी कलेक्टर।
योग ..	१०५	

*४५—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आफ़िसर्स ट्रेनिंग स्कूल को खुले हुए कितना समय हुआ तथा उसके लिये सरकार ने अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद में २ जनवरी, १९५१ से ट्रेनिंग प्रारम्भ हुई। स्कूल पर १९५२-५३ के अन्त तक जो व्यय हुआ उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है—

वर्ष			व्यय
			रु०
१९४९-५०	..	..	२५,०९१
१९५०-५१	..	..	१,२०,२६२
१९५१-५२	..	..	१,८६,६१४
१९५२-५३	..	..	१,२१,८२०
		योग ..	४,५३,७८७

चालू वर्ष का खर्च वर्ष के अन्त में ज्ञात होगा।

*४६—श्री रणंजय सिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को अब सरकार ने स्थायी रूप से बन्द कर देने का निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो उसके भवन, भूमि एवं अन्य सामान आदि का क्या किया जायगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं, स्कूल के भविष्य के बारे में सरकार विचार कर रही है। अतः दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि अन्य प्रान्तों से जो आफिसर आए हमारे यहां ट्रेनिंग पाने के लिये तो क्या दूसरे प्रान्तों ने खर्चे के लिये कुछ रुपया दिया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, मैं समझता हूं उन्होंने कुछ रुपया दिया।

श्री रणंजय सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस स्कूल का भविष्य विचाराधीन है तो इस समय वहां पर स्टाफ के लोग क्या काम करते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इस वक्त वहां पर कोई स्टाफ नहीं है।

[२४ दिसम्बर, १९५३ के प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

नैनीताल में वन विभाग के चपरासियों को हिल एलाउन्स न दिया जाना

*१—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि वन विभाग के नैनीताल में स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले चपरासियों को हिल एलाउन्स नहीं मिलता है? अगर नहीं तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न के दोनों भाग का उत्तर "नहीं" है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पे कमेटी रिपोर्ट में नैनीताल के चपरासियों को हिल एलाउन्स देने के बारे में सिफारिश की गयी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो आपने रिपोर्ट में देख लिया होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि वन विभाग के अन्य कर्मचारियों को हिल एलाउन्स मिलता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हिल एलाउन्स नहीं मिलता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तो अन्य कर्मचारियों को कौन सा एलाउन्स मिलता है? यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पहले विण्टर एलाउन्स मिलता था मगर अब वह बन्द है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तो क्या सरकार उनको हिल एलाउन्स या विण्टर एलाउन्स देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी— अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

वन विभाग नैनीताल के क्लर्क-एसोसियेशन की मांगें

*२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार के पास वन विभाग नैनीताल स्थित कार्यालयों के क्लर्कों के एसोसियेशन की कुछ लिखित मांगें आई हैं? अगर हां, तो वे मांगें क्या हैं और सरकार उन मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां। वन विभाग के क्लर्कों की एसोसियेशन की लिखित मांगें सरकार के पास आई हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

(१) कि मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के वेतन की वृद्धि की जाय,

(२) कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिस दर से महंगाई का भत्ता मिलता है उसी दर से उनको भी महंगाई दी जाय, और

(३) कि पहाड़ों और जाड़ों के भत्ते के बारे में सरकार ने जो आदेश जारी किये हैं वे उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होने चाहिए, जिनकी नियुक्ति उन आदेशों की तारीख को या उसके बाद हुई है। सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी— क्या इन क्लर्कों के इस एसोसियेशन की यह मांग सरकार के पास आयी है कि पे कमेटी रिपोर्ट के अनुसार उनको ग्रेड नहीं दिया जाता ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनकी मांगें जो आई थीं उनकी बाबत मैंने अपने उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसे कर्मचारी जो उपर्युक्त आज्ञा के निकाले जाने के बाद रखे गये थे, उनको हिल एलाउन्स क्यों नहीं दिया जाता, जब कि पहले वाले उसी श्रेणी के लोगों को दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो प्रश्न के उत्तर में ही स्पष्ट हो गया होगा। उनकी मांग यह थी कि जिनकी नियुक्ति बाद में हुई है उनको एलाउन्स दिया जाय। लेकिन यह प्रश्न उठता नहीं है क्योंकि यह अन्तिम प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट है कि सब के साथ एक तरह का व्यवहार किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि जब पहले कर्मचारियों को हिल एलाउन्स मिलता है तो बाद में रखे गये लोगों को क्यों नहीं मिलता ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अगर आप फिर नोटिस दे दें तो मैं पता लगा लूंगा कि ऐसा क्यों किया गया।

चीनी मिल मालिकों द्वारा नल कूप बनवाने की योजना

*३—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)— क्या पिछले वर्षों में सरकार तथा चीनी मिल मालिकों के बीच यह निश्चय हुआ था कि पांच-पांच नलकूप प्रतिवर्ष मिलें अपने क्षेत्रों में बनायें ? यदि हां, तो कहां-कहां ऐसे नलकूप बने और उससे कितनी जमीन को पानी मिल सका ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—जी नहीं, सरकार तथा चीनी मिल-मालिकों के बीच ऐसा कोई निश्चय नहीं हुआ था। यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—तमकुही, पडरौना, कठकुइयाँ, रामकोला (देवरिया) चीनी मिलों ने अब तक कितने नलकूप बनाये ? यदि नहीं बनाये, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—तमकुही, पडरौना, कठकुइयां, रामकोला व (देवरिया) चीनी मिलों ने अपने धन से कोई नलकूप नहीं बनाये क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई निश्चय नहीं किया था।

मैजिस्ट्रेटों के तबादले

*५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार ने कोई नियम बनाया है कि साधारणतया एक मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एक स्थान पर तीन वर्ष तक ही रहेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं। ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। अफसरों के तबादले हमेशा शासन की सुविधा पर निर्भर रहते हैं। परन्तु जहां तक होता है यह ध्यान में रखा जाता है कि एक अफसर एक ही जगह साधारणतया तीन साल से अधिक न रहे।

*६—श्री बद्री नारायण मिश्र—यदि हां, तो क्या विशेष कारण है कि गोरखपुर के जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों को पांच वर्ष तक एक ही स्थान पर रक्खा गया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गोरखपुर में कोई भी जुडिशियल अफसर ५ साल तक नहीं रखा गया। दो अफसर ४ साल से कुछ ऊपर रह गये थे परन्तु अब वे बदल दिये गये हैं। सन् १९५२ में सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के काम को सुचारु रूप से चलने देने के लिए जिलों से अफसरों का तबादला जहां तक हो सका, नहीं किया।

प्रदेश में आगत शरणार्थियों की व्यवस्था

*७—श्री बाबूनन्दन— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन प्रान्तों से शरणार्थी इस प्रान्त में आये हैं?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—इस राज्य में शरणार्थी पाकिस्तान के विभिन्न प्रान्तों, मुख्यतः पश्चिमी पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त, सिंध बिलोचिस्तान और पूर्वी बंगाल से आये हैं।

*८—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब भी इनका आना जारी है कि नहीं? यदि नहीं, तो कब से?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी— अब पर्याप्त समय से इस प्रदेश में शरणार्थियों का आना प्रायः बन्द सा हो गया है, यद्यपि अभी पूर्वी बंगाल के पाट के खेतिहरों के कुछ परिवार और पश्चिमी पंजाब के योल शरणार्थी शिविर से कुछ परिवारों के आने की सम्भावना है। अभी कुछ व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान से और उसी प्रान्त को भी आते जाते रहते हैं। पर उनकी संख्या नाममात्र को है और उपलब्ध नहीं है।

*९—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि अब नये शरणार्थियों की व्यवस्था नहीं की जायगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं। किन्तु भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अब नव उपनगरों (New townships) में बसने वालों तथा पास शुदा प्रशिक्षार्थियों (Technical trainees) को छोड़ कर अन्य विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार तथा उद्योग धंधों के लिये ऋण नहीं दिये जाते हैं।

श्री बाबू नन्दन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शरणार्थी विभिन्न प्रान्तों से आये हैं उनके लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई है?

श्री हुकुम सिंह—काफी इन्तजाम किया गया है, बसाये गये हैं, ऋण दिया गया है और उनके लिये व्यापार ढूंढा गया है।

जौनपुर में ताड़ से गुड़ बनाने की योजना

*१०—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या उद्योग मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जौनपुर में ताड़ से गुड़ बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—ऐसी योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*११—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—यदि हां, तो वह योजना कब से कार्यान्वित होगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय को किसी सूत्र से पता चला है कि जौनपुर जिले के बहुत से गांवों में और मछली शहर के कस्बे में ताड़ और खजूर के बहुत से पेड़ हैं?

श्री हुकुम सिंह—माननीय सदस्य के इस सवाल से कुछ अन्दाजा लगता है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर प्लानिंग कमेटी की तरफ से सरकार से सिफारिश की गई है कि जौनपुर में गुड़ बनाने की स्कीम चालू की जाय ?

श्री हुकुम सिंह—नोटिस की जरूरत है, इसका पता लगाया जा सकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार इन पेड़ों की गणना करायेगी ?

श्री हुकुम सिंह—कोई जरूरत तो नहीं मालूम होती।

मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी के निर्माण पर व्यय

*१२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर फैक्टरी के निर्माण में अब तक कितना रुपया लग चुका है और अभी कितना निर्माण बाकी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के अन्त तक गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी, राबर्ट्सगंज के निर्माण में लगभग ढाई करोड़ रुपया व्यय हो चुका है।

निम्नलिखित निर्माण कार्य अभी शेष हैं—

१—गृह निर्माण—लगभग ३० प्रतिशत।

२—मशीनों की यथास्थान स्थापना—लगभग २५ प्रतिशत। आशा की जाती है कि फैक्टरी जून, १९५४ ई० तक तैयार हो जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जून सन् १९५४ तक यानी फैक्टरी के पूरा बनने तक अभी कितना रुपया खर्चा होना बाकी है ?

श्री हुकुम सिंह—करीब दो करोड़ के।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सीमेंट फैक्टरी के बनाने का जो पूरा तखमीना था वह क्या था ?

श्री हुकुम सिंह—लगभग तीन करोड़ था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार इस दो करोड़ रुपये की बढ़ती का कारण बतलायेगी जो एस्टीमेट्स में हुई है।

श्री हुकुम सिंह—कारण तो अभी हाल में ही बताये जा चुके हैं। कहिये तो मैं फिर अर्ज कर दूं। एक तो मशीनों के और लेबर के दाम बढ़ गये और वह कंसल्टेंट मर गये थे, ड्राइंग वगैरह अधूरी छोड़ गये थे, उसमें खर्चा हुआ और कुछ और नयी इमारतों के बनाने की आवश्यकता हुई। इन्हीं सब बातों में इजाफ़ा हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—इस ढाई करोड़ रुपये में से मशीनों के खरीदने में कितना रुपया लगाया गया ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, तब मैं इसको बता सकता हूं।

तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी में निजी जंगलों के कृषकों को भूमि छोड़ देने का आदेश

*१३—श्री रामभजन (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी के अन्तर्गत निजी जंगलों के कृषकों को, जो चार-पांच वर्ष के जोतकार हैं, वन विभाग अधिकारियों की ओर से अपनी भूमि छोड़ देने के लिये कहा जा रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पहली जुलाई सन् १९५२ से पहले जो वन भूमि जोत में लाई जा चुकी थी उसके जोतने में कोई विघ्न सरकार की ओर से नहीं डाला जा रहा है। जिस वन भूमि के पट्टे जमींदारी विनाश कानून के अन्तर्गत अवैधिक हो गये हैं उस भूमि को अवश्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है।

*१४—श्री रामभजन (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि इन कृषकों में ऐसे भी कृषक हैं जिन्होंने यूटीलाइजेशन ऐक्ट के नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् जमींदारों द्वारा भूमि प्राप्त की थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

*१५—श्री रामभजन (अनुपस्थित)— क्या सरकार को पता है कि इन कृषकों में ऐसे बहुत से कृषक हैं, जो अपनी काश्त के भूमिधर बन चुके हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना पर व्यय

*१६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट योजना चालू की गयी है उसमें कुल कितना व्यय निर्धारित किया गया है और अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

श्री फूलसिंह—इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में ३,६६,३४९ रु० का व्यय निर्धारित किया गया था और ३१ मार्च, १९५३ तक रु० २,५१,२३३-९-१ व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में ९,९५,६७१ रु० का व्यय निर्धारित किया गया है और इस वर्ष में ३१ अगस्त तक ३२,७०१ रु० ७ आ० ६ पा० व्यय हो चुका है।

*१७—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना में कुल कितने कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं और उनका कुल मासिक वेतन क्या है ?

श्री फूल सिंह—इस योजना में इस समय ३५ कर्मचारी काम कर रहे हैं। जून मास १९५३ में उनका कुल मासिक वेतन ३,१६८ रु० हुआ।

*१८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घोसी के सर्वोदय विद्यालय को इस योजना से कुछ आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री फूल सिंह—घोसी के सर्वोदय विद्यालय को कम्यूनिटी प्रोजेक्ट से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, सन् १९५३ ई० तक जो व्यय हुआ है उसमें कौन-कौन सी मदें शामिल ह ?

श्री फूल सिंह—सब मदों का ब्यौरा तो मैं अभी नहीं दे सकता हूं मगर सारी ही मदें डेवलपमेंट की उसमें शामिल हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सामुदायिक विकास योजना में कितने ग्राम लिये गये हैं ?

श्री फूल सिंह—ग्राम तौर से एक ब्लाक में १०० लिये जाते हैं। कहीं कम ज्यादा भी कर दिये जाते हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)— क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एरिया में कितने मूल्य का पण्य (कमोडिटी) उत्पन्न हुआ है और कितना व्यय किया गया ?

श्री फूल सिंह—यह असेस करना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि जितना रुपया खर्च करते ह उससे बहुत सी सर्विसेज भी होती हैं और बहुत चीजों की पैदावार बढ़ती है। तो भी कितनी पैदावार की बढ़ोत्तरी हुई उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना के अन्दर कौन-कौन किस्म के पशु दिये गये हैं जिससे नये नस्ल के जानवर पैदा किये जा रहे हैं ?

श्री फूल सिंह—यह भी मैं आप से नहीं कह सकता। कुछ में सुहावल और कुछ में हरियाना दिये जाते हैं। आपके गांव में कौन सा है यह मैं नहीं बतला सकता।

प्रदेश में आगत शरणार्थियों को सहायता

*१९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि भारत के विभाजन के बाद कुल कितने शरणार्थी उत्तर प्रदेश में बसाये गये और कहां-कहां ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—लगभग ४,३५,१८२ उद्वासित व्यक्ति जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है पाकिस्तान से आकर उत्तर प्रदेश में बसे। जिले वार विवरण संबद्ध सूची में अवलोकन किया जाय। अनुमान है कि अपने आश्रितों सहित इनमें से तीन चौथाई व्यक्तियों को उद्योग, व्यापार व व्यवसाय के लिये ऋण, नियंत्रित सामग्रियों के लाइसेंस की आदि की सुविधा देकर या नौकरियों में बसाया गया। इसके अतिरिक्त बहुत से और उद्वासित व्यक्ति इस प्रदेश में आये जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और जिनके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३७६–३७७ पर)

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इन शरणार्थियों को सहायता देने में कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह—कुल टोटल इस वक्त तो नहीं बताया जा सकता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि बाहर से आये हुए शरणार्थियों में जिनका जिक्र नहीं है यानी एक चौथाई का, किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—तफसील बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वह भी अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं वर्ना हमारे पास आते और हमको परेशान करते। बहुत कम आते हैं कोई न कोई वह अपना धंधा करते ही हैं।

प्रदेश में सिनेमा गृहों की संख्या

*२०—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने सिनेमागृह हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—२१३।

*२१—श्री महाराज सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में टूरिंग टाकीज की संख्या क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—४९।

श्री महाराज सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसी भी टूरिंग टाकीज हैं जो वर्षों से एक ही स्थान पर स्थायी रूप से कार्य कर रही हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसी हों। चूंकि आप सवाल पूछ रहे हैं और अगर तफसील मुझे दे दें तो मैं देख सकता हूं।

श्री महाराज सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२-५३ में स्थायी व अस्थायी टूरिंग टाकीज से कितना कर वसूल किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—टाकीज की तादाद में रुपये की तादाद का जिक्र तो था नहीं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो अश्लील भाषा के सिनेमा आमतौर पर दिखाये जा रहे हैं उनके बन्द करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जो सिनेमा दिखलाये जाते हैं वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया से सेंसर बोर्ड से सर्टीफाई किये जाते हैं। हमको कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि वो न दिखाये जायं। मैं समझता हूं अगर उद्योग किया जाय और लोगों को बतलाया जाय कि बुरे सिनेमों में न जायं और मेम्बर लोग खुद भी न जायं तो इसका और लोगों पर असर पड सकता है।

बावन कम्पनी, बरेली में सरकार का हिस्सा

*२२—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बावन कम्पनी, बरेली में सरकार का कितना हिस्सा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—५७ प्रतिशत।

*२३—श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बावन कम्पनी में जनता तथा सरकार दोनों का हिस्सा है तो वह क्यों सरकारी कम्पनी कहलाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—यह सरकारी कम्पनी नहीं कहलाती, यह एक ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी है जिसका प्रबन्ध इंडियन कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत होता है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो ४३ परसेंट बकीया लोग हैं वे कौन-कौन से हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—उनकी तादाद तो मेरे पास नहीं है। मैं समझता हूं कि इस कम्पनी के शेयरहोल्डर्स के नाम बतलाना भी इस हाउस में ठीक नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—यह कम्पनी क्या काम करती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—यह कम्पनी बावन बनाने का काम करती थी। बावन उसे कहते हैं जो कि जब कपड़ा बुना जाता है तो उसमें जो एक शेटिल काक इधर उधर फेंका जाता है उसको बावन कहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि प्रान्त भर में सरकारी विभागों में जितना भी फर्नीचर खरीदा जाय वह बावन फैक्ट्री से खरीदा जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—चूंकि बावन फैक्ट्री का काम चल नहीं रहा था इसलिये यह ख्याल हुआ कि फर्नीचर बनाया जाय मगर उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। इसलिये अगर कभी ऐसा होता था तो वह खुद बखुद गुम हो गया।

अनुसूचित जातियों के सरकारी कर्मचारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

*२४—श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब पिछड़ी वर्ग या अनुसूचित जाति का सरकारी कर्मचारी किसी कारणवश अपने पद से अलग किया जाता है तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के उम्मेदवारों से की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जी नहीं। जब कभी ऐसा कोई रिक्त स्थान होता है तो वह और साधारण रिक्त स्थानों में सम्मिलित हो जाता है और नियमानुसार सब रिक्त स्थानों को मिला कर जो संख्या होती है, उसका एक हिस्सा अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) के लिये सुरक्षित किया जाता है। फिर भी इन जातियों के लोगों को सरकारी नौकरियों में अधिकता से भर्ती करने के लिये सरकार ने प्राधिकारियों को आदेश जारी कर दिये हैं कि जब कोई स्थान इन जातियों के किसी सरकारी कर्मचारी के हट जाने से रिक्त हो तो उसका ध्यान इन जातियों के सुरक्षित (reserve) हिस्से की संख्या निकालने में रखा जाय।

*२५—श्री राम वचन यादव—क्या यह सही है कि ऐसे स्थानों की पूर्ति सूचना निकालने के पश्चात् की जाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—भर्ती के निमित्त यदि कोई स्थान अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार के हट जाने आदि से रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति उसी प्रकार नियमानुसार की जाती है जिस प्रकार अन्य स्थानों के रिक्त होने से की जाती है। अथवा यदि साधारणतः सूचना निकालना आवश्यक होगा तो रिक्त स्थानों की पूर्ति सूचना निकालने के पश्चात् हो जायेगी।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग में कौन-कौन सी जातियां सम्मिलित हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—पिछड़े वर्ग में वे जातियां सम्मिलित हैं जिनको कि आर्थिक या सांस्कृतिक दृष्टि से सहायता देना उचित समझा जाता है।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या यह सत्य है कि सरकार के शिक्षा और नियुक्ति विभागों में पिछड़े हुये वर्ग में भिन्न भिन्न जातियों की सूचियां हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—पहले कुछ शायद अन्तर था। परन्तु शिक्षा विभाग में जो सूची थी अब साधारणतः उसी के आधार पर काम करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इधर निकट हाल में यह जो रेंट कलेक्शन हो रहा है उसके लिये हरिजनों के संबंध में कोई परसेंटेज सरकार ने नियुक्त किया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जी हां, पहले दस परसेंट था, अब १८ परसेंट कर दिया गया है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर उन १८ परसेंट में हरिजन उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद बैकवर्ड क्लास जो कहा जाताहै उनमें से ले लिये जायेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—नियम इस तरह है कि अगर एक साल नहीं मिलते तो जितनी जगहें ऐसी होती हैं उनको दूसरे साल की जो खाली जगहें हों उनको भरने में सामने रखा जाता है ताकि पहले साल की जो कमी है वह पूरी की जा सके।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो १८ प्रतिशत सरकार न रिजर्व किया है, वह प्रांत के किसी जिले में पूरा किया गया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—मैं चाहता हूं कि प्रांत के सभी जिलों में यथा संभव जितनी जल्दी हो पूरा किया जा सके।

श्री वीरेंद्रपति यादव—क्या सरकार ने नियुक्ति विभाग में पिछड़े वर्ग की उन जातियों के नाम भेज दिये हैं जिनके नाम शिक्षा विभाग में पाये जाते हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जी हां, नियुक्ति विभाग में वह सब मिसलें आती हैं और जाती हैं और उनको जरूर उनका परिचय होगा और होना चाहिये।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार कर्मचारियों को सरकारी ओहदों से अलग करने पर हरिजनों की तादाद पर.....

श्री अध्यक्ष—यह आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। जो प्रश्न आपके दिमाग में हो उसे पूछें।

श्री जयपाल सिंह—क्या सरकार महसूस करती है कि इस प्रकार हरिजन कर्मचारियों को अलग करने से जो तादाद कम होती है उससे विभाग में हरिजनों की जो तादाद है उसमें कमी होती जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—अब भी यह समझ में नहीं आया।

(श्री जयपाल सिंह ने प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया।)

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो १८ फीसदी मुकर्रर किया गया है उसमें पिछड़ी हुई जाति भी सम्मिलित हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—इस १८ में पिछड़ी हुई जाति सम्मिलित नहीं है। मगर हरिजन भी पिछड़े हुये ही हैं।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मुख्य मंत्री उन स्थानों पर जहां हरिजन कम पढ़े लिखे हैं उन स्थानों से जहां अधिक पढ़े लिखे हैं १८ फीसदी सीटें पूरी करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—जहां पर कम हैं वहां भी आप १८ परसेंट चाहते हैं और जहां पर ज्यादा हैं वहां १८ परसेंट पहुंचने नहीं पाते। जब वह वहां पहुंच जायं तो अनरिजर्व्ड सीट्स भी सेंट परसेंट ले सकते हैं अगर काब्लियत से आगे बढ़ें।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा अन्य छोटे-छोटे विभागों में हरिजनों की नियुक्ति होती है, उनको किन साधनों द्वारा सूचना दी जाती है और उन्हें किस प्रकार बुलाया जाता है ?

श्री गोविंद वल्लभ पंत—जिन जगहों को भरने के लिये इम्तिहान होता है उनके लिय आम सूचना निकाली जाती है और जिनके लिये कोई इस तरह का इम्तिहान नहीं होता तो आमतौर पर इम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये वह जगहें भरी जाती हैं और एम्पलायमेंट एक्सचेंज में हरिजन वगैरह सब के नाम इन्दराज रहते हैं। इसके अलावा जिन जगहों में हरिजन दिलचस्पी लेते होंगे और जब वे खाली होती हैं तो उनके बारे में उनको मालूम हो जाता होगा और जो योग्य व्यक्ति हों उनको उनके लिये दरख्वास्त देना चहिये।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आदेश जारी हुआ है कि जो दो साल लगातार कुर्क अमीनी और नायब तहसीलदारी में काम कर चुका हो उनको ही तहसीलदारी में लिया जाय जिसके कारण हरिजन लोग वंचित हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—यह तो आम तौर पर नियम हो सकता है मगर जो हरिजनों के लिये महफूज जगहें हैं, मैं नहीं जानता कि उनके ऊपर भी यह लागू है या नहीं और उनमें भी हरिजन हो सकते हैं जो दो साल रह चुके हैं।

पडरौना चीनी मिल की कुर्क चीनी का विक्रय

*२६—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार ने अभी हाल में पडरौना चीनी मिल की कुछ चीनी सरकारी रुपये व किसानों की गन्ने की कीमत के बकाया के कारण कुर्क की ? यदि हां, तो वह रुपया पृथक-पृथक कितना था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, उक्त मिल की चीनी निम्नलिखित बकाये की अदायगी के सिलसिले में कुर्क की गई थी।

सरकारी सेस : ४,१३,८६७/१४/०

गन्ने का मूल्य : ९,४३,३१२/७/३

*२७—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कुर्क की हुई चीनी किसकी मार्फत और किस कीमत पर बेची गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कुर्क की हुई चीनी सर्वश्री मदन लाल एन्ड ब्रदर्स, पडरौना, श्री केदारनाथ खेतान, पडरौना, तथा जनरल कर्मा शयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के मार्फत रु० २६-३-० से रु० २९-० प्रतिमन भाव बेची गई।

*२८—श्री भगवान सहाय—सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेचने के समय बाजार में चीनी का क्या भाव था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बेचने के समय चीनी का भाव बाजार में रु० २७-० से रु० २९-८-० प्रतिमन तक था।

थाना सफदर, जिला बाराबंकी में फर्जी रसीदें काट कर किसानों से कोल्हू की तकावी की वसूली

*२९—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला बाराबंकी के गुड़ योजना अधिकारी द्वारा १२ दिसम्बर, सन् १९५१ को थाना सफदर, जिला बाराबंकी में रिपोर्ट लिखाई गई कि कुछ व्यक्तियों ने फर्जी रसीदें काट कर किसानों से ७,५८५।।)।। कोल्हू की तकावी का वसूल कर लिया है।

श्री हुकुम सिंह—जी हां, १७ दिसम्बर, १९५१ को ऐसी एक रिपोर्ट लिखाई गई।

*३०—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार उपर्युक्त मामले में अभी तक हुई कार्यवाही पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह—इस संबंध में कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

विभिन्न उद्योगों के ट्यूशनल क्लासेज का आय व्यय

*३१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में किन-किन स्थानों पर किस-किस उद्योग के ट्यूशनल क्लासेज चालू हैं?

श्री हुकुम सिंह—यह सूचना संलग्न नत्थी में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७८–३८१ पर।)

*३२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत ५०-५१ तथा ५१-५२ में इन ट्यूशनल क्लासेज में कितनी आय और कितना व्यय हुआ?

श्री हुकुम सिंह—आय व्यय का ब्यौरा यों है—

	रु०
१९५०–५१—	
आय	२,९९,६७६
व्यय	११,९६,४६४
१९५१–५२—	
आय	३,०८,७२३
व्यय	११,८७,६८०

जिला नियोजन समिति, हरदोई में सदस्यों की नामजदगी

*३३—श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि जिला नियोजन समिति, हरदोई में उसने किन्हीं सदस्यों की नामजदगी की है?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—हां।

*३४—श्री वीरेंद्र नाथ मिश्र—यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हां है, तो उनके नाम क्या हैं और वह किन विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—सरकार के नामजद किये सदस्यों के नाम यह हैं।

श्री राधेश्याम, श्री श्यामाचरण वकील और श्री कुंज बिहारी लाल अग्रवाल।

सदस्य उपयोगिता की दृष्टि से सरकार द्वारा छांटे गये हैं।

नोट—प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण तारांकित प्रश्न २९–७० सदन में नहीं लिये गये।

१९४६–४७ से १९५२–५३ तक गन्ने तथा चीनी के मूल्य

*३५—श्री शिव कुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९४६–४७ से १९५२–५३ तक उत्तर प्रदेश में गन्ने तथा चीनी के प्रतिमन क्या-क्या रेट रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—सन् १९४६–४७ से १९५२–५३ तक उत्तर प्रदेश में गन्ने तथा चीनी के जो रेट रहे हैं उसका विवरण नीचे दिया गया है—

वर्ष		गन्ने का मूल्य प्रतिमन			चीनी का मूल्य प्रतिमन		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१९४६–४७	..	१	४	०	२०	१४	०
१९४७–४८	..	२	०	०	३५	७	०
१९४८–४९	..	१	१०	०	२८	८	०
					(फरवरी २८, ४९ तक)		
					२९	१	०
					(मार्च १, ४९ से)		
१९४९–५०	..	१	१०	०	२८	८	०
१९५०–५१	..	१	१२	०	पश्चिम क्षेत्र		
					३०	८	०
					पूर्वक्षेत्र		
					३२	०	०
१९५१–५२	..	१	१२	०	पश्चिम क्षेत्र		
					३०	८	०
					पूर्वक्षेत्र		
					३१	८	०
					कीमत निर्धारित नहीं हुई,		
१९५२–५३	..	१	५	०	गेट		
		१	३	०	रेल सेन्टर		

*३६—श्री बेचनराम गुप्त (अनुपस्थित) (जिला बनारस)—[स्थगित किया गया।]

फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास कार्य

*३७—श्री गौरी राम (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से विकास कार्य सरकार की तरफ से होने जा रहे हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द वल्लभ पंन्त—पंच वर्षीय योजना में जिला गोरखपुर की फरेंदा तहसील के मध्य निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्य होने जा रहे हैं।

१—कृषि—इसके अन्तर्गत सिंचाई, बीज, खाद, उन्नत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा, बागवानी और फसल प्रतियोगिता का कार्य है।

२—पशुपालन—जानवरों को बधिया करना, टीके लगाना और अच्छी नस्ल के पशुओं को वितरित करना।

३—शिक्षा—प्राइमरी स्कूलों की इमारत बनाना।

४—सार्वजनिक निर्माण—सड़कें और पुलिया बनाना।

५—जन स्वास्थ्य—जल शुद्ध करना और टीके लगाना।

६—सहकारिता—नयी समितियां स्थापित करना।

७—गृह उद्योग—सुलतान कोल्हू और गुड़ भट्टियां स्थापित करना और चर्खे वितरित करना।

इस विषय में एक विवरणात्मक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। प्रश्न का शेष भाग उठता ही नहीं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८२–३८३ पर)

सुल्तान शुगर मिल्स, बलिया से गन्ने के मूल्य के बकाया की वसूली

*३८—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के अन्तर्गत फेफना सुल्तान शुगर मिल्स के जिम्मे अब भी १९५१-५२ की गन्ने की कीमत बाकी है? यदि हां, तो कुल बाकी रकम कितनी है?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, १९५१–५२ सीजन के गन्ने के मूल्य के हेतु फेफना सुल्तान शुगर मिल्स के जिम्मे ४,९६२ रु० २ आना ३ पाई बाकी है।

*३९—श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस कीमत वसूली के सम्बन्ध में पारसाल सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र भी दिया गया था? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुम सिंह—जी हां। प्रार्थना-पत्र आने पर जिलाधीश बलिया ने मिल को शीघ्र मूल्य चुकाने की नोटिस दी। फिर भी मिल ने जब काश्तकारों को रुपया अदा नहीं किया तो मिल पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गई।

*४०—श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे किसानों को गन्ने की कीमत प्राप्त हो सके?

श्री हुकुम सिंह—उपरोक्त मुकदमें के निर्णय होने के बाद किसानों को गन्ने का मूल्य दिलाने का प्रबन्ध किया जायगा।

नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी, इलाहाबाद में उद्योग कार्य

*४१—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी, इलाहाबाद का कितना कार्य पूरा हो चुका है और कौन-कौन उद्योगपति किस-किस व्यवसाय को वहां पर चलाने को उद्यत तथा राजी हो चुके हैं?

श्री हुकुम सिंह—अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। कुल ३२ उद्योगपति अब तक कालोनी में व्यवसाय चलाने को राजी हो चुके हैं। उनके नाम तथा व्यवसाय की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८४ पर)

*४२—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस कालोनी में उद्योग आरम्भ करने के लिये शरणार्थियों को क्या-क्या सहायता अब तक दी गई है?

श्री हुकुम सिंह—नैनी उपनिवेश में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि सस्ते दामों में दी गई है तथा दाम सुविधानुसार चार बराबर वार्षिक किस्तों में देने की व्यवस्था की गई है। औद्योगिकों को उनकी आवश्यकतानुसार नियंत्रित कच्चे माल का कोटा तथा पर्याप्त मात्रा में बिजली देने की भी व्यवस्था है। विस्थापितों को उद्योग स्थापित करने के लिये पांच हजार रुपये तक का ऋण सरकार द्वारा तथा ५ हजार रुपये से अधिक का ऋण रिहैबिलेटेशन फाइनेन्स ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाता है।

खेतों में खड़े गन्ने के पेरे जाने की सम्भावना

*४३—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इस समय गन्ना खेतों में अधिक खड़ा है ? यदि हां, तो कितना और उसके कब तक पेरे जाने की सम्भावना है ?

श्री हुकुम सिंह—सीजन १९५२-५३ में जिस समय मिलों ने पेराई करना बन्द किया लगभग २८.९० लाख मन गन्ना प्रदेश की चीनी मिलों के क्षेत्र में खड़ा रह गया था जो कि १९५१-५२ सीजन के अन्त में खड़े गन्ने के परिमाण से कम था। गन्ने के उपरोक्त परिमाण में से लगभग २८.४३ लाख मन गन्ना कोल्हू में प्रयोग कर लिया गया और शेष ४७ हजार मन गन्ना किसी प्रकार भी नहीं पेरा जा सका।

*४४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—इस वर्ष कौन सी चीनी मिल अब तक बन्द हो चुकी है और अगले किस तारीख तक बाकी चलती रहेंगी ?

श्री हुकुम सिंह—सीजन १९५२-५३ में प्रदेश की चीनी मिलें जिस तारीख तक गन्ना पेराई करती रहीं, उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८५ पर)

*४५—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि रामकोला (देवरिया) चीनी मिल ने किसी प्रकार का गन्ना लेने से इन्कार कर दिया है जो पिछले वर्ष बोया गया था ? यदि हां, तो वह कौन सा गन्ना है, कितना है, उसकी खपत का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं। यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्रों के लिये इन्सपेक्टरों की नियुक्ति

*४६—श्री किशन स्वरूप भटनागर (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्र के लिये चार इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति योग्यता सम्बन्धी नियमों के अनुसार की गई है ? यदि हां, तो उक्त इन्स्पेक्टरों की योग्यतायें क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह—कस्टोडियन कार्यालय, जिला बुलन्दशहर में देहाती क्षेत्र के लिये केवल तीन ही इन्क्वायरी इन्सपेक्टरों की नियुक्ति हुई है।

उनकी योग्यतायें निम्नलिखित हैं—

१—श्री अमोलक राम गुप्ता (भूतपूर्व पटवारी, हिन्दी मिडिल और हाई स्कूल)।

२—श्री छोटेलाल (हिन्दी प्राइमरी और भूतपूर्व पटवारी)।

३—श्री जगदीश प्रसाद (हिन्दी उर्दू मिडिल और भूतपूर्व पटवारी)।

कुशीनगर, जिला देवरिया की विकास योजना पर व्यय

*४७—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बतायेगी कि कुशीनगर (देवरिया) की विकास योजनाओं में अभी तक कितना व्यय हुआ है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—३,६५,७४२ रुपया।

सरकारी कार्यालयों में उर्दू में भी प्रार्थना-पत्र देने की आज्ञा

*४८—श्री वीरेन्द्र पति यादव—क्या सरकार ने इस आशय के आदेश जिला न्यायालयों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को भेजे हैं कि प्रार्थना-पत्र आदि उर्दू भाषा में भी दिये जा सकते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— सरकारी आदेश यह है कि फौजदारी, दीवानी और माल की अदालतों में लोग अपने प्रार्थना-पत्र अथवा शिकायतें देवनागरी लिपि में और यदि वे हिन्दी न जानते हों तो फारसी लिपि में, दे सकेंगे। सरकारी दफ्तरों को पत्र लिखने के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जो लोग हिन्दी नहीं जानते वे उर्दू या अंग्रेजी में पत्र लिख सकते हैं।

देहरादून के श्री खड्ग बहादुर के कुटुम्बियों को सहायता

*४९—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि सन् २७ में नैपाल के राणा परिवार की राजकुमारी मय्यां की रक्षा के लिये धनाढ्य व्यापारी हीरालाल को कलकत्ते में कत्ल कर देने के मामले में वहां की युनिवर्सिटी के Law Student देहरादून निवासी प्रसिद्ध वीर खड्ग बहादुर को आठ वर्ष की सजा हो जाने के कारण उनका पढ़ना छूट गया था?

*५०— क्या सरकार को पता है कि महात्मा गांधी के सन् ३० के डांडी मार्च में कारावास गामी देहरादून निवासी श्री खड्ग बहादुर जेल से छूटने के बाद सन् ३२ में य० पी० पुलिस द्वारा एक षड्यंत्र केस में फंसाये जाने के कारण उसी समय से अब तक लापता हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—श्री खड्ग बहादुर का हीरालाल के क़त्ल करने के मामले में सजा होने का इल्म है पर अन्य कोई सूचना नहीं है।

*५१—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार को पता है कि श्री खड्ग बहादुर के कुटुम्ब में कोई व्यक्ति न होने के कारण उनकी वृद्धा माता तथा दो कन्याओं को बड़ा कष्ट है? यदि हां, तो सरकार ने उनकी सहायता के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—श्री खड्ग बहादुर की माता श्रीमती तुलसा देवी को सरकार द्वारा ४५ रुपये मासिक पेन्शन (मय महंगाई भत्ते के) स्वीकृत की जा चुकी है।

*५२—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—[१५ जनवरी, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५३-५४—श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—[१५ जनवरी, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के कर्मचारियों पर व्यय

*५५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भ्रष्टाचार विरोधी विभाग में कितने कर्मचारी किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं और उन पर सरकार कितना व्यय कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—एन्टी करप्शन विभाग का स्वतंत्र अस्तित्व मई, १९४८ ई० तक रहा जब कि वह प्रदेशीय सी० आई० डी० की इन्वेस्टीगेशन शाखा में विलीन कर दिया गया और तब से यही शाखा एन्टी करप्शन विभाग का कार्य भी करती है। सी० आई० डी० की इन्वेस्टीगेशन शाखा की विभिन्न श्रेणियों के वर्तमान कर्मचारिवर्ग की संख्या सम्बद्ध तालिका में दी है जो मेज पर रख दी गई है। इस कर्मचारिवर्ग का कोई भाग विशिष्ट रूप से केवल एन्टी करप्शन के मामलों की जांच के लिये नहीं रखा गया है। इन कर्मचारयों पर ४,४९,८०० रु० वार्षिक व्यय होता है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३८६ पर)

*५६—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—[स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिये आर्थिक सहायता

*५७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के सन् ५२ और ५३ में उसने कितनी कितनी सहायता किस किस को दी है ?

श्री हुकुम सिंह—बुलन्दशहर जिले में गृह उद्योगों की उन्नति के लिये सन् १९५२ में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सन् १९५३ में (अब तक) जो सहायता दी गई उसका ब्योरा यों है—

नाम	ऋण रु०	अनुदान रु०	उद्योग
१—श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता, गांव परवाना	..	५००	ब्लाक प्रिंटिंग वर्क्स
२—श्री नारायन प्रसाद, खुरजा	..	५००	टी सेट बनाना
३—सर्वश्री पराची वेयर लि०, गुरुकुल, सिकन्दराबाद।	५,०००	..	पाटरी गुड्स

कुटीर उद्योग धंधों के माल के क्रय में सरकारी नीति

*५८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार अपनी क्रय नीति में इस बात का निश्चय कर रही है कि कुटीर उद्योग धन्धों के माल को प्राथमिकता दी जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह— सरकार कुटीर उद्योग धंधों के माल को खरीदने में प्राथमिकता देती है।

*५९—श्री देवकीनन्दन विभव—[३० दिसम्बर, १९५३ के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मटहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट जिला गोरखपुर, के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*६०—श्री झारखंडे राय— क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मटहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट (जिला गोरखपुर) के अधिकारियों के खिलाफ किसी विधान सभा के सदस्य ने उनके पास लिखित शिकायत भेजी थी? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— जी हां। मामले की जांच की गई और फलस्वरूप कसूरवार कर्मचारियों को उचित दंड दिया गया।

राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, गोरखपुर में एक अच्छे वर्कशाप की आवश्यकता

*६१—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय टेक्निकल इन्स्टीटयूट गोरखपुर में अल्प शक्तिवाला ही एक ब्वायलर है और इसके पूर्व का एक बड़ी शक्ति वाला ब्वायलर बेंच दिया गया है?

श्री हुकुम सिंह— जी हां।

*६२—श्री केशव पाण्डेय— क्या सरकार राजकीय टेक्निकल इन्स्टीटयूट गोरखपुर में ऊंचे पैमाने पर एक Work shop स्थापित कर के Mechanical and Electrical शिक्षा की उच्चतम व्यवस्था करेगी?

श्री हुकुम सिंह— सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

जिला सूचना अधिकारियों की नियुक्ति

*६३—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई और अगस्त के महीनों में कुल कितने जिला सूचना अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— जुलाई, अगस्त माह में ८ जिला सूचना अधिकारी और २ अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं।

*६४—श्री अनन्त स्वरूप सिंह— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन रिक्त जगहों में नये सूचना अधिकारी रखे जायेंगे? अगर हां, तो उनकी नियुक्तियां कब और किसके द्वारा होंगी?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— जी हां। रिक्त पदों के लिये भरती पुराने नियमों के अनुसार एक कमेटी द्वारा हो रही है।

न्याय तथा शासन के पृथक्करण की योजना

*६५—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में न्याय तथा शासन विभाग पृथक पृथक काम कर रहे हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— न्याय तथा शासन के पृथक्करण की योजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में लागू है :—

१—बुलन्दशहर
२—मथुरा
३—शाहजहांपुर
४—मुजफ्फरनगर
५—मैनपुरी
६—बिजनौर
७—बदायूं
८—बरेली
९—मुरादाबाद
१०—झांसी
११—फर्रुखाबाद
१२—फतेहपुर
१३—लखनऊ
१४—रायबरेली
१५—सीतापुर
१६—उन्नाव
१७—बहराइच, तथा
१८—गोंडा।

माडल उद्योग हायर सेकेंडरी स्कूल गोविन्द नगर, कानपुर में शरणार्थी छात्रों को सहायता

*६६—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (ज़िला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि माडल उद्योग हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर में सन् ५१-५२ में रिफ्यूजियों के नाम पर किन-किन बालकों की फीस कितनी-कितनी दी गयी ? क्या बालकों की नामावली सरकार मेज़ पर रखेगी ?

श्री हुकुम सिंह—माडल उद्योगशाला हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर के २७० शरणार्थी छात्रों को सन् १९५१–५२ में कुल ७,१६५ रु० ८ आना निःशुल्क सहायता के रूप में स्वीकृत हुआ। जिन विस्थापित छात्रों को निःशुल्क सहायता सन् १९५१–५२ में स्वीकृत की गई थी उनकी कक्षावार संघटित नामावली संलग्न है। निःशुल्क सहायता की रक़म प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख नामावली में अंकित है। इस बात की जांच की जा रही है कि इनमें से किन किन को वाकई सहायक धन वितरण हो चुका है। इस सम्बन्ध में पाठशाला की ग्रांट रोक दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३८७–३९४ पर)

*६७—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को पता है कि रिफ्यूजी बालकों के सरपरस्तों ने शिकायत भेजी है कि जो रुपया उनके नाम से सरकार से प्राप्त हुआ है वह उन्हें नहीं दिया गया ? उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुम सिंह—हां, केवल दो स्थानों से अर्थात् महिला विद्यालय, लखनऊ और गुरू नानक शिक्षालय, लखनऊ के बारे में अक्तूबर–नवम्बर सन् १९५२ में और तीन स्थानों से अर्थात् आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून, सिन्धी हायर सेकेंडरी स्कूल, आगरा और माडल उद्योगशाला, हायर सकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर के बारे में इस

साल (सन् १९५३ में) सन् १९५२ की शिकायत आने पर जिला विद्यालय निरीक्षकों को शिक्षा संचालक द्वारा ऐसी आज्ञायें दी गईं जिससे सही सही रुपया बंट जाये। हर एक मामले की अलग-अलग स्थानीय जांच भी की गयी और महिला विद्यालय व गुरू नानक शिक्षालय, लखनऊ और आयुर्वेदिक कालेज तथा सिन्धी हायर सेकेंडरी स्कूल के रिपयूजी छात्रों को उनका रुपया दिला दिया गया है। माडल उद्योग हायर सेकेंडरी, कानपुर के मामले में जांच करने पर गड़बड़ का पता चला है, शिक्षा संचालक ने इस संस्था की सहायक अनुदान स्थगित कर दी है और जवाब तलब किया है। अग्रिम कार्यवाही उनका जवाब आने पर की जायगी।

शिक्षा संचालक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश दे दिया है कि हर एक शिक्षा संस्था का हिसाब देखें कि कहीं और तो ऐसी गड़बड़ी नहीं है।

पब्लिक सर्विस कमीशन में साक्षात्कार के समय अंग्रेजी में प्रश्न पूछने की प्रथा

*६८—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—क्या सरकार को यह मालूम है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने साक्षात्कार (Interview) के समय अंग्रेजी में ही अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी नहीं। साक्षात्कार (Interview) के समय पब्लिक सर्विस कमीशन अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं जैसा भी स्थिति के अनुसार आवश्यक हो। उदाहरणार्थ यदि न्यूनतम निर्धारित योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री होती है, तो साक्षात्कार में प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जाते हैं? यदि न्यनतम योग्यता हाई स्कूल होती है, या ऐसा कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं होती, तो उम्मेदवारों से साक्षात्कार करते समय हिन्दी में प्रश्न पूछ जाते हैं। यदि कोई उम्मेदवार अंग्रेजी में पूछे प्रश्न नहीं समझ पाता या अंग्रेजी में उत्तर देने में उसे दिक्कत होती है, तो प्रश्न हिन्दी में ही पूछे जाते हैं; तथा उसे हिन्दी में उत्तर देने की अनुमति दे दी जाती है।

अजन्ता हिन्दी टाइप राइटर का सरकारी कार्यालयों में प्रयोग

*६९—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Provincial marketing Federation द्वारा सन् १९४९ ई० में Ajanta हिन्दी टाइप राइटर (Typewriter) मशीनें लगभग ८०० के प्रदेश के सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों के लिये खरीदी गई थीं।

श्री हुकुम सिंह—सरकार ने इस फेडरेशन के द्वारा मशीनें नहीं खरीदीं। जहां तक सरकार को ज्ञात है, फेडरेशन ने कुछ अजन्ता स्टैन्डर्ड हिन्दी टाइप राइटर बिक्री करने के लिये खरीदे थे। सरकार ने इन मशीनों को प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करने के लिये स्वीकार किया तथा एक रेट कान्ट्रैक्ट भी सन् १९४९ ई० में किया।

*७०—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी—यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि ये मशीनें बेकार गोदाम में पड़ी हैं और काम में नहीं लाई जातीं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह--(अ) सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

बेकार मजदूरों तथा बुनकरों के लिए कारोबार का प्रबन्ध

१--श्री लक्ष्मण राव क़दम--क्या सरकार को पता है कि खारुआ कपड़ा व बीड़ी के पाकिस्तान में जाना बन्द हो जाने से हजारों बुनकर व मजदूर बेकार हो गये हैं?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, कुछ बुनकर व मजदूर बेकार हो गये हैं।

२--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार उक्त मजदूरों व बुनकरों का कारोबार जारी कराने के लिये केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर फौरन ही आकर्षित करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह-- केन्द्रीय सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही है।

मनोरंजन कर से आय

३--श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र--क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९४६-४७ और सन् १९५१-५२ में मनोरंजन कर के दर क्या थे और दोनों वर्षों में अलग-अलग कितनी मनोरंजन कर से आय हुई और इन वर्षों में सिनेमाओं की संख्या क्या थी?

४--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४६-४७ में मनोरंजन-कर विभाग पर कितना व्यय हुआ था और सन् १९५१-५२ में कितना व्यय हुआ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त-- मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३९५ पर)

५-६--श्री गेंदा सिंह--[स्थगित किये गये।]

७-८--श्री गेंदा सिंह--[१४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--मेरे पास विरोधी दल के नेता, श्री राजनारायण ने एक पत्र के साथ एक शिकायत भेजी है कि जो वक्तव्य माननीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को दिया था उसमें कुछ ऐसी बातें कहीं जो सत्य नहीं हैं और सदन को धोखा देने का उन्होंने प्रयत्न किया। मैं इस प्रश्न का वैसे फैसला कर देता और उनको सूचित भी कर देता किन्तु मैंने यह देखा कि यद्यपि मैंने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि यहां पर वह इस प्रश्न को उठा सकें क्योंकि उन्होंने कोई वक्तव्य की नक़ल मेरे पास नहीं भेजी और न धोखा देने के सबूत में उन्होंने कोई बात लिखी तो भी ऐसी चीज को प्रकाशित कर दिया गया। मेरी समझ में प्रकाशन अधिक नहीं होना चाहिये था कम से कम उस शिकायत के विषय पर। केवल इतना ही प्रकाशित हो जाता कि इस तरह की बात उठाई गयी परन्तु अध्यक्ष ने अनुमति देने का निर्णय स्थगित रक्खा, मैंने उसके विपरीत देखा कि उसकी चर्चा अधिक हुई। इसलिये मैंने यह उचित समझा कि मैं इसका फैसला यहां आज दे दूं।

[श्री अध्यक्ष]

श्री राजनारायण जी ने जहां तक नियम की आवश्यकता है उसकी पूर्ति अभी भी नहीं की है। केवल वक्तव्य तो मेरे पास भेजा और वक्तव्य के बारे में उन्होंने कह दिया कि फलां-फलां बात जो वक्तव्य में कही गई है वह असत्य है। तो एक ओर वक्तव्य सरकार का और दूसरी तरफ एक माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह झूठ है। न उसका कोई सबूत, न कोई डाक्यूमेंट मेरे पास भेजे जिससे कोई भी चीज प्रतीत हो सके। इस सदन का जो साधारण रिवाज है और जिसको हम समझते हैं कि बहुत सभ्य रिवाज है वह तो यहां तक जाता है कि अगर कोई माननीय सदस्य कोई बात कह भी जायं और सब सुन भी लें और उसके बाद यदि उस बात पर आक्षेप होता है और अगर वह माननीय सदस्य यह कह देते हैं कि मेरा इरादा यह नहीं था और मैंने इस तरह से या उद्देश्य से कहा था, तो सब लोगों के पहिली बात को सुनने पर भी यह नहीं कहा जाता कि तुम असत्य कह रहे हो। उसका स्पष्टीकरण स्वीकार किया जाता है। मेरे पास इसके बारे में केन्द्रीय पार्लियामेंट की एटीकेट के बारे में हिदायतें आई थीं और मैं उनमें से एक वाक्य पढ़ कर सुनाये देता हूं :— When a member makes a statement to explain his intention, the House has generally to accept it. [जब कोई सदस्य अपना आशय स्पष्ट करने के लिये वक्तव्य देता है तो सदन साधारणतया वक्तव्य को स्वीकार करता है।]

तो यदि जानबूझ कर कि यह बात असत्य है कह दी जाय तब तो धोखा देना हुआ। लेकिन विश्वास करने पर कि यह बात सत्य है, चाहे वह वास्तविकता से परे हो, वास्तविकता में वह सही साबित न हो, लेकिन यह विश्वास करके कि जहां से उसे इत्तिला मिली वह सही है कोई सदस्य यहां भाषण दे दे तो उसे धोखा देना नहीं कहा जा सकता है।

दूसरे माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि उसका उसी वक्त वह प्रतिवाद कर दे कि बात जो कही गयी है वह ग़लत है। अगर यह तरीका नहीं होता है और किसी बात की सच्चाई की तहकीकात होना शुरू हो तो एक तरह से यह सदन एक अदालत सी बन जाय। फिर बात को सही या ग़लत साबित करने के लिये गवाही ली जाय। इस प्रकार मैं समझता हूं कि सदन का जो अस्तित्व है वही खतरे में पड़ जायगा और जिस कार्य के लिये यह सदन बनाया गया है वह काम आगे नहीं बढ़ सकता है।

यहां बोलने का पूरा स्वातंत्र्य है, उस पर धक्का लग सकता है। माननीय राजनारायण जी कोई बात बाहर सुनकर आये और उन्होंने ईमानदारी से बात कहने की कोशिश की और एक वक्तव्य यहां दे दिया। दूसरे सज्जन ने साबित कर दिया कि वह असत्य बात है, वास्तविकता से परे है और यह कह दिया कि धोखा देने के लिये कहा है तो इस प्रकार से साल भर इसी में बीत जायगा क्योंकि एक दूसरे के विरोध में सदस्य कहा ही करते हैं और खंडन किया ही करते हैं। तो किसी न किसी की तो बात असत्य रहती ही है और वास्तविकता से ग़लत साबित हो सकती है। इसीलिये सदन में पूर्ण रीति से स्वतंत्रता दी गयी है कि कोई सदस्य किसी बात को सत्य समझे उसका यहां पर बयान दे, अपने विचार प्रगट करे, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार का प्रश्न कभी भी इंगलैण्ड की पार्लियामेंट में कि किसी सदस्य ने सत्य बात कही हो या असत्य बात कही हो उसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया है।

मैं भी लगातार दो तीन रोज से कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा ही प्रश्न मेरी दृष्टि में आवे जो इंगलैण्ड की पार्लियामेंट में कभी उठाया गया हो किसी सदस्य के खिलाफ। यहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न पिछली असेम्बली के जमाने में श्री त्रिलोकी सिंह जी ने उठाया था और इस सदन के जो उपाध्यक्ष उस समय थे उनका बहुत विचार-

पूर्वक दिया हुआ फैसला कार्यवाही में पाया जाता है। मैं उसके थोड़े से वाक्य सुना देना चाहता हूं। उसमें उनके शब्द यह हैं कि —

"इस सिलसिले में मुझे हाउस आफ कामन्स का कोई ऐसा फैसला नहीं दिखाया गया जिसमें किसी माननीय सदस्य के खिलाफ वहां के सदन ने कोई असत्य बात कहने पर यह तय किया हो कि उसने विशेषाधिकार की अवहेलना की।" यह शब्द स्पष्ट हैं और मुझे भी नहीं मिला। मुझे मालूम हुआ कि राजनारायण जी ने यह लिखा कि धोखा देने के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर पार्लियामेंट में उनके खिलाफ कार्यवाही की है। थोड़ा सा मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस किताब में जिक्र इस किस्म का आता है गवाही के बारे में। कोई इंक्वायरी पार्लियामेन्ट सेट अप करे और उसमें कोई गवाह धोखा देने की कोशिश करे कमेटी को, तो उस वक्त ऐसी चीज उठाई जा सकती है।

दूसरे किसी अदालत में किसी माननीय सदस्य ने कसम लेने के बाद पर्जरी की, उसके ऊपर पर्जरी के लिये चूंकि एक माननीय सदस्य बड़ी जिम्मेदारी के स्थान पर होने पर भी झूठ बोलता है, कसम खाकर दंडित होता है इसलिये सदन और भी उसे दंड दे सकता है कि वह उसे सदन से निकाल दे। इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन कोई माननीय सदस्य एक वक्तव्य देता है, मुमकिन है उस वक्तव्य की सब बातें सही न हों तो उसके ऊपर विशेषाधिकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। नहीं तो बोलने का जो यहां स्वातंत्र्य है उसके ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात होगा और इस सदन का कार्य नहीं चल सकगा। इस दृष्टि से और जो मैंने और वजह बतलाई मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं इस बात की इजाजत दूं कि यह प्रश्न एक विशेषाधिकार का प्रश्न बनाकर उठाया जाय। अब प्रश्न यह उठता है कि जो बात कही गयी वह अगर असत्य कही गयी तो क्या उसके लिये माननीय सदस्य कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते थे? इसके सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देता हूं जो मैंने पहले भी दिया था जब कि श्री राजनारायण जी ने मुझसे फोन पर बातें की थीं। मैंने उनसे कहा था कि वे गृह मंत्री के पास लिखकर भेज दें कि यह वाक़या ग़लत है और मेरी जानकारी में यह बात सही है। इस पर तहकीकात के बाद वे उनको बतला देंगे कि तहक़ीक़ात से क्या बात उन्हें सत्य प्रतीत हुई जो वाक़या सरकार की तरफ से बयान किया जाता है उसके बारे में जब तक मंत्री यह न कहें कि यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, आंखों से देखा है अगर वह बात ग़लत साबित हो तब तो यह आक्षेप किया जा सकता है कि वह झूठ है। लेकिन यहां मंत्री लोग जो इत्तला देते हैं वह उन्हें बाहर से अफ़सरों आदि से ही मिलती है और वे उस पर विश्वास करके उस इत्तिला को भवन को दे देते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है इसमें किसी को धोखा देने की बात नहीं है। इस तरह से जो इत्तला दी जाती है उस पर झूठ का आरोप मंत्रियों पर नहीं लगाया जा सकता और माननीय सदस्य भी ऐसी ही बाहरी इत्तिला पर विश्वास करके जो बात कहते हैं, उसके द्वारा भी वे धोखा देना नहीं चाहते। सत्य जानने की तरकीब यह है कि अगर वह इनफार्मेशन ग़लत है तो वैसा माननीय मंत्री महोदय से कह सकते हैं। तहकीकात के बाद अगर वे उसको ग़लत पायेंगे तो वे फिर यह कह सकते हैं कि उन्होंने पहले सदन को ऐसी इत्तिला दी थी लेकिन वह ठीक नहीं है और ऐसा एक मर्तबा इस सदन में कुछ दिन पहले हो भी चुका है। माननीय गृह मंत्री ने लड़कियों को चोट लगने के बारे में यह कहा था कि उन्होंने जो पहले सदन को सूचना दी थी वह ग़लत थी और उसके लिये उन्होंने अफसोस भी जाहिर किया। यही गौरवपूर्ण तरीका है और इसी तरह से इस सदन की शोभा और मर्यादा बढ़ती है। इसलिये इन सब विचारों को सामने रख कर राजनारायण जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखा है, उसको प्रस्तुत करने की मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। वह यह कि—

"A libel on a member's extra parliamentary conduct may, however, constitute a breach of privilege if it is designed to influence the proceedings of the House"

अगर ऐसी बात हो तो ?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में आ जायं और जो बहस उस सम्बन्ध में आपको करनी हो वह वहां कर लें। यहां तो जो मुझे कहना था वह कह चुका।

१९५३-५४ के विभिन्न अनुपूरक अनुदानों के लिये समय विभाजन

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—जिन अनुदानों में हमारी विशेष दिलचस्पी है अगर उनको पहले ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि उनका क्रम इस प्रकार से बदल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं पहले विरोधी दल के नेता सुझाव रखेंगे उसके बाद आप भी रख सकते हैं।

राजा वीरन्द्रशाह—मैंने सब लोगों से परामर्श कर लिया है। उनका क्रम इस प्रकार से रख दिया जाय—

एजेंडे में जिसका नम्बर	३	है उसको नम्बर	१	कर दिया जाय
"	५	"	२	"
"	१३	"	३	"
"	६	"	४	"
"	७	"	५	"
"	१९	"	६	"
"	२१	"	७	"
"	२२	"	८	"
"	२५	"	९	"
"	२६	"	१०	"
"	२८	"	११	"

इनके अलावा श्रीमान् जी जिस तरह चाहें वैसे रख दें।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप कोई समय तो निर्धारित कर दीजिये। श्री राजनारायण जी, आपको यह स्वीकार है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जब श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने बातचीत करके तय कर लिया है तो मुझे यह स्वीकार है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आवश्यक कारणों से मैं थोड़ी देर के लिये इस स्थान में नहीं रहूंगा। मैंने विरोधी दल के माननीय नेता से यह अनुरोध किया था कि वे इस बात को मान लें कि नं० ६ और ७ तीन बजे के बाद यदि लिया जाय तो आसानी होगी और उन्होंने मुझसे कहा है कि उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष (राजा वीरेन्द्र शाह से) तो इसका टाइम अब आप और सजेस्ट कर दीजिये क्योंकि साढ़े चार बजे तक इसको खत्म होना चाहिये। एक घंटा तो अभी है और सवा दो घंटा उस वक्त होगा। यानी सवा तीन घंटा कुल उसके लिये समय है। तो उसका बटवारा आप कर दें, तो उचित होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटमोशन मूव करेगा उसके लिये तो १० मिनट रख दिया जाय और बाकी वक्ताओं के लिये ७ मिनट।

श्री अध्यक्ष— यह मैं नहीं कह रहा हूं। अनुदानों के लिये मैं चाहता हूं कि आप बतला दें किसके लिये कितना समय दिया जाय क्योंकि मुझे अनुदानों के लिये समय निर्धारित करना है।

राजा वीरेन्द्र शाह-- नं० १ अनुदान के लिये डेढ़ बजे तक ले लीजिये। उसके बाद हम लोग तय करके आपको बतला देंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---असेम्बली का कार्यक्रम क्या होगा? इसकी सूचना मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---साढ़े चार बजे तक इन अनुदानों के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव है उनके ऊपर विचार किया जायगा और बाकी जितने अनुदान रह जायेंगे उन सब अनुदानों के ऊपर बिला विवाद वोट ले लिया जायगा और अनुदानों के बाद आगे अगर कोई समय बढ़ाना चाहेगा तो सदन की आगे की कार्यवाही होगी लेकिन उसके लिये प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)— अनुदानों के बाद मैं चाहता हूं कि कुछ बिल जो बाकी रह गये हैं उनमें से कुछ ले लिये जायं। उसके बारे में विरोधी दल के नेता से परामर्श करके फिर जो बात अगर निश्चित हो सकी तो उसे बतला दूंगा और अगर निश्चित नहीं हो सकी तो क्या करना होगा उसे भी यहां पर निवेदन कर दूंगा।

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या ६-लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६ रजिस्ट्री-लेखा-शीर्षक ११ (रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६ रजिस्ट्री-लेखा शीर्षक ११-रजिस्ट्री के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख-राजस्व से किये जानेवाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९, राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर) लेखाशीर्षक, १७, १८, और १९-ख के अन्तर्गत १,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४, के लिये स्वीकार की जाय।

[श्री रममूर्ति]

श्रीमन्, सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांगों का जो स्मृतिपत्र है उसमें इसके बारे में काफी दे दिया गया है फिर भी मैं अब माननीय सदस्यों की सूचना के लिये इतना कह देना जरूरी समझता हूं। मुरादाबाद जिले में गंगा जी के किनारे एक तिगरी गांव है। सन् १९५० में गंगा जी में बाढ़ आने की वजह से इस गांव में काफी नुक़सान हुआ। कुछ गांव का हिस्सा बह गया और खादर में खेती करने का जो रकबा था उसका भी नुक़सान हुआ। उसके बाद जो स्थानीय बाढ़ सुरक्षा समिति है उसकी बराबर इस बात के लिये मांग रही है कि इस गांव को बचाने के लिये सरकार कुछ करे। तो उसके संबंध में सिंचाई विभाग का जो रिसर्च सेक्शन है उसमें मीटिंग की गई है उसके बाद यह तय हुआ कि जहां मेरठ और मुरादाबाद जिलों को जानेवाली सड़क मिलती है वहां पर एक नुकीली दीवार बनाई जा रही है जिसको अंग्रेजी में स्पर कहते हैं। उसके लिये २ लाख ९२ हजार रुपये के खर्च का इस्टीमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया और इस बरसात से पहले इस काम को समाप्त कर दिया। उसके लिये १ लाख ४२ हजार रुपये की जरूरत पड़ी थी। वह आपके सामने मैंने पेश कर दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा) माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी किये जाने का प्रस्ताव मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रान्त में एक आन्दोलन सा खड़ा हो रहा है उन इलाकों में जहां पर कि सिंचाई के रेट्स जो सरकार ने हाल ही में बढा दिये थे। वहां के किसान लोग उसे नहीं दे सकते हैं। खबरों से पता चलता है कि प्रान्त व्यापी आन्दोलन इस सिलसिले में जगह जगह होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह तो सत्य है कि सिंचाई का प्रबन्ध होना ही चाहिये और इसीलिये फाइव ईयर प्लान में सिंचाई को फर्स्ट प्रायरिटी दी गई है। लेकिन आज जिस तरह से सिंचाई का इंतजाम हमारे इस प्रांत के अन्दर हो रहा है उससे हम लोग अभी पूरे तौर से संतुष्ट नहीं हैं। जहां नहरें नहीं हैं वहां तो नहरें खोदी ही जा रही हैं सरकार का प्रयत्न यही रहा है। परन्तु जहां ट्यूबवेल्स और पम्पिंग सेट्स होते हैं वहां ठीक ठीक इंतजाम गवर्नमेंट की ओर से नहीं हो पाया है। जहां ट्यूबवेल्स लगे हैं वहां बिजली नहीं मिलती है जिसकी वजह से वे ट्यूबवेल्स बिलकुल बेकार हो जाते हैं। हमारी सरकार ने यह भी प्रयत्न किया था कि कुछ पम्पिंग सेट्स दे दिये जायेंगे उन लोगों को जहां पर न तो ट्यूबवेल्स काम कर सकते हैं और न नहरें हैं। वहां पर कुछ पम्पिंग सेट्स दे कर वहां के इलाकों के लोगों को पानी का कोई इंतजाम करेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि, अब जनवरी का महीना आ गया है और इस साल मार्च के महीने तक जो रुपया पम्पिंग सेट के लिये दिया जाता अभी तक सरकार ने इस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं भी सरकार से इस बात को बार बार कहते थक गया हूं कि वह पम्पिंग सेट का इन्तजाम करने का प्रयत्न करे लेकिन अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। अभी हाल ही में माननीय सूचना मंत्री हमारे यहां गये थे। पम्पिंग सेट ही ऐसी चीज है जो कि पहाड़ पर काम आ सकती है। माननीय मंत्री जी ने हमारी इस मांग की तरफ अपनी सहानुभूति दिखाई थी और हमको आशा थी कि पम्पिंग सेट हमको बहुत जल्द मिल जायेंगे लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं किया गया।

जहां तक सिंचाई का प्रबन्ध है वह सिंचाई नहरों के द्वारा हुआ करती है परन्तु बुन्देलखंड और पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि जहां पर सिंचाई का नहरों के द्वारा प्रबन्ध नहीं हो सकता है वहां पर पम्पिंग सेट ही काम कर सकते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हमारे इंजीनियर मुल्क में नहरों के खुदवाने की बात करते हैं क्योंकि उसमें १० परसेंट का हिस्सा रहता है। परन्तु कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे पानी को ऊपर पहुंचाया जा सकता है और जिसकी तरफ अभी तक सरकार ने कोई तवज्जह नहीं की है और न अभी तक वहां सरकार का ध्यान गया है। मैं समझता हूं हमारे प्रांत में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस किस्म के ऊंचे इलाके

हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। जैसे पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सरकार ने अभी तक पानी पहुंचाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। वहां पर, हाईड्रोलिक रैम्स की व्यवस्था करने का सरकार का इरादा है। मैंने देखा कि बम्बई में बहुत सी ऊंची जगहों पर ऐसा प्रबन्ध किया गया है और पानी पहुंचाया गया है। वहां पर हाईड्रोलिक रैम्स के जरिये से पानी ऊपर पहुंचाया जाता है। हमारे प्रान्त में सरकार का ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं गया है। मैंने माननीय सूचना मंत्री को यह सारी स्कीम दिखायी और खुद जाकर इस बात को दिखाया क्योंकि मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूं और मैंने भी अपने यहां ऊपर चोटी पर पानी पहुंचाने के लिये हाईड्राम लगा रक्खा है और उस से ऊंचे ले जाकर बहुत दूरी पर पानी पहुंचाया है। इसी प्रकार से सरकार भी ऊपर पानी ले जानेका प्रयत्न कर सकती है। हमारे यहां वह मशीनरी बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें कोई नहर वगैरा बनवाने की बात नहीं है और न किसी इंजीनियर को उससे कुछ मिलने वाला है। उसको सीधे डील किया जायगा और उसमें किसी को मिलने वाला नहीं है तो इंजीनियर या ओवरसियर उसमें दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। सरकार एक तरफ तो नहर बनवा रही है, ट्यूबवेल्ल लगा रही है और इस प्रकार से प्रबन्ध कर रही है लेकिन जहां पर ऊंची जगह है और पानी की आवश्यकता है वहां पर पानी का प्रबन्ध होना, सिंचाई का इन्तजाम होना नितान्त आवश्यक है। वहां पर सरकार को सिंचाई का प्रबन्ध करना चाहिये। सिंचाई न होने की वजह से पहाड़ों पर या बुंदेलखंड में जो बाग हैं वह सूख रहे हैं और फलों की व्यवस्था कम होती जाती है। जब तक पानी का प्रबन्ध नहीं होगा फलों की पैदावार अधिक नहीं हो सकती है। जब अन्न की पैदावार के लिये ही पानी कम है तो फिर बागों के लिये किस तरह का प्रबन्ध हो सकता है? पानी का प्रबन्ध होना एक ऐसी चीज है जिससे पैदावार बढ़ सकती है। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे प्रांत में अगर हाईड्रोएलेक्ट्रिक और सिंचाई का प्रबन्ध एक ही मंत्री के हाथ में दे दिया जाय तो इससे बहुत आसानी से सिंचाई का मसला हल हो सकता है। हर्टिकल्चर का भी डेवलपमेंट हो सकता है और अन्न भी अधिक पैदा हो सकता है। एक आदमी के हाथ में रहने से यह होगा कि नहरों का जब प्रबन्ध होगा तो उसी जरिये से हम फाल बनाते हैं जिससे हमारी बिजली पैदा होती है। इस वजह से एक मंत्री के हाथ में अगर यह विभाग रहेंगे तो काम ज्यादा और सुविधा से हो सकेगा और व्यवस्था भी ठीक प्रकार से चलेगी। इस पर मैं फिर अगला बजट आयेगा तो और कहूंगा लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना आवश्यक समझता हूं क्योंकि इससे जनता को बहुत कष्ट होता है। सिंचाई का जो बड़ा प्रश्न है उस पर सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है और जैसा कि मैंने सुझाव दिया हाईड्रोलिक रैम्स वगैरा का इन्तजाम बुन्देलखंड और पहाड़ों के लिये करे और सोसाइटीज के जरिये से यह सब काम कराया जाय जिस तरह से ग्रो मोर फूड कम्पेन में किया गया है और जिसमें काफी सफलता भी मिली है। मैं समझता हूं कि इसी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा पश्चिमी जिलों को इसलिये टाल दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि वहां तो पहले से ही आबपाशी की उन्नति बहुत काफी है लेकिन बिजनौर के जिले में गंगा जी किनारे पर बहती हैं वहां कोई नहर नहीं है रामगंगा बहती है लेकिन कोई नहर नहीं है। कुछ जगह कुछ ट्यूबवेल्स अवश्य बनाये गये हैं लेकिन वहां के बहुत से भाग ऐसे हैं कि जहां पानी का कोई सुभीता नहीं है नजीबाबाद, नगीना और अफ़ज़लगढ़ के परगनों में कहीं ट्यूबवेल्स नहीं हैं और कोई भी पानी का सुभीता नहीं है। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि उस हिस्से को जहां आबपाशी का कोई जरिया नहीं है, खासकर नजीबाबाद में, वहां पानी का प्रबन्ध करे।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--आन ए प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, जो अनुदान अध्यक्ष महोदय, प्रांट नम्बर ९ के अन्तर्गत मांगे गये हैं वह एक विशेष अनुदान है जो तिगरी

[श्री केशव गुप्त]

में गांव बह जाता था उस के संबंध में है। परन्तु यहां पर ट्यूबवेल्स पर बहस होना आरम्भ हो गई है। मैं समझता हूं कि उससे उन का कोई मतलब नहीं है और यह असंगत है।

श्री अध्यक्ष—आप को प्वाइन्ट आफ आर्डर के उत्तर में जो कहना है, कहें।

श्री रतन लाल जैन—यह तो ठीक है कि यह मांग तिगरी गांव के संबंध में है लेकिन जहां भी आबपाशी की कमी है वहां का जिक्र करना भी उचित ही होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस चीज पर अनुदान है आप उसी पर स्थिर रहें तो अच्छा है।

श्री रतन लाल जैन—तो अनुदान तो ठीक ही है, यह रकम अवश्य देना चाहिये मुझे और कुछ विशेष नहीं कहना है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस प्रकार की सहायता तिगरी में देने के लिये अनुदान रखा गया है उस के लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस प्रकार के अनुदान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। जिस स्थान पर छोटी नदी या बड़ी-बड़ी नदियां बह रही हैं वहां पर देखा जाता है कि गांव दिन पर दिन तबाह होते चले जा रहे हैं। अगर इस तरह की सहायता दी जायगी तो गरीब किसान और मजदूरों के निवासस्थानों को और कृषि संबंधी रोजगारों को बचाया जा सकता है और इस तरह से गरीबों पर बड़ी भारी कृपा सरकार की हो सकती है मैंने यह देखा है कि गंगा और जमुना के किनारे के जितने गांव हैं वह प्रतिवर्ष प्रायः तबाह होते चले जा रहे हैं और सरकार के सामने भी सदा ही यह कठिनाई रहती है कि यदि उनको उचित रूप से बाढ़ से न बचाया जाय तो उन के बसाने आदि का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। ऐसी जगहों के लिये जहां नदियां भूमि को काटती हैं और गांव नष्ट होते हैं और जहां बांध आदि की आवश्यकता है वहां के लिये मैं समझता कि यह अनुदान का रुपया बहुत ही कम है। मैंने देखा है कि जमुना के निकट कई एक गांव कई वर्ष हुये नष्ट हो गये थे। सन् १९२४ ई० में सैकड़ों गांव नष्ट हो गये थे। अब तक वह स्थायी रूप से नहीं बस सके। अब भी उनको अत्यन्त संकट है। अभी इसी संबंध में एक झगड़ा यह चल रहा है कि एक गांव की जो भूमि थी दूसरे गांव ने आकर उस पर कब्जा कर लिया और अब उस हालत को देखकर जो उस गांव के पहले के निवासी थे वह उसको अब फिर अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। अतः मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार से यदि यह रुपया हमारी सरकार दे जिससे कि वह गांव नष्ट न हों, बच जायं तो यह उन गांव वालों के लिये अत्यन्त सुविधाजनक बात होगी। गंगा खादर में सैकड़ों गांव बरबाद हुये और साथ ही साथ यह भी एक बड़ी हानि सरकार को उठानी पड़ी कि उनके लिये तकाबी या और दूसरे स्थानों पर बसने के लिये बड़ी भारी संख्या में रुपया खर्च करना पड़ा। अतः यदि पहले ही इस दशा को सुधार लिया जाय तो यह एक अत्यन्त ही सुविधाजनक बात सरकार के लिये होगी और उन गरीबों के लिये भी एक लाभदायक बात यह होगी कि वह इस संकट से बच जायेंगे। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आगामी बजट जो हो, उसमें, इस प्रकार से नदियों के पास जो संकट हों उनसे बचाने की कृपा की जाय और भविष्य में उनके लिये एक पर्याप्त मात्रा में रुपया रखा जाय क्योंकि हमारे इस कृषि संबंधी देश में यह अत्यन्त आवश्यक है कि उनके खेतों को और उनके निवास स्थानों को बचाने का प्रयत्न किया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से रुपया रखने में यदि हमारी सरकार एक उदार दिल से काम करेगी तो हमारे इन कृषि संबंधी कार्यों में अत्यन्त सहायता पहुंचेगी। इसलिये मैं अपने माननीय महोदय से आपके द्वारा यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस गांव को बचाने के लिये जो रुपया रखा है यह सराहनीय मद है और हमको इसी प्रकार के कामों के लिये माननीय महोदय से निवेदन करना चाहिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त आवश्यक है। मैं उसके लिये हृदय से अपने माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं। लेकिन तिगरी ग्राम के बचाने के लिये जो धनराशि सरकार ने व्यय करने का निश्चय किया है दो लाख ९२ हजार रु० उसमें से इसमें १ लाख ४२ हजार रु० अनुदान रखा गया है और जो धनराशि उस विभाग में उस मद में बचती है वह सरकार उसमें उपयोग में ले आयेगी यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि कटाव से एक गांव को बचाने के लिये सरकार ने यह प्रयास किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे बड़ा दुख हुआ जबकि हमने देखा कि पिछली दफा मार्च में यह एक सवाल प्रस्तुत किया गया था कि गोरखपुर और देवरिया जिले में दो सौ गांवों को एक नदी से बचाने के लिए एक नाले के भरने से काम हो सकता है और दो सौ गांव बचाये जा सकते हैं। इसमें मैंने देखा कि अनुपूरक में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। आज वह दो सौ गांव ऐसे हो गये हैं कि जिनको सारो आफ देवरिया कह सकते हैं और प्रत्येक वर्ष वहां ऐसी दशा होती है जिसके कारण आज वहां के किसानों ने हजारों गायें विवश होकर के चारे के अभाव में अपने घर से सर्वदा के लिए निकाल दी हैं और आज मैं एक संकोच के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक भुखमरी की अवस्था पैदा हो गयी है। मैंने बार बार इस सदन में सरकार का ध्यान आपके द्वारा इस ओर आकर्षित किया लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुयी जब कि उस पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि सरकार को प्रति वर्ष बाढ़ के बचाव के लिये लाखों रुपये व्यय करने पड़ते हैं-लेकिन यह एक ऐसा कार्य है कि जिसमें केवल जहां तक मेरा ख्याल है पांच-छ लाख रुपये से ज्यादा इस पर खर्च होने वाला नहीं है और इससे एक बड़ा भारी उपकार हो जायगा जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि उस जिले में इतनी गहरी आबादी है कि एक एकड़ में तीन आदमी अपनी गुजर कर रहे हैं। इस तरह आप दो, ढाई सौ गांव बचा लेंगे। मेरा मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वह पूरा ध्यान देने की कृपा करें।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुये इस सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हू जोकि इससे संबंधित हैं। जिला अल्मोड़ा में रिणबिछुल, बाराबिसी गांव में ऐसी जगह है जहां २,००० नाली जमीन दरियाबुर्द हो चुकी है। वहां के किसानों के खेतों का प्रोटेक्शन वाल होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन यह इलाका ज्यादा दूर होने की वजह से सरकार का ध्यान इन इलाकों की ओर नहीं गया है। पर इन गरीबों के लिये जरूर कुछ न कुछ सरकार को शीघ्र ही करना चाहिये ताकि ऐसी जो जमीनें बाढ़ की वजह से दरिया-बुर्द हो गयी हों उनके लिये प्रोटेक्शन वाल बनायी जा सके।

गांव सेरी पट्टी सेठी में लैन्डस्लिप होने से काफी मकान गिर गये हैं और काफ़ी जमीन अपने स्थान को छोड़ कर खिसक चुकी हैं। तो वहां भी प्रोटेक्शन वालों की काफी आवश्यकता है। पहाड़ी इलाका हमेशा एक डेफिसिट एरिया है। सरकार हमेशा वहां के लिये ग्रेन सब्सिडी भेजती रही है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि "रेमेडी इज बेटर दैन क्योर।" अगर बजाय इसके कि सरकार वहां के लिए सब्सिडी में ग्रेन भेजती रहे वह एक ऐसी चीज बनाये जिससे कि सरकार को सब्सिडी न भेजनी पड़े और वहां के लोग भी अपने यहां अनाज ज्यादा पैदा कर सकें। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां भी कोई ऐसे गूल जो वाटर चैनल्स कहलाते हैं, अगर सरकार मदद दे तो उनकी योजनायें वहां कार्यान्वित हो सकती हैं। गोकि नहर वहां नहीं बनायी जा सकती लेकिन छोटी-छोटी गूलें जिन में थोड़ी रकम खर्च होगी पहाड़ी इलाकों में भी चलायी जा सकती हैं। अभी एक गूल बलतड़ी नाम से वहां बनी। सरकार की ओर से वहां ६५,००० रु० खर्च हुआ। लेकिन एक फ़र्लांग उस गूल की मरम्मत न होने से वहां जो कुछ फ़ायदा होना चाहिये वह जनता को नहीं

[श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट]

हुआ और इतना रुपया भी खर्च हुआ। तो सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिये और इन बातों को रोकना चाहिये। अब तक यह हुआ है कि वहां नहर विभाग था और वह इन सारे मामलों को देखा करता था, मगर अभी हाल में वहां के सब कर्मचारियों को जिला नियोजन कमेटी में अमलगमेट कर दिया गया है। पहले तो नहर विभाग एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता था उसको जिला नियोजन कमेटी से मिलाने से एक नयी स्थिति पैदा हो गयी है। वह पहले कई गूलों का निर्माण किया करता था मगर जब से अमलगमेशन हुआ तब से यह हो रहा है कि हम लोग वहां जिला नियोजन कमेटी में जाते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं मगर कोई भी चीज कार्यान्वित नहीं होती। जो पास करते हैं उन चीजों में से एक का भी इम्पलीमेंटेशन नहीं होता।

मैंने कई बार सरकार का ध्यान एक हल्दू-गूल की ओर दिलाया है। वहां जनता ने साढ़े तीन मील गूल श्रमदान द्वारा बनायी और २२,००० रु० का काम जनता ने श्रमदान से किया, लेकिन एक फर्लांग के न बनने से वह ऐसी ही पड़ी हुयी है। अगर जिला नियोजन कमेटी इस तरफ ध्यान देती तो हर एक काम उस से हो सकता है।

एक ठुलीगाड़ जल-विद्युत योजना के नाम से स्कीम बनायी गयी। कुसेरी गांव से बसखौला तक एक गूल को निकालना था। हजारों नाली जमीन की सिंचाई उस से होती और बड़े झरने भी निकलते जिससे बिजली भी पैदा होने की सम्भावना थी, लेकिन अब तक जिला प्लानिंग कमेटी ने इस पर कोई विचार नहीं किया। ऐसे ही एक जजुराली की गूल है जिसमें श्रमदान से काफी काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा काम जो कि सरकार की तरफ से होना चाहिये था उसके न होने से वह गूल ऐसी ही पड़ी हुयी है। चोपड़ा मुवानी भढ़कटिया, ऐसी ही बहुत सी गूलें हैं जिन में श्रमदान से काफी काम हुआ, वहां की जनता में काफी उत्साह था और वहां काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता था, मगर उस की ओर सरकार का ध्यान न होने की वजह से सब ऐसे ही पड़ी हुयी हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इनकी ओर ध्यान देगी और इन चीजों को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही चम्पावत तहसील के अन्तर्गत भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां गूल निर्माण की जा सकती है चूंकि समय अब नहीं रहा है अन्यथा मैं उन सब पर प्रकाश डालता। जो गल्ला हम पर्वतीय इलाकों को वहां से भेज रहे हैं उस पर जो लाखों रुपये का खर्चा सरकार का हो रहा है उस को भी हम बहुत कुछ बचा सकते बशर्ते कि उन गूलों में थोड़ी सी धनराशि खर्च कर दी जाती जिससे कि वहां बहुत सा अनाज पैदा हो सकता। इससे वहां के ग़रीबों को भी तकलीफ न होती और सरकार को भी उन इलाकों में सब्सीडाइज्ड ग्रान्ट देने की जरूरत नहीं होती।

श्री मुहम्मद तक़ी हादी (जिला मुरादाबाद)—मैं अपने सिंचाई मंत्री साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस मांग को रखकर इस रुपये को मंजूर किया और उस बड़ी दिक्कत को जो कि तिगरी के इलाके में पहुंचने वाली थी उसे रोक लिया। जैसा कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि तिगरी ऐसे मुकाम पर वाकय है वहां से गंगा की धारा गुजरती है। चन्द सालों से गंगा जी की धारा बदल रही थी इसलिये वहां के लोगों को काफी परेशानी पैदा हो गयी थी। वहां बहुत से गांव हैं जो खतरे में थे। यह जो एक लाख और ४२ हजार की मांग प्रस्तुत की गयी है वह बहुत जरूरी थी। इसी सिलसिले में मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस रुपये को मंजूर किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी वहां काफी इन्तजामात किये और वे जरूरत के वक्त वहां मौके पर पहुंचते भी रहे मगर बाढ़ की तेजी की वजह से वहां फसल खराब हो गयी। इसलिये जरूरी था कि यह इंतजाम किया जावे और उसको दुरुस्त किया जाय। इसी सिलसिले में मैं माननीय सिंचाई मंत्री की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां पश्चिम की तरफ एक मुकाम अमवा वाक़्य है, वहां कोई नहर

नहीं है। वहां इसका इन्तजाम होना जरूरी है जिससे कि सिंचाई का इन्तजाम अच्छी तरह से हो सके। वहां बिजली पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा वहां पर जो कुवें इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने तैयार किये थे वे बहुत पुराने हो गये हैं और उनसे पानी नहीं निकल रहा है। इसलिये जरूरत है कि उस तरफ खास तवज्जह की जाय और उन कुवों की दुरुस्ती करवा दी जाय। मैं यह महसूस करता हूं कि आजकल सरकार जो पश्चिमी इलाके हैं उनकी तरफ मुतवज्जेह नहीं है मगर फिर भी इतना जरूरी है कि छोटी-छोटी रकमें जिनसे मामूली तौर से मरम्मत हो सकती है, उन कुवों की, उसे करा दिया जाय वरना यह अंदेशा है कि आइन्दा सालों में कहीं नुकसान न हो जाय।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने उपस्थित अनुदान के लिये माननीय मंत्री महोदय को और इस सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूं और वह इसलिये कि यह अनुदान उस जिले के गांवों से सम्बन्ध रखता है जिसका मैं स्वयं निवासी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस धन की उपयोगिता के लिये और इसकी आवश्यकता के लिये अब इस पर प्रकाश डालूं तो वह आवश्यक नहीं है और वह इसलिये कि यह सदन जानता है कि जब तक सरकार यह अनुभव नहीं कर लेती कि यहां राजकीय धन का उपयोग करना अतिआवश्यक है तब तक सरकार अपना रुपया वहां खर्च करने के लिये तैयार नहीं होती। तो सदन इस बात से भली भांति परिचित हो ही गया होगा कि इस स्थान के लिये इस धन की आवश्यकता कितना महत्व रखती थी। यह गांव गंगा नदी के किनारे आबाद है और स्मृति पत्र में तो केवल एक ही गांव का जिक्र आया है, लेकिन इस रुपये के व्यय से उस क्षेत्र के और बहुत से गांव गंगा की बाढ़ की क्षति से सुरक्षित हुये हैं।

साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञान करा देना आवश्यक समझता हूं कि मुरादाबाद जिले में यही गांव नहीं, इसके अलावा एक बड़ा क्षेत्र रामगंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित होता है और बाढ़ के कारण आज लगभग ३० गांव पांच वर्ष से पीड़ित हैं, उनकी आबादी कट चुकी है, उनकी जो खेती थी, जो खेत की जमीन थी, वह सब बालू में बदल चुकी है और अब तक उन गांवों की आबादी का कोई इन्तजाम नहीं हो सका है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य में सरकार को सफलता मिली है और इस रुपये के व्यय होने के बाद मिलेगी, तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि रामगंगा नदी का वह क्षेत्र जिसके सम्बन्ध में मैंने अभी जिक्र किया है वहां बाढ़ से लगभग पांच वर्ष से ३० गांव पीड़ित हैं और आज भूखे और नंगे रहकर वहां के लोग अपना जीवन उस रामगंगा नदी के किनारे पर ही पड़े हुये बिता रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मैं सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान अपने जिले की सिंचाई व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे तो मुरादाबाद ऐसा जिला है जहां नल कूप विभाग की ओर से काफी कुयें लगे हुये हैं, तो फिर हमें अधिकार भी नहीं होता है कि जब हमारे जिले में दूसरे जिलों की अपेक्षा ज्यादा कुयें लगे हुये हैं तो हम कुछ ज्यादा मांग रखें। लेकिन मैं सिंचाई मंत्री महोदय को इतना बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन कुओं में से अनेक कुयें वर्षों से बेकार पड़े हैं और वहां के किसान उन कुओं से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं बल्कि उन कुओं की आशा पर वे अपने रहट के कुओं का भी इन्तजाम नहीं कर सके और सिंचाई के दूसरे साधन भी अपने यहां उपलब्ध नहीं कर पाये हैं इसलिये कि उनका एक एक दिन इस उम्मीद में गुजरता है कि यह कुयें अभी ठीक हो जायेंगे, एक हफ्ते के बाद ठीक हो जायेंगे, १५ दिन के बाद ठीक हो जायेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खासतौर से तहसील बेलारी के तीन चार कुयें जो एक अर्से से बेकार पड़े हैं उनको दुरुस्त कराने के लिये वहां के स्टाफ का ध्यान आकर्षित करेंगे।

[श्री महीलाल]

इन शब्दों के साथ मैं एक सूचना जो कि शायद माननीय मंत्री महोदय को बहुत दिन पहले मिल चुकी होगी, देना चाहता हूं कि वहां के नल कूप विभाग में एक बड़े ग़बन की चर्चा महीनों से हो रही है, महीनों नहीं अगर मैं वर्षों से कहूं तब भी मैं समझता हूं कि मैं ग़लती पर नहीं हूंगा, लेकिन अभी तक सरकार उस ग़बन की जांच कराने के बाद किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। वहां की जनता इसे जानने की इच्छुक है कि उस ग़बन की जांच में कौन-कौन दंडित होते हैं, किस-किस पर पूरा आरोप लगाया जाता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मत्री महोदय इन मेरी बातों के ऊपर ध्यान देकर वहां की जनता को लाभान्वित करेंगे और मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय को इस अनुदान के लिये जो कि सदन में उन्होंने प्रस्तुत किया है हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बोल लें। मैं पीछे जो कुछ कहना होगा, वह कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री राममूर्ति से) माननीय मंत्री जी इंटरवीन करना चाहते हैं बीच में?

श्री राम मूर्ति—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें सदन में कही गयी हैं और दलीलें दी गयी हैं, मैं चाहता हूं कि उनका कुछ जवाब दे दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने ख्यालात का इजहार कर दूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने सोचा कि अभी और लोग बोलना चाहते हैं आप आखिर में जवाब देंगे।

श्री राममूर्ति—अगर आपकी आज्ञा हो तो जवाब शुरू कर दूं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर बीच में कहिये जो कुछ आप कहना चाहते हैं।

श्री राम मूर्ति—इस सम्बन्ध में जो लोगों ने अपने-अपने ख्यालात जाहिर किये उनम कुछ ने प्रशसा की, कुछ ने सुझाव पेश किये, म उन सभी का आभारी हूं। वैसे तो जब बजट पास होगा उस वक्त इन सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप साहबान ने जब मुख्तलिफ बातों के बारे में यहां ख्यालात जाहिर किये हैं तो मैं थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूं।

हमारे उपाध्याय जी ने अपने पहाड़ों के बारे में कहा। मैं उनकी सूचना के लिये यह बतला देना चाहता हू कि हमने एक इंजीनियर साहब के सुपुर्द यह काम कर रक्खा है कि वह हाईड्राम के बारे में मालूमात करें कि आया उसका इस्तेमाल गढ़वाल और टेहरी वगैरह में हो सकता है या नहीं। बुन्देलखंड का जो उन्होंने जिक्र किया वहां के पहाड़ ऐसे नहीं हैं जहां हाई ड्राम का इस्तेमाल हो सके।

आपने कुछ कुओं में बिजली बनने के बारे में जिक्र किया। मैं आपको उसके बारे में बतला देना चाहता हूं कि हमारे यहां ट्यूबवेल्स के तीन सर्किल हैं। मेरठ, मुरादाबाद और लखनऊ। मेरठ में ६४० कुवें बन रहे हैं। ३१३ पर बोरिंग हो रही है, १८९ बन गये हैं और १५९ पर बिजली लग गयी और वे काम दे रहे हैं। मुरादाबाद में ३१५ कुवें बन रहे हैं। ३१५ में ही बोरिंग हो रहा है और ३१ बन गये हैं। लखनऊ में १००५ ट्यूबवेल्स बन रहे हैं। ३२५ में बोरिंग हो रहा है। २६७ पर काम हो गया और ८१ पर बिजली लग गयी है और काम देने लगे हैं और ५२ ऐसे कुवें हैं जिन पर डीजल इंजिन से काम लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि बिजली के जो कारखाने बने हैं उनसे बिजली आती है और उन कारखानों के बनने में वक्त लगता है। हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से

जल्दी काम पूरा हो जाय। कोशिश यह है कि जो बाकी कुवें हैं उन पर भी बोरिंग खत्म हो जाय और उनकी एनर्जी यूटिलाइज हो। कुछ उन्होंने पंपिंग सेट्स के बारे में भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, उनके कथनानुसार जिस वक्त पंपिंग सेट्स बांटे जायेंगे, यह हिदायत दे दी गयी है कि उनके जिले के लिये भी ज्यादा से ज्यादा पम्प दिये जायं और मुझे उम्मीद है कि उनके यहां जल्दी ही पंपिंग सेट्स मिल जायेंगे। रतन लाल जी ने ट्यूबवेल्स के बारे में कहा। उसको मैं बतलाना चाहता हूं कि उनके यहां १० ट्यूबवेल्स बनाने का हुक्म दे दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि इस साल के आखिर में वह बन जायेंगे।

श्री रामजी सहाय ने राप्ती नदी के सिलसिले में कहा कि वहां २०० गांव ऐसे हैं कि जब राप्ती नदी में बाढ़ आती है तो उनका बड़ा भारी नुकसान होता है। इस मसले के बारे में जो फ्लड रिलीफ कमेटी है उस कमेटी की जो टेक्निकल कमेटी है उसने इसकी जांच की और उसका यह ख्याल है कि इस बांध के बन जाने से तात्कालिक तो जरूर फायदा पहुंचेगा लेकिन जो फ्लड का बढ़ाव है वह कम नहीं होगा। उसका ऐसा ख्याल है कि आगे चल कर ऐसे बांध के बनने से ज्यादा नुकसान हो सकता है लेकिन जो रिसर्च का सेक्शन है उसमें यह सवाल भेज दिया गया है और वह जांच पड़ताल कर रहा है। उनकी यह भी राय है कि फ्लड के सिलसिले में एक सर्वे डिवीजन खोल दिया जाय। और सारे प्रांत में जहां-जहां फ्लड से नुक्सान होता है उन सब जगहों का सर्वे कर लिया जाय। उसका काम हो रहा है और जो कुछ फैसला होगा उस पर सरकार काम करेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि जितना भी एरिया आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बलिया का ऐसा है उसे हम लें। विष्टजी ने दीवार के बारे में कहा। इस तरह के हजारों गांव हैं जिन्हें बाढ़ से नुक्सान पहुंचता है और यदि ऐसे मामले प्लानिंग कमेटियों के सामने रखे जावें तो वे इस तरफ अधिक ध्यानपूर्वक और सफलता से सहायता कर सकती हैं। जहां पैसे वगैरह की कमी हो वहां सरकार को एप्रोच किया जा सकता है। हम अपने रिसर्च डिपार्टमेंट से सर्वे कराने की मदद देने के लिये भी तैयार हैं। ऐसे कार्य हमने कराये भी हैं, जैसे बलिया, कनखल और पीलीभीत इत्यादि में।

हमारे मुरादाबाद के एक माननीय सदस्य ने रामगंगा और ट्यूबवेल्स की बात कही, ट्यूबवेल्स तो वहां पहले ही बहुत हैं। रामगंगा के बारे में हम कार्य कर रहे हैं और हर साल काफी समय और पैसा वहां लगाया जा रहा है। हमें आशा है कि उस दरिया को ऐसा ट्रेन कर लिया जायगा कि नुकसान की आशंका जाती रहेगी।

जो हमारे ५,७ भाई बोले, मैं समझता हूं कि वे सन्तुष्ट हो गये होंगे और विस्तारपूर्वक बजट के मौक़े पर निवेदन किया जायगा। इस समय मैं आशा करता हूं कि सदन इस मांग को मंजूर करेगा।

श्री वृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या यह उचित नहीं होगा कि कटौती के प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन सबको मौक़ा दिया जाय क्योंकि यह आवश्यक है?

श्री अध्यक्ष—यह तो पहले व्यवस्था हो चुकी है कि १ घंटा इसमें दिया जायगा और बजट के बारे में साधारण प्रथा यह रही है कि विरोधी दलवाले जो ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखते हैं वे बोल सकें क्योंकि सरकारी पक्ष के लोगों को तो मौका यह माना जाता है कि जो कार्यक्रम वह रखना चाहते हैं विचार करके रखते ही हैं। तो उनको अधिक बोलने के लिये समय देना बजट के समय, मैं समझता हूं उचित नहीं है। हालांकि उनको भी बोलने का अधिकार तो है ही। इसलिये विरोधी दल के सदस्यों के सुझाव पर मैंने व्यवस्था दे दी। उस समय किसी ने आक्षेप नहीं किया। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है और आप बोलना चाहते हैं तो दूसरी कटौती पर आपको मौक़ा मिल जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पहले ही से जानता था कि हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी को हम लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी है क्योंकि अबकी बार जब वे गये थे तो उन्हें पानी पीने के लिये नहीं मिला था रास्ते में। तो वह अन्दाजा लगा सकते हैं कि गर्मी के दिनों में वहां के लोगों को कैसी मुसीबत होती होगी। फिर भी मुझे संतोष है कि उन्होंने एक इंजीनियर इन हाईड्राम्स के लिये रखा है। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाय कि बम्बई में वहां घूमने में बहुत रुपया खर्च होता है वहीं सारा रुपया खर्च हो जाय। इतने रुपये में तो हमारे यहां सारे हाइड्राम्स लग जावेंगे। इसलिये मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि किसी इंजीनियर को बम्बई भेजने की आवश्यकता नहीं है वैसे तो वह प्रिंसिपल समझते ही हैं और बहुत ही साधारण सी चीज है। अगर उन्होंने कालेज में न पढ़ा हो तो वह हमारे पास आ जायं और हम उनको बतला देंगे कि हाइड्राम कैसे काम करते हैं। हम इसके लिये मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे प्रश्न की ओर ध्यान दिया और मुझे आशा है कि पंपिंग सेट्स भी जल्दी ही आ जायेंगे। जब मैंने प्लानिंग सेक्रेटरी को फोन किया था कि पंपिंग सेट्स का क्या हो रहा है तो मुझे मालूम हुआ कि फायनेन्स डिपार्टमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम फिर से मूव करेंगे। मैं यह चाहता था कि मार्च महीना आये और ऐसा मौका न आये कि वह चीज न पंहुचे। हमारे यहां जाड़ों के ही महीने ऐसे होते हैं जबकि वहां पर काम किये जाते हैं।

मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि प्लानिंग कमेटी के सामने, जहां बाढ़ से जमीन बह जाती है, यह चीज रखनी चाहिये। अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया से हर जिले को ८० हजार रुपया मिला है कि उस रुपये को किसी भी अच्छे काम पर खर्च किया जाय। हमारी प्लानिंग कमेटी ने उचित समझा कि जहां-जहां राम गंगा नदी से या और नदियों से खेत बह गये वहां पर एक बांध सा लगा दिया जाय जिससे पानी वहां न जाय। लेकिन हमें दुख है कि अभी तक हमें वह रुपया नहीं मिला है। फिर हम कब काम करेंगे क्योंकि गर्मियों में काम हो नहीं सकता। लोग खेती वगैरह में लग जाते हैं। यहां पर तो लोग जाड़ों में खेतों के काटने में लगे रहते हैं और पहाड़ी इलाकों में लोग खाली रहते हैं और मजदूरी ढूंढने के लिये इधर-उधर माइग्रेट कर जाते हैं। यही मौका सब से अच्छा है जब कि लोग काम कर सकते हैं। मार्च के आखिर में लोग खेती में लग जाते हैं इसीलिये श्रमदान का भी काम वहां पूरा नहीं हो सकता है।

कैनाल की सर्वे डिवीजन कुमायूं के लिये अलग थी यह अच्छा ही हुआ कि वह वहां से काटकर हमारे प्लानिंग में आगई है। इंजीनियर वगैरह जो इस काम के लिये हैं वह हमारे पास आजायं और वह अगर हमारे साथ चलें तो हम उनको सहायता दे सकते हैं और बहुत जल्दी ही जो हम चाहते हैं, प्रांत में हो, वह हो सकता है। मैं इस विषय में बहुत ज्यादा न कह कर माननीय मंत्री जी ने जो सहानुभूति दर्शाई है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमें अगले बजट में लम्बी चौड़ी बहस न करना पड़े और जो वायदा उन्होंने किया है वह पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस अनुदान के सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है क्योंकि हमारे भाई राममूर्ति जी ने प्रायः तमाम बातों का उत्तर दिया है जो थोड़े से समय में उठाई गई हैं। कोई विशेष बात कहने के लिये है भी नहीं।

यह अनुदान एक गांव के बचाने के इरादे से मांगा गया है लेकिन एक गांव का प्रश्न नहीं था। काफी जमीन कट रही थी और दो तीन वर्षों से यह मामला पेश था। यह सही है कि क्षति पाने वाले जो क्षेत्र हैं वह बड़े व्यापक और विस्तृत हैं। पूरब में खास तौर से और गंगा जमुना के किनारे के खेत ऐसे हैं और अवसर के अनुकूल जैसी की आवश्यकता होती है उसका प्रबन्ध किया जाता है। उपाध्याय जी ने अल्मोड़ा और पहाड़ी इलाकों के सम्बन्ध में कुछ बात कही। मुझे दुख है कि कुछ उन्होंने थोड़ा सा अपना बचन तोड़ा। जब मैं वहां गया था तो उन्होंने वायदा किया था कि वह पानी का नाम नहीं लेंगे। इतना पानी

उन्होंने मांगा था। यह बात सही है कि पहाड़ी इलाकों में सिंचाई की कौन कहे पानी पीने को भी नहीं मिलता।अक्सर पहाड़ों के ऊपर बसे हुये गांव वालों को पीने का पानी लेने के लिये मीलों तक नीचे जाना पड़ता है तब कहीं जा कर थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है। कहीं नदी हुई या कहीं-कहीं झरने हुए तो वहां से पानी लेना पड़ता है। सिंचाई की बात तो कठिनता से वहां होती ही है। पीने के लिये पानी का वहां बड़ा कष्ट है यह मैंने स्वयं देखा है। और यह सही है कि इसी तरह पीने के लिये पानी का कष्ट बुन्देलखंड में भी था। तथा मिर्जापुर व विन्ध्यक्षेत्र में भी मीलों तक जाने पर भी पीने का पानी नहीं मिलता। गर्मी के दिनों में तो नदी नाले सब सूख ही जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये क्या प्रबन्ध किया जाय, यह तो हमारे माननीय मित्र को मालूम है कि वहां पर हमने गूल्स वगैरह बनाने के लिये कोशिश की है। गूलों के लिये क़रीब २५ लाख रुपया अनुदान में रखा गया है। इस समय मुझे ठीक से याद नहीं है शायद ५ सौ या ढाई सौ गूल्स बनाने की स्कीम है। काफी गूल्स गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल में बन भी गये हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे गूल्स बनाने में बड़ी दिक्क़त होती है तथा पैसा भी बहुत ख़र्च होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये इस तरह की छोटी-छोटी स्कीमें हैं।

हाईड्राम के लिये किसी को बम्बई भेजने के लिये कोई बात नहीं थी। हमारे यहां इस प्रदेश में कई हाईड्राम लगे हुये हैं, एक उपाध्याय जी के घर में भी लगा हुआ है। हाईड्राम के सम्बन्ध में इंजीनियर की रिपोर्ट भी आती है और उसको देखने के बाद ही कोई व्यवस्था हो सकेगी तो की जायगी। यह ८० हज़ार रुपये की कोई बात उन्होंने कही, मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट आफ इंडिया सीधे किसी प्लानिंग कमेटी को कोई रुपया देती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमको रुपया मिलता है और अक्सर कर्ज के रूप में और उसके लिये प्रदेश की सरकार काफी कोशिश करती है। कर्ज के ही रूप में हम उससे मांगते हैं, कोई सबसिडी के रूप में तो वहां से मिलता नहीं। कर्ज के ही रूप में उसका उपयोग भी किया जाता है, मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस ८०हज़ार रुपये की बात कही। यह बात सही है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस बात को जानती ज़रूर है कि स्वायल का इरोजन बहुत होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसके लिये इस समय तो कोई योजना मेरी समझ में नहीं आ रही है। यह प्रश्न ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विचाराधीन ज़रूर रहता है कि स्वायल के इरोजन को रोकने की कोशिश की जाय जो कि न केवल पहाड़ों के अन्दर होता है बल्कि नीचे के भागों में भी होता है। अभी फ्लड कमेटी जो बैठी थी उसने भी इस पर विचार किया था कि नीचे के भागों और पहाड़ी भागों में इसको कैसे रोका जाय। पहाड़ों पर जो इरोजन आफ स्वायल होता है उसको न रोकने से उसका असर नीचे के भागों पर भी पड़ता है और नदी की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अतः हमें इस पर भी विचार करना है कि पहाड़ों पर इसको कैसे रोका जाय। जहां तक पंप वगैरह की बात है वे शीघ्र ही जिलों में भेज दिये जायेंगे। जो दिक्क़तें थीं वह भी मैंने आपको बतलाई। अतः जितने पंप हमारे पास हैं वे तो शीघ्र ही भेज दिये जायेंगे और बाक़ी मिलने पर भेज दिये जायेंगे। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस अनुदान के लिये हमारा समर्थन किया। मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर)–लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत १,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)—श्री राज्यपाल की अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२, सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

इसका कारण जो कि यहां यह मेमोरेंडम सामने रखा गया है उसमें दिये गये हैं। यह एक सिम्बल के तरीके पर म्युनिसिपल बोर्ड के जो चुनाव हुये हैं उनके कार्यों में कुछ ज्यादा खर्चा हुआ और जो रक़म रखी गयी थी वह कम थी, तो उसको पूरा करने के लिये इसकी जरूरत हुई। मैं समझता हूं फिर भी खर्चा कम ही हुआ। वैसे काफी बड़ा काम था। म्युनिसिपल बोर्ड्स, नोटीफाइड एरियाज़ और टाउन एरियाज़ का चुनाव ऐडल्ट सफ़रेज के जरिये से हुआ। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह जानना चाहूंगा विरोधी पक्ष के लीडर से कि कितना समय इस अनुदान के लिये देना मुनासिब है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—इस पर बोलना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुचिकित्सा

कृषि उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुचिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक इस सम्बन्ध में नहीं कहना है, क्योंकि स्मृतिपत्र में सब बातें स्पष्टरूप से कही गयी हैं। इसमें कुछ मदें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक़ बजट में व्यवस्था नहीं की गयी थी और जिनकी आवश्यकता अब पड़ी। लेकिन इनका रुपया बजट से ही पूरा कर लिया जायगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (ज़िला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से एक कट मोशन पेश करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य सरकार की नीति की आलोचना करना है। श्रीमन्, सरकार ने इस सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में जो पशु चिकित्सा के अधीन यह नयी योजना रखी है कि किस तरीके से वह पशु-पालन का प्रबन्ध करने के लिये उसमें कार्य किया जायगा मैं उसका विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि पशु-चिकित्सा वाले इस एनीमल हज़बैंडरी

डिपार्टमेंट में ७ डिप्टी डाइरेक्टर हैं और उन सब के होते हुये सरकार फिर एक नये खर्च को बढ़ाना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि अब एक नये पशुपालन कमिश्नर की नियुक्ति की जाय जो सारे विभाग की देख-रेख करे। मैं श्रीमन्, आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि यह इतनी बड़ी चीज है कि इस पर विवाद हो सकता है और इस पर ओपिनियन डिफर हो सकती है कि क्या यह पशुपालन कमिश्नर इस तरह का कार्य कर सकेगा या नहीं जिस प्रकार से कि सरकार चाहती है। मैं सरकार से आप के जरिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग में इस समय एक नया खर्च जोड़ना उचित नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद एक नया बजट आने वाला है। उस समय पूरे तौर पर इस पर विचार हो सकता है और उस समय अगर यह परिवर्तन किया जाय तो समुचित मालूम होता है। इस समय सरकार की तरफ से एक अनुदान ऐसा आना था जो बहुत महत्वपूर्ण हो और मुमकिन है उससे लाभ हो और मुमकिन है उससे नुकसान हो तो बजट जब अभी २ महीने में आने वाला है तो उस समय यह कह कर खर्च लादना कि आवश्यक है यह उचित नहीं मालूम होता है। मैं यह समझता हूं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करने की कृपा करें और यह बतायें कि किस वास्ते यह पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मुझे आदरणीय जवाहर लाल जी का नई दिल्ली में एक सन्देश उनके भाषण द्वारा पढ़ने का मौक़ा मिला था। उसमें कहा गया है कि आजकल डिपार्टमेंट की यह इच्छा होती है कि लगातार डिप्टी डाइरेक्टर या डाइरेक्टर का पद बढ़ायें, इसके अलावा और कुछ परिवर्तन नहीं होता। मुझे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये इस एनीमल हजबैंडरी विभाग के बारे में यह कहना है कि इस सप्लीमेंटरी बजट में माननीय मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि जिसके जरिये से एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर का स्टाफ बढ़ाया जाय। अगर आप देखें तो मालूम होगा कि इसमें कितने डिपार्टमेंट मिक्स हैं और कितने अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं। इसी विभाग में एक तो एनीमल हजबैंडरी आफिसर है और इसके अलावा इसी विभाग में दूसरे डिप्टी डाइरेक्टर हैं। एक एनीमल हजबैंडरी डाइरेक्टर हैं जो अब एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर कहलायेंगे जो दोनों काम करेंगे। बड़े-बड़े डिपार्टमेंट्स में भी डाइरेक्टर और कमिश्नर साथ-साथ नहीं होते। यहां आप डाइरेक्टर एनीमल हजबैंडरी का भी दफ्तर है और कमिश्नर का भी दफ्तर अलग से चाहते हैं। उनका काम प्रिन्सिपल वेटेरनरी कालेज मथुरा के काम को भी देखना होगा और मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म को भी देखना होगा। इनका एनीमेल हजबैंडरी कमिश्नर के कंट्रोल में होना कैसी अजीब सी चीज है। डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर आफ कालोनाइजेशन, डिप्टी डायरेक्टर आफ फिशरीज, डायरेक्टर आफ एनीमल हजबैंडरी यह ५ मौजूद हैं और आप एक एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर और जोड़ने जा रहे हैं। जब इतने सारे तमाम डायरेक्ट्रेट्स मौजूद हैं तो एनीमल हजबैंडरी कमिश्नर के बढ़ाने की क्या जरूरत है और यह स्टाफ क्यों बढ़ाया जा रहा है। कौन सा काम एनीमल हजबैंडरी विभाग का हो रहा है और बढ़ गया है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूं कि इस तरह से विभागों को मलटिप्लाई न किया जाय और जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी ऐसी पालिसी को छोड़ देना चाहिये और काम की ओर अधिक दृष्टि रख कर उसे विभागों और स्टाफ को बढ़ाना न चाहिये।

श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं कि पशुधन को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन यह प्रयत्न जितना होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। उदाहरण के रूप में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां सरकार चाहती है कि हमारे पशुओं की रक्षा हो, उनका धन बढ़े और कृषि पर अच्छा असर पड़े तो पशुओं के अस्पताल जो हमारे जिलों के हेडक्वार्टर्स पर और तहसीलों में बने हुये हैं उन को गांवों में बनवायें। सरकार को देखना चाहिये कि जो पशु अस्पताल शहरों में बने हुये हैं उनका प्रयोग किस मात्रा में गांव के लोग करते हैं। देहातों से वहां तक बीमार पशुओं को लाने के लिये काफ़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है और उसका नतीजा

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

यह होता है कि साल भर में एक अस्पताल में ५०, ७० या सौ मवेशी से ज्यादा नहीं आने पाते। इस लिये सरकार को इन पशु अस्पतालों की स्थापना देहातों ही में करनी पड़ेगी जो सेंट्रल स्थिति वाले ग्राम हैं वहां यह अस्पताल खोले जाने चाहिये।

दूसरी बात मुझे सरकार के सामने यह कहना है कि हाल में सरकार ने गोपाष्टमी-सप्ताह मनाने का इरादा किया था। सरकार ने इस वर्ष भी ४० हजार रुपया इसमें खर्च किया है और आगे अनुमान है कि एक लाख रुपया इसमें खर्च होगा। यह उत्सव भी जो शहरों में मनाया जाता है उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता वह भी देहातों में ही मनाया जाना चाहिये। हमारे रायबरेली जिले में यह उत्सव मनाया गया तो वहां ज्यादा से ज्यादा ५०, ६० आदमी उस में शामिल हुये थे और इनमें से शायद ३० के करीब तो सरकारी कर्मचारी ही होंगे और बाक़ी १०-१५ ग्वाले शायद उसमें होंगे और बाक़ी बाबू लोग होंगे। तो मेरा मतलब यह है कि शहरों में ऐसे उत्सव मनाने से लाभ नहीं हो सकता। जैसे हमारे प्रदेश में शिक्षा सप्ताह मनाया जाता है और हर जगह नगरों में लड़के जमा होते हैं और नारे लगाते हैं कि निरक्षरता का नाश हो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या निरक्षरता का अंधकार शहरों में है? वह तो गांवों में है। इसी तरह से अगर पशुपालन की आपरक्षा करना चाहते हैं और उनकी वृद्धि करना चाहते हैं तो आप को यह उत्सव जो आप आज शहरों में मनाते हैं उनको गांव गावों में मनाना चाहिये ताकि जनता की भावना इस तरफ आकर्षित हो सके।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह बतलाना है कि बहुत सी चिकित्सा की जरूरत क्यों पड़ती है। सब से मुख्य कारण है चरी की कमी और नस्ल की खराबी। हमारे यहां तो खास कर के बाढ़ की वजह से सारी मवेशियों की चरी जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी और चरी नष्ट होने के बाद बाहर से जो सरकार ने चरी भेजी उस चरी के खाने से तमाम बीमारियां फैलीं और उस बीमारी की वजह से उन पशुओं की चिकित्सा कराने की आवश्यकता हुई। लेकिन देहातों में कहीं भी कोई ऐसा पशु चिकित्सालय नहीं है जहां पर कि मवेशियों की चिकित्सा हो सके। कहीं-कहीं छोटे-छोटे चिकित्सालय सरकार ने खोले भी हैं तो वहां जो पशु चिकित्सक हैं वह जब कोई उनके पास जाता है और अपने किसी मवेशी को देखने के लिये कहता है तो वह उससे फीस मांगते हैं। जब मवेशी इस लायक़ नहीं होता कि उसे वहां ले आ कर उन्हें दिखाया जा सके तो उनको बुलाना जरूरी हो जाता है और उसके लिये वह फीस मांगते हैं जो कि वह दे नहीं पाते। फिर दूसरी चीज यह है कि जब वह किसी तरह ले भी जाते हैं और उनको दिखाते भी हैं तो उनकी दवा ठीक नहीं हो पाती और दवा न उपलब्ध होने से उन मवेशियों की कोई चिकित्सा नहीं हो पाती है। हमने देखा कि देहात में खासकर के मवेशियों की बीमारी इसलिये हुआ करती है कि उनको खाने के लिये चरी नहीं मिलती। पहले बड़े बड़े चरागाह और जंगलात वगैरह पड़े रहते थे जिसमें कि वह जा कर चरते थे और अपनी इच्छा के मुताबिक भोजन कर लेते थे तो उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन जमींदारी जब समाप्त होने वाली थी उस समय तमाम जमीन तोड़ ली गई और चरागाह समाप्त हो गये। अब मवेशियों को लोग दरवाजे पर बांध कर के रखते हैं और इतनी अधिक चरी तो होती नहीं कि वह उनको पेट भर खिला सकें, इसलिये न खिलने की वजह से जब उनको पूरा भोजन नहीं मिलता तो उनको बीमारी होती है। दूसरे जब बीमारी होती है और जो सांड़ खाने बिना बीमार रहता है और गाय के पास जाता है तो उनकी नस्ल भी अच्छी नहीं होती और जब उनके वीर्य से दूसरे मवेशी पैदा होते हैं तो उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हुआ करती हैं। तो इसमें हमें यह मालूम होता है कि मवेशियों की बीमारी का कारण चरी की कमी और दूसरे नस्ल की खराबी है। ये दो मुख्य कारण हैं। तो जहां देहात में पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं वहां उनके लिये दवा उपलब्ध की जाय और उन गांवों में भी इन्तजाम किया जाय कि उनके लिये चरी की काफी व्यवस्था हो और अच्छी-अच्छी नस्ल के सांड़ रखे जायं। अगर ऐसा प्रबन्ध किया जाय तो फिर किसी तरह से भी उनकी बीमारी नहीं फैल सकती।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक इस सदन के सामने पेश हुआ है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि इस लोक प्रिय सरकार ने अंग्रेजी गवर्नमेंट के चले जाने के बाद नजदीक-नजदीक हर जिले में पशुओं की चिकित्सा के लिये उचित ढंग से व्यवस्था करने की कोशिश सरकार ने की है और करती आ रही है। मैंने देखा कि जहां हर जिले में एक ही दवाखाना पहले चलता था पशुओं के लिये, जिसकी वजह से नाना प्रकार की बीमारी हुआ करती थीं पशुओं को, और लोग बहुत परेशान होते थे, उनको लेकर वहां अब सरकार ने उसमें काफी तरक्की की है। मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा जिक्र अपने जिले का कर देना चाहता हूं। जौनपुर में कई तहसील हैं जिनमें मड़ियाहूं और केराकत दो तहसीलों में मैंने देखा कि बड़ी परेशानी है। मड़ियाहूं में सवा तीन लाख से अधिक आबादी होने के साथ ही एक पशुचिकित्सालय अभी तक कोई तहसील में नहीं बनाया गया है और यही हालत केराकत की है। वहां दो या तीन स्टाकमैन कहीं-कहीं रखे गये लेकिन मड़ियाहूं तहसील में कस्बे में केवल एक स्टाकमैन रखा गया है जिसके पास न तो कोई साधन है, न वहां उचित ढंग से पशुओं की चिकित्सा की जा सकती है। इसलिये मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां इतनी बड़ी आबादी हो और इतने आदमी एक तहसील में रहते हों वहां कम से कम दस-पांच मील के अन्दर एक चिकित्सालय अवश्य रखा जाना चाहिये। इसी ढंग से और भी तहसीलों में जहां दूरी के कारण जाने में परेशानी होती हो वहां के लिये भी ध्यान देना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार के इस अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि कम से कम मड़ियाहूं तहसील के लिये उचित ध्यान दिया जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत--उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के सिलसिले में मुझे ऐसा मालूम होता है कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने और श्री तिवारी जी ने स्मृति-पत्र को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया। एनीमल हस्बैंडरी कमिश्नर हम नियुक्त नहीं करने जा रहे हैं और न नई नीति का अनुसरण करने जा रहे हैं। उनकी नियुक्ति दो वर्ष पहले हो चुकी थी और दो वर्ष से ही इस काम को वह देख रहे थे। उनका विभाग भी था। लेकिन पिछले दिनों में काम करने के अनुभव से हमें यह मालूम हुआ कि चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, उनको दफ्तर के कार्य के लिये कुछ स्टाफ की जरूरत है। उनके दो प्रकार के कार्य हैं। एक तो सारे सूबे में जो विभाग उनके सुपुर्द किये गये हैं उनकी देख-भाल करके उनकी नीति निर्धारित करें और उनको नये-नये सुझाव दें, दूसरा उनका कार्य सेक्रेटेरियट में भी है जिसके लिये उनको "विशेषाधिकारी" कहा जाता है। तो सेक्रेटेरियट में विशेषाधिकारी का कार्य करने के लिये उनको कुछ वैभागिक कार्यकर्ताओं की जरूरत थी, इसलिये इस अनुदान की जरूरत पड़ी।

यह भी कहा गया है कि डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर मिकेनाइज्ड स्टेट फार्म और दूसरे विभाग हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल क्यों किया गया? तो ऐनीमल हसबैंडरी कमिश्नर का इन विभागों के ऊपर जो कंट्रोल है वह इस कारण है कि इन विभागों में जहां तक पशु-पालन से सम्बन्ध है या पशु-पालन के कार्य से सम्बन्ध है, ऐनीमल हस्बैंडरी कमिश्नर की सलाह और उनके नियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमारे मिकेनाइज्ड स्टेट फ़ार्म्स केवल ऐग्रीकल्चरल फार्म्स भी नहीं हैं, उनके साथ कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स भी हैं और उनकी सहायता, उनकी सलाह और नियंत्रण की उसमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार डाइरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर के मातहत भी जहां कहीं पशुओं का, पशु-पालन का प्रश्न आता है वहां भी उनकी सलाह की आवश्यकता होती है। जैसे कानपुर का ऐग्रीकल्चरल कालिज, डायरेक्टर आफ ऐग्रीकल्चर के मातहत है, लेकिन वहां हमारी डेरी भी है, वहां हमारा पशु-पालन का भी प्रबंध है। इसलिये उसकी देख-रेख और सलाह के लिये एनीमल हस्बैंडरी कमिश्नर की जरूरत होती है। यह कठिनाइयां थीं जिनकी वजह से उनकी दो वर्ष पहले नियुक्ति हुई और उनके सुपुर्द यह काम हुये। इस प्रकार भिन्न-भिन्न विभागों को एक साल लिया है और एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका बड़ा अनुभव है जो उनको मिला कर एक साथ चलाये, बड़ी

[श्री जगन प्रसाद रावत]

आवश्यकता थी। हमारा यह भी अनुभव है कि इस पोस्ट के क्रियेट करने से जिन विभागों में घाटा होता था वह भी दूर हुआ और हमें लाभ की सम्भावना भी हो रही है, हमारा काम भी सुचारु रूप से चला है।

भाई वीरेन्द्रपति यादव जी ने यह कहा कि जो वेटेरिनरी हास्पिटल हैं वे देहातों में होने चाहिये तो कोशिश तो यही की जाती है कि वह देहात ही में हों। आम तौर से आप देखेंगे कि तहसीलों के केन्द्र पर यह अक्सर होते हैं। किसी भी एक गांव में हम उनको केंद्रित करें तो उस गांव के अतिरिक्त बाक़ी गावों के लिये तो यह स्थान कुछ दूर होगा ही। तहसील हेडक्वार्टर्स साधारण तौर पर केंद्र स्थान पर ही रखे जाते हैं। जनता की सुविधा के लिये हम ने यह स्थान चुना है। लेकिन यदि हमें कोई ऐसा सुझाव दिया जायगा जहां जनता को सुविधा अमुक स्थान के बजाय दूसरे केन्द्र स्थान पर अधिक होगी तो हम उस पर विचार करेंगे और हमें स्थान के बदलने में कोई खास आपत्ति नहीं होगी।

गोपाष्टमी के सिलसिले में श्री यादव जी ने यह सुझाव दिया कि वह शहरों में न हो कर देहात में हो। यह बिल्कुल सही सुझाव है। गोपाष्टमी का उत्सव देहात में होता भी है और देहात में होना भी चाहिये। यह उत्सव जो मनाया जाता है वह तहसील हेड क्वार्टर्स पर मनाया जाता है क्योंकि वहां गांव के ज्यादा लोग आ सकते हैं। अगर हम इसे किसी गांव के कोने में मनायें तो उसमें ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। तहसील एक ऐसा केन्द्र होता है जहां आदमी अगर एक कार्य के लिये आता है तो चार कार्य कर ले जाता है। इसी कारण तहसील हेडक्वार्टर्स पर ही गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तहसील हेडक्वार्टर्स के अलावा भी हमने बीसियों जगह इसे मनाया जहां कि पशु ज्यादा से ज्यादा आ सकते या जहां पर मवेशियों के मेले होते हैं। ऐसे स्थान पर भी हमने इस गोपाष्टमी को मनाया और आगे भी मनायेंगे। अगर इस सम्बन्ध में हमें कोई अच्छा सुझाव दिया जायगा तो हमें उसे मानने में खुशी होगी।

श्री रामसुभग जी ने यह कहा कि चरागाहों की आवश्यकता है। यह सही है कि हमारे सूबे में चरागाहों की आवश्यकता है। भूमि व्यवस्था कानून में इसके लिये काफी गुंजायश भी रखी गई है। मुझे उम्मीद है कि आगे सालों में हमें चरागाहों की जमीन काफी अच्छी मिलेगी। गांव समाजों को आदेश दिये गये हैं कि उनके पास जो जमीनें हैं उनमें से पहले चरागाह के लिये जमीन निकाल कर फिर उस जमीन को उठावें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन भाइयों ने कटमोशन्स दिये हैं उनका इससे समाधान हो गया होगा और वे अपने कटौती के प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

राजा वीरेंद्र शाह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री जी का उत्तर सुना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि हम लोगों ने आप के पत्र को नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ कर ही यह संशोधन दिया है और ऐसे ही हर माननीय सदस्य को करना चाहिये। पहले सरकार किसी आफिसर को स्पेशल ड्यूटी पर रख देती है और फिर बाद में बजट में या अनुपूरक अनुदानों में लाकर उसकी पुष्टि करने की कार्रवाई करती है। मैं नहीं कह सकता कि यह कमिश्नर साहब कब मुक़र्रर किये गये। मैं इसे नहीं बता सकता लेकिन श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पास होने के बाद यह आफिसर सरकार के डिपार्टमेंट में बढ़ जायगा। तो मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इतने ज्यादा आफिसर हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। इसलिये यह मेरा फंडामेन्टल विरोध है कि यह आफिसर न बढ़ाया जाय। क्योंकि इस वक्त भी एग्रीकल्चर में ७ डिप्टी डाइरेक्टर मौजूद हैं। फिर श्रीमन्, एस्टीमेट कमेटी इस विभाग को एक्जामिन कर रही है कि इस विभाग में कितने अफ़सरों की जरूरत है। इसलिये सरकार को क्या ऐसी जल्दी है कि आज ही, इसी अनुदान में पास करना चाहती है। उस कमेटी की रिपोर्ट

पढ़ने के बाद अगर सरकार इस निश्चय पर आती है कि यह कार्य कमिश्नरी द्वारा हो सकता है तो डिप्टी डायरेक्टर्स हटाये जायं। श्रीमन्, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस डिपार्टमेंट में बचत दिखाई। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक जगह बचत हुई तो उसको दूसरी जगह खर्च किया जाय। मैं मानता हूं कि सरकार ने फिजूलखर्ची नहीं की और रुपया बचाया है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि आप उस बचत को इधर उधर करके खर्च करें। इस वजह से मैं इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी हमारे सुझाव को मानेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता और मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरा अनुदान का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई और इस बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई—)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, वीरेन्द्र शाह जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और अब विभाजन भी चाहते हैं, यह संगत नहीं मालूम होता है।

राजा वीरेंद्र शाह—श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रस्ताव आप ने मेरा लिया या माननीय मंत्री जी का?

श्री उपाध्यक्ष—यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले जो कटौती का प्रस्ताव होता है वह रखा जाता है। अभी दूसरा तो आया ही नहीं है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२०
विपक्ष में—१२१)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—पशु चिकित्सा, लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक १८—रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० ११—रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय—लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय—लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—मद ६, ७ बाद में ली जायंगी।

अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं की अनुदान संख्या १९—शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३—५४ के लिये स्वीकृत की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस अनुदान के लिये सदन की अनुमति से कोई समय नहीं रखा गया है। मैं सिर्फ यह याद दिलाना चाहता था, लेकिन मैं किसी को रोक नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं एक जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप पूछ सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—हिन्दी साहित्य सम्मेलन को जो ढाई हजार की ग्रान्ट दी गयी है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह वही उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन है या उसकी शाख है जिसके अध्यक्ष बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन हैं। जहां तक मुझे मालूम है यह वही उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन है, जिसमें झगड़ा चल रहा है और जो रिकग्नाइज्ड भी नहीं है। उसको शायद ग़लती से ग्रान्ट दी गई है। इस सम्मेलन ने न कोई एकाउंट्स दिये हैं और न कोई पुस्तकें ही छपाई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन को यह ग्रान्ट दी गयी है और उसके लिये इतनी अर्जेंसी से कांटिजेंसी ग्रान्ट बनाई गई।

इसी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये ला बुक्स के लिये जो ग्रांट दी गई है यह किस प्रकार अर्जेन्ट मानी गयी जब कि सरकार को पहले से मालूम था और सन् ५२—५३ में जब ग्रान्ट दी जा चुकी है, तो यह सप्लीमेंटरी ग्रान्ट सन् १९५२—५३ के सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स में क्यों नहीं दी गई?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—यह सम्मेलन जिसको रुपया दिया गया है इलाहाबाद में यह आल इंडिया सम्मेलन था और उसकी एक शाख यहां काम करती थी। अब उस आल इंडिया सम्मेलन में कुछ नाइत्तिफाकी हो गयी है। उसके बाद से यह एक इंडिपेंडेंट हैसियत से काम करती है और हिन्दी के प्रचार के लिये काम अन्जाम दे रही है। यह रुपया उसको किताबों की छपाई के लिये और काग़ज़ ख़रीदने के लिये दिया गया था। यह पहले देखा जा चुका है कि काम ठीक हो रहा है और सरकार के इल्म में कोई बात भी नहीं आई है जिससे यह साबित होता कि किसी क़िस्म का फ़्राड या फरेब इस सम्मेलन ने किया हो और जिस काम के लिये वह कहता है उसने उसे न किया हो। कोई वजह शुबहा की नहीं मालूम होती है।

जहां तक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के लिये रुपये का ताल्लुक़ है, वह पहले से मांग रहे थे और फाइनैंशल स्ट्रिंजेंसी की वजह से रुपया अभी तक नहीं दिया जा सका था। अब जब कि उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के लिये ऐसी जरूरत जाहिर की कि वह और इन्तज़ार नहीं कर सकते तो उनके लिये रुपया दिया गया। अपनी जरूरत के बेस्ट जज वही हो सकते थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि ५२-५३ के तख्मीनों में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसका क़ायदा यह है कि अगर किसी को मार्च में रुपया दिया जायगा तो उसके लिये उस साल के सप्लीमेंटरी में मांग मुमकिन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९-शिक्षा—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी-बस्तियां

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—जेल—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग की आवश्यकता क्यों पड़ी, वह तो इस मेमोरैंडम में दे दिया गया है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि पिछले साल से ही हमने एक यह प्रयोग किया था कि खुले में क़ैदियों को रखा जाय, उनसे काम लिया जाय और उन्हें मजदूरी दी जाय। इस साल का एस्टीमेट खर्चे का ९ लाख १६ हजार ९०० रुपये का है। बजट में यह टोकिन की तरह से १० हजार रुपया रख दिया गया था इसलिये कि हमको उम्मीद थी कि यह सारा खर्चा यों ही निकल आवेगा और उसके लिये अलग से इन्तजाम करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा अन्दाजा ठीक ही निकला, वह यों कि ४ लाख ७५ हजार ९ सौ रुपया की बचत हमको होगी इस वजह से कि क़ैदी जो दूसरी जेलों में रहते थे खुले हुये कैम्प में रखे गये हैं। जो यह इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के लिये काम कर रहे हैं उसे ४ लाख, ४० हजार ४ सौ रुपये की हम को जेल डिपार्टमेंट को आमदनी होगी। तो सारा खर्चा हमारा निकल आवेगा। लेकिन ४ लाख ४० हजार रुपये की आमदनी को खर्च करना है तो एकाउंटिंग की वजह से यह जरूरी है कि उसके लिये एक टोकिन मांग रख दी जाय ताकि हम आमदनी के रुपये को खर्च कर सकें। कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी करने का प्रस्ताव रखता हूं।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस प्रस्ताव को लाने के लिये इसलिये आवश्यकता पड़ी कि इस संबंध में पहले से पता नहीं था कि व्यय अधिक हो जायगा। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान पहले पैरा की ओर दिलाना चाहता हूं। बनारस जिले की चकिया तहसील के वर्तमान कैम्प के अतिरिक्त क़ैदियों के दो नये कैम्प चलाने के एक प्रस्ताव पर चालू वर्ष के लिये व्यय की नई मदों द्वारा विचार किया गया था। प्रस्ताव स्वीकार हो गया था परन्तु बजट में केवल १०,००० रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई थी। यह आशा की गयी थी कि कैम्पों के चलाने का व्यय १०,००० रु० से कहीं अधिक होगा। यानी सरकार को पहले से पता था कि हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा लेकिन केवल १०,००० रुपये की ही व्यवस्था की गई। सप्लीमेंटरी बजट तो इसलिये होता है कि जब कोई अनफ़ोरसीन खर्चा आ जाय जो पहले से मालूम न हो तो खर्चा किया जा सकता है। लेकिन यहां पर सरकार को पहले से मालूम था। लेकिन सरकार ने बजट बनाते समय गलती की और जितना खर्च रखा जाना चाहिये था नहीं रखा गया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अब इस बात को जानते हुये भी कि खर्चा ज्यादा होगा बजट मैनुअल के खिलाफ ४,४०,४०० रुपये की मांग मांगी जा रही है। मैं समझता हूं कि जब कोई व्यय अधिक हो तो वह हमारे सामने आना चाहिये और मंजूर कराना चाहिये। लेकिन सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिये। जब दो कैम्प चलाने थे तो दस हजार रुपया रखा गया। अब जब कि एक ही कैम्प चलाना है तो ४ लाख रुपये की मांग की जा रही है। इससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं जरूर डिपार्टमेंट में ग़लती होती है और वह इस तरह से सप्लीमेंटरी ग्रांट में रख कर पूरी की जाती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह ग़लती हुई और बजट के बारे में जो सिद्धांत हैं उनकी अवहेलना की गई। इसलिये ही मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि श्री नारायणदत्त जी तिवारी जो फायनेन्स के मामलों को बहुत समझने की कोशिश करते हैं उनको इतनी छोटी सी बात के समझने में दिक्कत हुई। यह जाहिर सी बात है कि शुरू में कैम्प खोला गया और उसमें एक हजार से भी अधिक क़ैदियों के रहने के बाद कोई भी सरकार इतनी पागल नहीं हो सकती थी, जो यह समझे कि एक हजार क़ैदियों के खिलाने-पिलाने में केवल दस हजार रुपये ही लगेंगे। हम समझते थे कि ज्यादा रुपया खर्च होगा और अब भी यह समझते हैं कि एक पैसा भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि दो के बदले एक कैम्प खोलने का सवाल है लेकिन क़ैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसमें काफी खर्चा होगा। इसमें तो महज एकाउंटिंग की बात है। ४,४०,४०० रुपये वह कमायेंगे, वह रुपया जमा हो जायगा। हम उसी रुपये को खर्च कर सकेंगे और उसी के लिये इस बजट में यह १०० रु० की मांग रख दी गयी है। लेकिन जहां तक सवाल है वह कमायेंगे जरूर और उसी रुपये को खर्च करने का सवाल है। एकाउंटिंग की दृष्टि से यह रुपया मांगा जा रहा है। इसलिये इसमें कहीं कोई ग़लती नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि मंत्री जी ने मेरे दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न नहीं किया। मेरा निवेदन तो केवल यह था कि चकिया में जो कैम्प चल रहा है उसमें क़ैदियों को मजदूरी दी जायगी और सरकार को यह मालूम था कि उससे आमदनी होगी तो उसकी व्यवस्था मूल बजट में भी तो हो सकती थी और सप्लीमेंटरी बजट में इसके लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। केवल इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार सप्लीमेंटरी अनुदानों की संख्या बढ़ाना ठीक नहीं है। इससे सप्लीमेंटरी बजट के मूल सिद्धांतों की अवहेलना होती है। मैं आपकी आज्ञा से इसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—पुलिस—लेखा शीर्षक २९ के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इसका जितना ब्योरा देना संभव है वह इस मेमोरंडेम में दिया हुआ है। समय-समय पर भी इसकी चर्चा होती रहती है। अनेक कारणों से तिब्बत के पास के हमारे प्रदेश के हिस्से की सुरक्षा करना आवश्यक प्रतीत हुआ और वहां के लिये विशेष रूप से पुलिस का प्रबन्ध हुआ। क्योंकि वह जमींन पहाड़ी जमीन है। जो पुलिस वहां रखी जायगी उसकी ट्रेनिंग दूसरे क़िस्म की होगी क्योंकि दूसरे क़िस्म की जमीन में उनको काम करना होगा, इत्यादि-इत्यादि। इन बातों को सोच कर वहां ऐसी पुलिस रखने की जरूरत हुई। वहां उनके रहने के लिये जमींन का इन्तज़ाम किया गया, उनके लिये बैरेक्स बनाये गये। उस पुलिस के ऊपर कंट्रोल तो हमारा रहेगा, हमारे ही अफसर वहां रहेंगे लेकिन उसका जो खर्चा होगा वह भारत सरकार से हमें मिलेगा। यह खर्चा बीच ही में पैदा हुआ जिसके लिये कोई प्राविज़न बजट में नहीं था इसलिये उसके लिये मैंने टोकिन ग्रांट सदन के सामने रखी है। इसके अतिरिक्त और ज्यादा ब्योरा मैं देने में असमर्थ हूं। आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री सत्य सिंह राणा (ज़िला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कमी कर दी जाय।

इस सम्बन्ध में जो भाषण दिया गया तथा जो स्मृतिपत्र दिया गया है उसको देखने के बाद यह पता लगता है कि सरकार को अवश्य ही तिब्बत की ओर से कुछ आशंका है जिसके कारण वहां पर पुलिस दल रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। सरकार को किसी भी समय विदेशी मुल्क तिब्बत की तरफ से अतिक्रमण की आशंका हो सकती है। अब देखना यह है कि जो पुलिस दल रखा गया है उसकी वहां कहां तक सार्थकता हो सकती है।

सब से प्रथम मैं माननीय गृह मंत्री जी महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि यह जगह तिब्बत की सीमा के पास बड़े खतरे की है और टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल के अन्दर है। ये स्थान इतने दुर्गम और दूर हैं कि उनकी सुरक्षा की आशा पुलिस दल को रख कर की जाय, यह सम्भव नहीं है। यह व्यवस्था ऐसे पुलिस दल को रख कर की जा रही है जिसके पास हथियार और गोली बारूद भी होंगे। अगर कहीं खतरा पैदा हो ही गया तो क्या उस स्थिति में ऐसी सम्भावना हो सकती है कि वहां तक ट्रूप्स का मूवमेंट जारी रह सकेगा क्योंकि उनके लिये रसद और मदद भी भेजनी होगी। हमें सोचना यह है कि ऐसा समय उपस्थित होने पर क्या ऐसा सम्भव हो सकेगा, जब कि वहां पर कोई यातायात का साधन नहीं है, हवाई जहाज का वहां पर कोई अड्डा नहीं है। सरकार ने वहां पर ऐसे रास्तों का निर्माण नहीं किया है जिन पर हो कर शीघ्रता से रफ्तार के साथ वहां पहुंचा जा सके। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार इस दल की भी रक्षा करने में असमर्थ हो सकती है? सरकार को इस बात का ख्याल भी करना होगा कि जो वहां तिब्बत के निकट पार्श्व में रहने वाले हैं उनका एक प्रकार से सम्बन्ध तिब्बत वालों से कहा जा सकता है, क्योंकि उनका आदान प्रदान उनके ही साथ अधिक तर रहा है, फिर आज कल उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहीं ऐसा न हो कि यही लोग किसी वक्त तिब्बत से खतरा पैदा होने पर उनके मददगार होने के बजाय उनके क़ातिल हो जायं। ऐसी स्थिति में बाहरी खतरे से बचने के लिये, जब तक कि यातायात के साधन ठीक नहीं हो जाते पुलिस टुकड़ी को वहां रखना फायदेमन्द न होगा। इसके अलावा दूसरा पहलू भी है उसको भी मैं सरकार के सामने रख देना चाहता हूं। वह यह है कि यह जो टेहरी-गढ़वाल का इलाका है वह उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। विकास की दृष्टिकोण से वहां अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वहां की जनता यह समझती है कि सरकार की दृष्टि हमारी ओर से अवहेलना की है। उनके अन्दर एक असंतोष की भावना प्रज्वलित हो रही है। एक ओर तो सरकार उनके विकास की परवाह नहीं करती दूसरी ओर वहां पर पुलिस दल को रखा जा रहा है। कहीं ऐसा न हो, कि वे लोग यह समझने लगें कि हमको

[श्री सत्य सिंह राणा]
कुचलने के लिये यह दल भेजा गया है । इस संबंध में मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस विशेष बात की ओर भी दिलाऊंगा। इस स्थान पर पिछले वर्ष एक दूकानदार से एक ए० एस० पी० ने झगड़ा किया था और एक सरपंच व उस दूकानदार को पीटा था। ऐसा अत्याचार कभी पहले नहीं देखा गया था। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस ऐसे अत्याचार नहीं करती थी । उसकी शिकायतें गृह मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री के पास तथा सेंटर के गृह मंत्री महोदय से की गयीं लेकिन फिर भी कोई जांच की कार्यवाही नहीं की गयी । आखिर में ए० एस० पी० ने राजीनामा करवाया। उस राजीनामे के अन्दर उस पुलिस अफसर ने अफसोस जाहिर किया, अपनी ग़लती को स्वीकार किया । लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि उसके खिलाफ अभी तक कोई क़दम नहीं उठाया गया । मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार इन इन्टरनल खबरों को वे एक्सटर्नल खतरे से कम महत्व-पूर्ण न समझें। अगर भीतरी वातावरण वहां का खराब हो गया तो कोई भी बाहर की शक्ति आयेगी उसका लोग वहां स्वागत करेंगे, यह बात निश्चित है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहां के विकास कार्यों को प्राथमिकता दे तथा वहां के यातायात के साधनों को बढ़ाने की चेष्टा करे और उन साधनों को बढ़ाने के बाद अगर रेग्युलर फोर्स को भी रखा जा सके तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में अगर सरकार फिर भी उचित समझती है कि पुलिस दल का वहां रखना आवश्यक है तो जब कि वहां पर यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं तो मैं एक सुझाव यह देता कि वहां के लोगों को ही उस सेना में भर्ती किया जाय जो कि वहां की जल-वायु को बर्दाश्त कर सकते हैं। उनको भी कुछ फायदा पहुंचे और वे सुरक्षा के दृष्टिकोण को समझें। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुये यदि सरकार वहां यातायात के साधनों को बढ़ाने की कोशिश करे तो पुलिस दल के वहां रखने पर उसकी उपयोगिता साबित हो सकती है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राणा साहब ने जो यह सुझाव दिया है कि हमारी गवनमट को बोर्डर की सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिये तो मैं आप के द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि हमारी यू० पी० गवर्नमेंट उस तरफ एक बड़ा क़दम उठा रही है । हमारे राणा साहब का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट को पुलिस में डेवलपमेंट करना चाहिये लेकिन मैं उनको अपनी सेक्रेसी की बात नहीं बतलाना चाहता हूं क्योंकि यह देश की सुरक्षा से सम्बन्धित है । गवर्नमेंट अपना इन्तजाम सब ठीक से कर रही है । मैं गवर्नमेंट स यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि वह तिब्बत के रास्ते म इन्तजाम कर रही है वैसा ही नैपाल की सरहद पर बस्ती के उत्तर वाले इलाके में भी पुलिस का विशेष इन्तजाम करे । मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उसने एक सुन्दर कदम उठाया है । राणा साहब को वेलकम करना चाहिये था और बिना वोटिंग के, बिना कुछ कहे इस बजट को पास करना चाहिये था क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा इन्तजाम कर रही है और सही माने में काम कर रही है, लेकिन मैं थोड़ा और भी पुलिस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पुलिस के संबंध में जो आज लोगों की बड़ी शिकायतें हैं उसका एक कारण यह भी है कि हमारी पुलिस को वेतन भी बहुत ही कम मिलता है । एक कांस्टेबिल को ५० रुपया मिलता है उसमें से २५ रु० तो वह स्वयं खाता है और केवल २५ रु० ही घर वालों को दे पाता है। फिर इससे कम रुपये में उसके घर वालों का कैसे निर्वाह हो सकता है ? इसके अलावा उनके रहने के लिये जगहों की भी बड़ी दिक्कत है । एक तिहाई लोगों के लिये तो एकामोडेशन है जहां कि वे चौकी में रहते हैं और दो तिहाई ऐसी जगह में एक साथ रहते हैं जैसे लड़के बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। तो इस तरफ भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना है। हमारी पुलिस आज डिमोरेलाइज्ड इसलिये है कि उसकी तनख्वाह कम है। पुलिस में बहुत से ईमानदार भी हैं। बहुत से हमारे सब-इंसपेक्टर ऐसे हैं जो ईमानदार हैं और बहुत से गड़बड़ी करने वाले भी हैं । ऐसे लोगों को भी जानता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं पुलिस के मंत्री महोदय को फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा सुन्दर कदम उठाया है जिससे हमारे देश के हर नौजवान

और हर माननीय सदस्य जो यहां पर मौजूद हैं वे प्रान्त में जहां कहीं भी जायं लोगों को जरूर सचेत करें कि जनता को सचेत रहना चाहिये और अपने देश की बोर्डर की रक्षा के लिये देश के बच्चों को तैयार रहना चाहिये और एलर्ट रहना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय शिवनारायण जी ने जो बातें कहीं मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी समझता हूं कि पुलिस में जो लोग काम करते हैं उनका वेतन बहुत कम है और उनके रहने की जगह की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन जब मैं प्रदेश की आमदनी की तरफ देखता हूं तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं इस सदन के सामने और अधिक रुपये की मांग कर सकूं। जहां तक इस कटौती का प्रस्ताव की बात करते हुये श्री राणा ने कुछ बातों का जिक्र किया वे बड़े महत्व की हैं। यह बिलकुल सही है कि वहां रहने वालों को अपनी जीविका के लिए तिब्बत पर निर्भर रहना पड़ता है और वहां पर रहने वाली पुलिस के लिये जगह का कोई इन्तजाम नहीं है। मुझे आशा है कि कुछ समय के अन्दर उसकी व्यवस्था हो सकेगी परन्तु उस व्यवस्था के लिये हम रुक नहीं सकते हैं क्योंकि जहां देश की रक्षा का काम होता है वहां पुलिस का प्रबन्ध करना ही पड़ता है। राणा साहब का कहना ठीक है कि यातायात के साधन सन्तोषजनक नहीं हैं। मुझे भी इस बात का पता है और हम भी इस बात को समझते हैं कि जहां तक पुलिस की बात है उसके लिये भी जितना संतोषजनक प्रबन्ध होना चाहिये उतना सन्तोषजनक तो नहीं है लेकिन यह काम जैसे कि पुलिस दल का खर्चा हमें गवर्नमेंट आफ इंडिया से लेना पड़ा, वैसे ही वहां पर यातायात के साधन के लिये, वहां सड़कें बनाने के लिये जितना रुपया चाहिये वह प्रादेशिक सरकार के सामर्थ्य के बाहर की बात है। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया से बातचीत हो चुकी है और उनके फौजी अफसरों ने उस जमीन को देखा है जिसे उसके लिये आवश्यक समझा गया है। आप को इस बात में विश्वास रखना चाहिये कि जहां भी जैसी जरूरत होगी उसको पूरा करने की हम अवश्य कोशिश करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों को सुनने के बाद श्री राणा साहब अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री सत्य सिंह राणा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा सब बातें स्पष्ट होने के बाद मुझे कुछ आशा हुई कि माननीय मंत्री महोदय और हमारी प्रादेशिक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में यह सब काम हो जायगा इसलिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३९—जन—स्वास्थ्य

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३९—जन—स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिय स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास और खोज

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस डिमान्ड पर टाइम मुकर्रर नहीं हुआ था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं इस बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह जो बाजरा, मूंग, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मोठ आदि की पंच साला योजना अब तक चल रही है इसकी प्रगति के बारे में बिना जाने हुये यह ग्रांट जो मांगी गयी है इस पर वोट करना उचित नहीं है। जब कि सरकार को मालूम था कि पांच साल सन् १९५३ के मार्च मे खत्म होने वाले थे तो पुराने मूल बजट में इसको क्यों नहीं रखा गया था? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत—इसकी प्रगति के संबंध में आपको न मालूम हो यह दूसरी बात है परन्तु समय-समय पर जो प्रगति इस सिलसिले में होती रही है वह बतायी जाती रही है और इसलिये इस मांग को रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास और खोज के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक—४०—कृषि के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६–लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९–ख–विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६––विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं––लेखा शीर्षक ४१,१७ और १९–ख के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६––विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं––लेखा शीर्षक ४१, १७ और १९–ख के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७–लेखा शीर्षक १७, ४१, ६८ और ८१–क–विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७–विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय–लेखा शीर्षक १७,४१, ६८ और ८१-क के अन्तर्गत २०० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७–विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय–लेखा शीर्षक १७,४१, ६८ और ८१–क के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८–लेखा शीर्षक ४२–सहकारिता

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८–सहकारिता के आधार पर ऋण–लेखा शीर्षक ४२–सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८–सहकारिता के आधार पर ऋण –लेखा शीर्षक ४२–सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९–लेखा शीर्षक ४३–उद्योग

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९–उद्योग–लेखा शीर्षक ४३–उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये दस मिनट हैं। मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये लिस्ट में मैं देखता हूं कि कोई समय नहीं रखा गया है। आप कोई सूचना जानना चाहते हों तो मालूम कर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—श्रीमान् जी, इसमें फ्रूट यूटिलाइजेशन स्कीम की चर्चा है और हार्टिकल्चर का भी जिक्र है। यह फ्रूट यूटिलाइजेशन स्कीम का काम उद्योग विभाग के अन्डर चल रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हार्टिकल्चर विभाग उद्योग के अन्डर ही चलेगा ? जो मालियों आदि की ट्रेनिंग होने वाली है वह उद्योग विभाग करेगा या हार्टिकल्चर विभाग करेगा और कृषि विभाग के प्रबन्ध में वह काम होगा ? यह सब मैं जानना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसके लिये कोई समय नहीं रखा गया था इसलिये इसका कोई रिकार्ड मेरे पास यहां नहीं है और इस वास्ते कोई जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९, उद्योग—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये समय विभाजन की सूची

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—समय वाली लिस्ट सुना दी जाय तो हमें सुविधा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं २० मिनट, अनुदान संख्या ३५—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान १५ मिनट, अनुदान संख्या १९—शिक्षा १० मिनट, अनुदान संख्या २५—१० मिनट, अनुदान संख्या ४२, असाधारण व्यय—४ मिनट, अनुदान संख्या ४३, योजना और एकीकरण, १५ मिनट, अनुदान ४५—कृषि योजना पर पूंजी की लागत, १० मिनट।

१९५३-५४ के अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (श्रम और संख्या)

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३० (श्रम और संख्या)—लेखा शीर्षक ४७-विविध विभाग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३० (श्रम और संख्या)—लेखा-शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण—कार्य तथा ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व

से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक५ ०—नागरिक निर्माण कार्य—निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि नम्बर २० भी इसी के साथ ले लिया जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी चाहें तो उसे भी साथ ही ले लें।

श्री गिरधारी लाल—गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—सार्वजनिक निर्माण कार्य—स्थापना पर व्यय-लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य तथा ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान का समर्थन करते हुए मैं चार सुझाव अपने देना चाहता हूं।

अनेक सदस्य—पहले कटौती का प्रस्ताव तो रखिये। कटौती का प्रस्ताव कहां है?

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—मैं सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। सबसे पहली बात जो मुझे कहनी है वह पुलिस के बारे में है। इसमें एक अनुदान ८५ हजार रुपये का मंजूर होने जा रहा है जिससे कि निस्सेन झोपड़े बनाये जायेंगे, जो कि बोर्डर में पुलिस जायगी उनके लिए। यह इन निस्सेन हट्स के खरीदने और उनके ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए खर्च रखा गया है। इसके बारे में मुझे कहना यह है कि ८ हजार से १० हजार की बुलन्दी पर यह पुलिस की फोर्सेज वहां जायंगी। उनके लिये ये मकान कहां तक कामयाब होंगे इसमें मुझे शक है क्योंकि मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूं। मुझे अन्देशा है कि ये हट्स उनके लिये काफी नहीं होंगे क्योंकि वहां जाड़ों में तीन गज बर्फ पड़ती है और ये निस्सेन झोपड़े उस तीन गज बरफ को रोक सकेंगे, इसमें मुझे शक है। इसके अलावा जो पुलिस उनमें रहेगी उनके लिये भी मैं यह नहीं समझता कि वे कामयाब होंगे क्योंकि वहां इतनी ठंड होती है कि इन निस्सेन हट्स के अन्दर वे निमोनिया के शिकार हो जायंगे। मैं तो यह सोचता हूं कि इन इलाकों में माननीय मंत्री महोदय यह ख्याल रखेंगे कि ज्यादातर स्थानीय (लोकल) पुलिस ही रखी जाय जो कि उस ठंड को बर्दाश्त कर सकती है और इस दस हजार की बुलन्दी पर जाड़ों में रह सकती है। लेकिन अगर यहां से लोग वहां गये तो मुझे नहीं आशा है कि इन जाड़ों में वह उन निस्सेन हट्स में रह सकेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन खोज और विकास स्टेशन ऋषिकेष में बनाने जा रहे हैं जिसके लिए भी ३६ हजार रुपये की एक मांग है। तो उसके विषय में मुझे यह कहना है कि यह जो पशुपालन स्कीम बनी है वह पर्वतीय प्रदेशों के उत्थान के लिए बनाई गई थी और इसका मंशा यह था कि अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी में भेड़ और ऊन आदि तथा मीन पालन, कुक्कुट पालन, आदि का विकास हो, भेड़ों का विकास हो, गाय भैंसों, खच्चर इन सबका विकास हो और इसके लिए ३० लाख रुपये की एक योजना बनाई गई थी। तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका ख्याल रखेंगे कि इन जानवरों को जो कि

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

ऊंचाई पर ही रह सकते हैं, अभी आस्ट्रेलिया से भेड़ें आने वाली हैं, इन सबको वह बजाय ऋषिकेष में रखने के पहाड़ पर ही कोई सेंटर इसके लिए बनायेंगे। हमारे पहाड़ के इलाके में हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और वहां वह सेंटर काफी कामयाब हो सकता है। अगर भेड़ें ऋषिकेष में रखी गईं तो मुझे शक कि वह वहां अच्छी तरह से पल भी सकेंगी क्योंकि लोअर आलटीटयूड पर उनका पालना बड़ा मुश्किल होगा और ऐसे गर्म स्थान पर उनका रखना उचित भी नहीं मालूम होता। मेरा सुझाव यह है कि पहाड़ी इलाकों में इन भेड़ों के रखने की व्यवस्था की जाय और यह स्कीम जो कि ३० लाख रुपये की है, जिसको मंजूर हुए दो साल हो चुके हैं और जो अभी बिल्कुल ही कार्यान्वित नहीं हुई है उसको जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाय।

तीसरी बात जो मैंने देखी वह नैनीताल जिले में टनकपुर से पिथौरागढ़ तक टेलीफोन की लाइन सरकार लगाने जा रही है। इसके लिए मैं सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज को कार्यान्वित करने का इरादा किया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस टेलीफोन लाइन को बहुत जल्द लगायेगी। साथ ही मुझे एक सुझाव यह देना है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक एक ब्राइडिल पाथ था ६० मील का। अब हमने १०० मील मोटर रोड बनायी है और ज्यादातर आयात-निर्यात अब उसी मोटर रोड से ही लोगों का है और पुराना ब्राइडिल पाथ आउट आफ यूज हो गया है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बरसात में चारों ओर जब बरफ पड़ती है तो वह तार की लाइन हमेशा टूट जाती है। हफ्तों तक तार की लाइन से कुछ काम नहीं होता। तो सरकार से मेरा सुझाव है कि यह जो तार की लाइन पुरानी ब्राइडिल पाथ की है उसको भी मोटर रोड के किनारे किनारे बढ़ाकर पिथौरागढ़ तक कर दिया जाय और उसको असकोट तक पहुंचा दिया जाय और अस्कोट से बागेश्वर तक तार की लाइन भी होना नितान्त आवश्यक है।

बजट में भी बतलाया गया है कि यह बहुत जरूरी सड़क है जिसको कि प्राविंशियल सड़क सरकार बनाने जा रही है और इसकी आवश्यकता जितनी है उसको भवन के सम्मुख बयान करके ज्यादा समय नष्ट करना नहीं चाहता। मैं तो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जितनी भी जल्दी हो यह तार की लाइन बनायी जाय और यह टेलिफोन लाइन भी पिथौरागढ़ तक पहुंच जानी चाहिये और पिथौरागढ़ वाली लाइन अस्कोट और बागेश्वर तक मिला देनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर सरकार अवश्य ध्यान देगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)— माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि पिथौरागढ़ वगैरा की तरफ जहां पर तिब्बत मिनेस, कम्युनिस्ट मिनेस जिसको कहा जा रहा है, उसकी तरफ टेलीफोन की व्यवस्था हो रही है और हम लोग जो उस जगह को दूर समझते थे अब उनके नजदीक ही आ जायंगे। इस चीज के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, जब बातें कभी अच्छी हुआ करती हैं तो उसकी तारीफ करना आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि तुम तो हमेशा विरोध ही करते हो, तारीफ नहीं करते। मैं सरकार को एक और बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि सन् १९४६ से हमारे यहां एक सड़क मंजूर थी, उसके निर्माण का काम सरकार ने शुरू कर दिया और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहाड़ है, या इस देश की बात है मैं इसे महत्व नहीं देता हूं। जैसा कि श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा कि वही लोग

झोंपड़ी में रह कर वहां की ठंडी हवा बरदाश्त कर सकते हैं, हमारे यहां के लोग देवरिया की लू भी बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी तो वहां जाने की चेष्टा नहीं है। हमारे पहाड़ों को सड़क ही एक ऐसी चीज है जिसकी हमें आवश्यकता है। यहां के लोग तो रेल से भी फायदा उठा सकते हैं, हवाई जहाज से भी फायदा उठा सकते हैं, हमारे पास तो चलने के साधन भी नहीं हैं और मीन्स आफ कम्युनिकेशंस इतने कम हैं जिसके कारण सड़क ही हमारे लिए एक बड़ी भारी चीज है। हमारे यहां जब कोई सड़क का काम शुरू हो जाता है तो जिस तेजी से हमारे यहां श्रमदान का काम होता है और जिस मेहनत के साथ होता है उसके लिये हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जिन सड़कों पर काम हो रहा है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। हमारे यहां २० मील का टुकड़ा है और ५ मील बन चुका है। आज ही मेरे पास पत्र आया है कि तीन हजार नंगाड़े, निशान, बाजे लेकर लोग उसको बना रहे हैं और बाकी जो रहेगा वह राक कटिंग की चीज रह जावेगी। ज्यादा से ज्यादा १ लाख रुपया उसमें लगेगा। सेविंग्स से जो रुपया बचेगा तो मेरी प्रार्थना है कि उस सड़क पर लगा दिया जाय। हम उस सड़क को पूरा करके रानीखेत तक ले आना चाहते हैं और उसे पत्थर, नार्थ गढ़वाल से मिलाना चाहते हैं। यह सब श्रमदान से कर लेंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार जनता के इस प्रयास को सफल बनाने में ज्यादा से ज्यादा तेजी से कदम उठायेगी।

निर्माण उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान के लिए रुपया मांगा गया है और जो भी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं हैं उससे हम बड़े उत्साहित हुए कि इस विभाग के कार्य को माननीय सदस्यों ने सराहा और मैं आशा करता हूं कि इस माननीय सदन के सदस्य हमेशा जो कार्य इस विभाग के होंगे उनमें सहायता देते रहेंगे। कुछ बातें यहां माननीय उपाध्याय जी ने कहीं और विष्ट जी ने कुछ व्योरेवार बातें कहीं। हमें पुलिस द्वारा जो कुछ रुपया दिया गया है उससे, जो कुछ पुलिस वहां रखी जा रही है, उसकी एकोमोडेशन (हट्स) बनानी है। उन्होंने कहा कि जिस जिस तरह की हट्स वहां बनाई जाने वाली हैं शायद उनसे आवश्यकता पूरी नहीं हो सकेगी। एक तो मैं यहां यह अर्ज कर दूं कि हमारा विभाग तो एक तरह से मजदूरों का विभाग है। हमें जो हुक्म मिलता है वह इस विभाग द्वारा किया जाता है। पुलिस विभाग को जरूरत पड़ी कि वहां पुलिस के आदमी कुछ रखे जायं और उनके लिये स्थान बना दिये जायं। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो हट्स इसमें प्रोवाइड किये गये हैं उनकी देखभाल करके, वहां के इंजीनियर्स ने और पुलिस विभाग के लोगों ने, जो चीज सही समझी होगी वह की है। जो यह कहा गया कि वहां ऐसे आदमी रखे जायं जो कि सर्दी को बरदाश्त कर सकें, वह भी पुलिस मुहकमें की बात है। यह सही बात है कि जहां जो पुलिस के लोग रखे जायं वह ऐसे रखे जायं जो वहां रह सकें। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा, उनका तजुर्बा पहाड़ों का है। वह बेजा नहीं है कि जो हट्स बनाये जायंगे उनमें लोग सही तरीके से रह सकेंगे। जितनी सर्दी वहां पड़ती है उसे वह बरदाश्त कर लेंगे।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो कृषि विभाग से हमें भेड़ों के लिये एक खास किस्म का कांस्ट्रक्शन करने के लिये रुपया मिला है उसके लिये मुझे अर्ज करना है कि सोच विचार कर ही कृषि विभाग ने इसे तय किया है। साधारण तौर से यह मालूम होता है कि ऋषिकेष ऐसी जगह पर है जो कि पहाड़ से भी लगा हुआ है और मैदान से भी लगा हुआ है। पहाड़ का दरवाजा है। वहां पर ठंडक भी

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

होती है और कुछ मामूली गर्मी भी होती है। इस तरह से जो वहां भेड़ें रखी जायंगी वह वहां ठीक तरह से रह सकेंगी। मेरे ख्याल में यह सही बात नहीं है कि वहां भेड़ें पाली नहीं जा सकतीं। वह उपयुक्त स्थान है और वहां पर कांस्ट्रक्शन होना है।

उन्होंने पिथौरागढ़ और टनकपुर रोड की बात कही। मुझे खुशी है इसकी यहां पर दाद दी गई। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वह इतनी बड़ी सड़क है जैसा कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि वह न केवल अपने ही स्टेट में बल्कि सारे अपने देश में सब से बड़ी सड़क है। इस पर काफी रुपया खर्च होगा। अभी तो जो रुपया मांगा गया है वह तो सिर्फ टेलीफोन लाइन लगाने के लिये है ताकि वहां रास्ते में एक्सीडेंट न हो सकें। इससे पुलिस वगैरह को भी मदद मिलेगी। जैसा कि माननीय विष्ट जी ने कहा कि वहां एक सड़क बच जाती है उसे भी ले लिया जाय, मेरे ख्याल से इस तरह की छोटी छोटी बहुत सड़कें होंगी जो रह जायंगी। लेकिन खैर, उन्होंने जो यहां बात कही है उसकी जांच कराई जायगी और देखा जायगा कि उसकी महत्ता क्या है।

उपाध्याय जी ने जो बातें कहीं कि पहाड़ों में सड़कें बहुत जरूरी हैं बिल्कुल सही है। जब जो बजट आइन्दा आने वाला है उसमें वह देखेंगे कि पहाड़ों की सड़कें इस विभाग के सामने मुख्य स्थान रखती हैं। पहाड़ी सड़कों को काफी महत्व दिया गया है क्योंकि वहां आवागमन के और कोई साधन नहीं हैं। इस पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि जहां तक हो सके पहाड़ों की दिक्कत को दूर किया जाय। इस तरह से मैं समझता हूं कि जो चीजें कही गई थीं उनका मैंने उत्तर दे दिया और यह सदन सर्वसम्मति से उन मांगों को पास करेगा, ऐसी मेरी आशा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य-निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४९,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४—सार्वजनिक निर्माण कार्य-स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य तथा ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत छोटा सा प्रस्ताव है और इस पर बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। देवरिया जिले में एक ऐसा भाग है जो कि एक नदी से दो टुकड़ों में बंटा हुआ है। काफी गन्ना वहां पैदा होता है और वहां एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में लोग बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। बीस वर्ष हुये जब वहां एक पुल बना था लेकिन वह दूसरे साल ही बह गया। उसके बाद वह पुल अब तक नहीं बन सका। यह पुल खनुआ नदी पर बघौच घाट पर देवरिया जिले में है। पुल इस वक्त नहीं है। उसकी कठिनाई को देखते हुये इस वक्त यह अनुभव किया जा रहा है कि वहां पर उसका खर्चा १ लाख १८ हजार रुपये होगा। वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इतना रुपया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक तिहाई हिस्सा उसका देगा और वहां की जनता एक तिहाई हिस्सा देगी। बाकी एक तिहाई जो लगभग ३९ हजार ३ सौ रुपये होगा उसको गवर्नमेंट खर्च करेगी। इस वक्त यह सौ रुपये की मांग मैंने इसलिये पेश की है ताकि जो कुछ इस पुल के बनवाने में रुपये खर्च हों, ३९ हजार ३ सौ तक, उनको भवन के सामने रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जायगी।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मद (क) में नागरिक निर्माण कार्य के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं। महोदय, एक खनुआ नदी देवरिया जिले में है जिस का बघौच घाट है। आज से २० वर्ष पहले वहां एक पुल बन रहा था जो कि तैयार होने के पहले ही बह गया। देवरिया जिले में मुख्य खेती गन्ने की होती है। वहां खेती करने वालों को उस पार से किसी निकट के मिल में गन्ना लाने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिये वहां के लोगों ने महसूस किया कि किसी तरह से पुल बने। वहां की स्थानीय जनता ने एक तिहाई रुपया इकट्ठा किया और वहां का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक तिहाई रुपया देने के लिये तैयार हुआ। उसके बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और कुछ माननीय सदस्य यहां माननीय मुख्य मंत्री के पास आये और उनके सामने पुल के बनवाने के लिये रुपये की मांग की गई। माननीय मुख्य मंत्री ने उसके लिये ६० हजार रुपया देने के लिये आश्वासन दिया। लेकिन ग्रान्ट में ३९,३०० रुपये आये हैं, वह नाकाफी हैं। मैं बतलाऊं कि वह पुल जिसके लिये हमारे माननीय मंत्री जी ने ग्रान्ट रक्खी है उसके लिये मैं उनको अपने जिले की तरफ से धन्यवाद देता हूं लेकिन जो रुपया उन्होंने दिया है वह हमारे देखने में कम मालूम होता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा और रुपया देकर उस पुल को जल्दी से जल्दी बनवाने का कार्य शुरू कराया जाय।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। अभी अभी हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य ने खनुआ नदी बघौच पुल के सम्बन्ध में अपने विचार रक्खे। मैं भी उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी के साथ साथ गृह मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा। अभी सदन में पुलिस की अनुदान पर जब बहस प्रारम्भ हुई तो तिब्बत के नीचे सरहदी इलाकों में पुलिस की जरूरत विशेष रूप से वाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा के लिये अनिवार्य समझी गई। इसी तरह मैं गृह मंत्री जी का ध्यान खनुआ नदी बघौच घाट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि यह घाट जो बिहार की सरहद पर है पुल की कमी के कारण देवरिया जिले की सरहद पर वाह्य आक्रमणों का जरिया बन गया है। बिहार से आये हुए आतंकवादी डाकू और चोर देवरिया जिले की गरीब जनता को सताया करते हैं और निरीह जनता पुल

[श्री रामेश्वर लाल]

न होने के कारण उनका मुकाबला नहीं कर पाती इसलिये कि वह खनुवा नदी के इस पार ही रुक जाते हैं। गृह मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जहां तक पुल का सम्बन्ध है उसकी आवश्यकता जहां यह है कि वह बिहार को सम्बन्धित करता है यू० पी० के देवरिया जिले को बिहार के छपरा जिले से, वह काम केवल पुल के बना देने से ही पूरा नहीं हो जाता बल्कि आवश्यकता यह भी है कि जो कच्ची सड़क टूटी-फूटी खनुवा नदी को पार करती है बिहार में बटिया स्थान पर जाने के लिये उसको भी पक्की बनाया जाय। जिस तरह से पुल बनाकर आप यू० पी० और बिहार के सरहदी इलाके के धन्यवाद के पात्र होंगे उसी तरह से इस सड़क को पक्की सड़क बना देने पर देवरिया जिले के लोग आपके आभारी होंगे और आप यश के भागी बनेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री राम सुभग वर्मा—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—दुर्भिक्ष सहायता—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि इस वर्ष कुछ अकस्मात विपत्तियां हमारे प्रदेश पर आईं, वर्षा अधिक होने के कारण कुछ नदियों में बाढ़ आई खास तौर पर गोमती, गंडक, घाघरा, सई, राप्ती, सरयू और रामगंगा ये नदियां हैं। इन नदियों की बाढ़ से विशेषकर बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, फैजाबाद व जौनपुर के जिलों में विशेष क्षति फसल को और मकानों के गिरने की हुई। जान का खतरा तो नहीं हुआ। लेकिन इस विशेष क्षति के लिये विशेष सहायता की आवश्यकता हुई। चूंकि पिछले बजट में १९५३-५४ में केवल ९ लाख रुपया ही स्वीकृत हुआ था लेकिन खर्चा इससे अधिक हुआ। अब तक ११ लाख १६ हजार रुपया टेस्ट वर्क्स के लिये जिलों में बांटा जा चुका है। इसके अलावा आग लगने के कारण भी ७२,३२६ रुपया स्वीकार किया जा चुका है। पहाड़ी इलाकों में स्केयरसिटी की वजह से इस काम को हाथ में लेने की जरूरत हुई। अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी में ८० हजार रुपया टेस्ट वर्क्स में और ८२ हजार निर्मूल्य सहायता के लिये दिया गया। चूंकि केवल ९ लाख रुपया ही स्वीकृत हुआ था इसलिये ४ लाख रुपये की विशेष मांग रखी गई है। मैं समझता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार करने में सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कल जनरल डिसकशन के समय टेस्ट वर्क्स के बारे में पहाड़ी इलाक़ों के लिये श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि मजदूरों को २, २ महीने तक मजदूरी नहीं मिली।

यह बात नहीं है। कुछ विलम्ब जरूर हुआ। इलाका पहाड़ी होने की वजह से हेडक्वार्टर पर वाऊचर भेजने में कुछ थोड़ा सा समय लग जाता था। इसलिये ६ हजार रुपये की रक़म वहां के अफ़सर को दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि टेस्ट वर्क्स के लिये औजार समय पर नहीं मिलते। पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत वे मिलते हैं। अगर कोई शिकायत आवेगी तो उसे दूर किया जायगा। स्टाफ के लिये उन्होंने कहा, सो एक नायब तहसीलदार वहां रख दिया गया है और एक ओवर-सियर के वास्ते सोचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि १२ आने मजदूरी कम है। यह गल्ले की निर्ख पर रखी गई है। पहले १०, १४ और १८ छटांक मजदूरी दी जाती थी लेकिन अब यह १६, २० और २४ छटांक कर दी गई है जिसके हिसाब से १२ आने की मजदूरी कम नहीं है। वैसे डी० सी० को लिखकर भी कहा है और जो रेट गल्ले का वह बतावेंगे उसके हिसाब से मजदूरी रखने की सोची जावेगी। श्री गेंदासिंह जी ने कहा था कि बिहार में बहुत अधिक सहायता दी जाती है और क्या वजह है कि यू० पी० में उतनी नहीं दी जाती? यह प्रश्न एकाध दफा पहले भी उन्होंने यहां रखा था और उन्हें यह बात समझाने की कोशिश भी की गई। बिहार में क्या होता है, इसकी बाबत वहां से पूछा जा रहा है। लेकिन जो कुछ हमारे सूबे में बाढ़-पीड़ित इलाकों में किया गया है मैं समझता हूं कि वहां के जिलाधीशों ने जितना कहा उसमें कोई कोताही नहीं की गई और पूरे तौर पर सहायता करने की कोशिश की गई। इसके अलावा ४५ हजार रुपया प्रधान मंत्री की डिस्क्रीशनरी ग्रांट से भी उन लोगों को दिया गया। तो यह ४ लाख रुपया जो कंटिन्जेंसी ग्रांट से लेकर दिया गया है, मैं आशा करता हूं कि भवन इसे स्वीकार करेगा। वह एक आकस्मिक बात थी, जैसा कि नारायण दत्त जी कहते हैं कि अनफ़ोरसीन। तो यह अनफोरसीन विपत्ति थी जिसके लिये रुपया खर्च करना पड़ा।

श्री राम सुन्दर पांण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

सरकार ने जो अनुदान सदन से मांगने के लिये पेश किया है वह हमारी और बहुत से माननीय सदस्यों की समझ से बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी सहायता बाढ़ आने पर पहले-पहल बहुत कम होती है। मैं तो उस जिले से आया हूं जहां पर हर साल बाढ़ आया करती है। बाढ़ आने से सरकार द्वारा निर्मित बाढ़ कमेटी की बैठक हो जाया करती है। इसके बाद बाढ़ आई और उससे लोगों की रक्षा कैसे की जाय और ऊंची जमीन पर कैसे उनको लाया जाय, उसके लिये सरकार की ओर से कोई इन्तजाम नहीं है। सरकार की ओर से नावों का कतई प्रबन्ध नहीं है। बाढ़-पीड़ितों को उस स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई इन्तजाम नहीं है।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त हमने देखा कि बाढ़ आने के बाद आजमगढ़ शहर की हालत इतनी बदतर थी कि वह चारों तरफ से घिरा हुआ था और राजस्व मंत्री जी ने कहा कि कोई आदमी मरा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्व मंत्री जी की यह बात सुनकर दुःख हुआ। आजमगढ़ में नाव से आने-जाने का प्रबन्ध न होने के कारण कई आदमी डूब गये और बह गये। यह जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी खूबी की बात यह है कि जाड़े के जमाने में पूस और माघ के महीने में तो देहाती आदमियों के लिये जिनके पास खेतीबारी करने के साधन नहीं हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। इन महीनों में केवल ईख की फसल ही सहारा होती है और वह भी बाढ़ से नष्ट

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

हो जाती है। इस प्रकार उनकी रोजी का कोई साधन नहीं रहता। बाढ़ क्षेत्रों में जहां फसलें खत्म हो जाती हैं, वहां के निवासियों की रोजी कैसे चले, सरकार की ओर से उनके लिये प्रबन्ध नहीं है। यहां तक कि टेस्ट वर्क्स जो एक दो महीने पहले होते थे वह भी बन्द हो गये हैं। मैं अपने सारे क्षेत्र में घूम कर आ रहा हूं, हमारे पूरे क्षेत्र भर में एक भी टेस्ट वर्क नहीं हो रहा है।

अभी वहां असेम्बली का निर्वाचन हुआ है, यहां हमारे मुख्य मंत्री जी गये थे और उप मंत्री श्री मुजफ्फर हुसैन जी १५ दिन तक पड़े रहे, वहां सरकार की ओर से कहा गया था कि बांध बनाया जायगा, सड़कें बनाई जायंगी, लेकिन चुनाव होने के बाद वहां काम बन्द हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस क्षेत्र में गया तो देखा कि जो मजदूर वहां काम करते थे और जिनके खाने पीने का इन्तजाम हो जाया करता था वह इस वक्त दाने दाने को मोहताज हैं। उनके लिये खाने पीने तथा बैठने तक का कोई इन्तजाम नहीं है। हजारों घर ऐसे हैं जिनके रहने वाले पेड़ों के तले रहते हैं। उनके मकान गिर गये हैं और सरकार की ओर से उनके मकान बनवाने का कोई इन्तजाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिला जो ४० मील की लम्बाई में फैला हुआ है उत्तर में घाघरा और राप्ती नदी बहती है और यह जिला २० नदियों से घिरा हुआ है। प्रतिवर्ष सारा जिला तबाह हो जाता है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ जिले में गये थे, वहां उन्होंने कुछ शिक्षा संस्थाओं को, जिनको सरकार की ओर से मान्यता नहीं मिली है, उनको भी सहायता दी है। ऐसे वहां पर ३५ हायर सेकेंड्री स्कूल्स हैं और एक डिग्री कालेज भी है, लेकिन आधे लड़के प्रत्येक स्कूल के ऐसे हैं जो फीस के अभाव में बैठते चले जा रहे हैं।

मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री तथा सदन से निवेदन करूंगा कि बाढ़-पीड़ित स्थानों में ऐसे काम होने चाहिये कि बाढ़ जो हर साल आती है उसकी रोकथाम ठीक तरह से हो सके। बड़े-बड़े बांध बनाये जायं, नाव रखी जायं हर साल जो टेस्ट वर्क्स खोले जाते हैं उनकी सारी मिट्टी बरसात में खत्म हो जाती है। सड़कों को पक्का किया जाय तथा पुल बनाये जायं। मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों की सहायता के लिये राजस्व मंत्री जी कुछ घोषणा करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम सुन्दर पांडेय जी ने जो यह कहा कि जब बाढ़ आ जाती है तब ही सरकार उसकी चिन्ता करती है यह इल्जाम गलत है। १३ जिलों में जहां बाढ़ की संभावना रही है वहां पहले ही से ५ हजार फी जिले के हिसाब से ६५ हजार रुपया रख दिया गया था। यह इस बात का सबूत है कि सरकार इस बात की काफी चिन्ता करती है क्योंकि ९ लाख रुपया बजट में इसके लिये था उसको खर्च करने के बाद ४ लाख रुपया और सरकार ने खर्च किया। यह भी नहीं इन्तजार किया कि जब भवन मंजूर करे तब उसके खर्च करने की बात हो। कंटिजेंसी से जरूरत को देखते हुये सरकार ने ४ लाख रुपया इन इलाकों में खर्च करने के लिये दिया तथा कोताही बिलकुल नहीं की। यह रकम सिर्फ बाढ़ के लिये थी। इसके अलावा सरकार ने ४८ लाख ७९ हजार रुपये द्वारा तकावी का इन्तजाम किया था और भी तरह तरह की सुविधायें दीं। अगर मैं उन सब का वर्णन करने लगूं तो भवन का काफी समय लगेगा। समय समय पर भवन के सदस्यों को बतलाया जा चुका है कि बाढ़-पीड़ितों के लिये कितनी और कब कब सहायता दी गयी है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी किया गया, काफी किया गया, लोगों को काफी सहायता पहुंचायी गयी। मैं समझता हूं कि काफी सहायता प्राप्त हुई। मुझे आशा है कि इस ग्रांट को स्वीकार किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६--दुर्भिक्ष सहायता, लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ४,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०--विविध व्यय, लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--विविध व्यय, लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय, लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--असाधारण व्यय, लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण, लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय के अन्तर्गत २४,९०,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के अन्दर एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना और एकीकरण यह शब्द जो हैं यों तो देखने में बहुत व्यापक अर्थ रखता है और मैं समझता हूं कि योजना एकीकरण का जो उद्देश्य है अगर वह सही माने में राजनीति और सरकारी कामों से दूर रख कर कार्य किया जाय तो हम इस देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना एकीकरण हमारे जिले में लागू है। खास करके हमारे साथी श्री झारखंडे राय जी के क्षेत्र में है और उसका कुछ हिस्सा हमारे क्षेत्र में भी पड़ता है।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

उपाध्यक्ष महोदय, सारे क्षेत्र को घूमने का तो मुझे अवसर नहीं मिला लेकिन हमारे क्षेत्र में जो गांव पड़ते हैं उनमें घूमने का मुझे काफी अवसर प्राप्त हुआ है और इन सेंटरों को देखने का मुझे मौका मिला है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें जितना रुपया खर्च किया जा रहा है जनता के लाभ के लिये नहीं खर्च किया जा रहा है। मैंने खुद गांवों में जाकर देखा है कि इस योजना से किसानों को कितना लाभ मिला है तो किसान खुद कहते हैं कि कोई लाभ नहीं हुआ है। इस विभाग की ओर से नस्लों का सुधार करने के लिये पशु भेजे जाते हैं। आज ही मैंने एक सवाल इस सदन में किया था कि सरकार की ओर से एक सुअर भेजा गया था वहां की सुअरों की नस्ल को सुधारने के लिये। एक सुलतापुर गांव है, वहां के निवासियों ने सुअर को मार डाला। वे जानते नहीं थे कि यह नस्ल अच्छी करने वाला सुअर है और सरकार का है। हमने गवर्नमेंट को लिख कर भेजा था, आजमगढ़ में अखबारों में भी बयान दिये, फिर भी पुलिस की ओर से कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। प्लानिंग आफिसर ने शायद गवर्नमेंट को लिखा था कि सुअर को गांव वालों ने मार डाला है। माननीय गृह मंत्री जी को मैंने लिखकर दिया लेकिन कहा जाता है कि पुलिस सब इंसपेक्टर ने ९०० रुपये घूस लेकर मुकदमा नहीं चलाया।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---बतौर वाकये के, श्रीमन्, यह सही नहीं है कि बनैले सुअर को मार डाला गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बहुत से सबूत मेरे पास हैं जिससे यह मालूम होगा कि जो पैसा सरकार देती है वह जनता के लाभ के लिये उपयोग में नहीं आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर साल वहां विकास मेला लगता है। उसमें हमने देखा है कि वहां मेले में जनता के पैसे से जो आगन्तुक लोग होते हैं, उनको जलपान कराया जाता है। इस तरह से हजारों रुपया जनता का मेले में खत्म हो जाता है और जनता के लाभ में नहीं आता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की योजना की जांच करायें और देखें कि सही माने में जनता का लाभ होता है या नहीं। ९ लाख रुपए इस साल सामुदायिक विकास विभाग को खर्च करने के लिये दिया गया है। लेकिन उससे तो अच्छा होता अगर हर गांव में कुंयें बनवा दिये जाते। वहां पर खेती के औजार अब तक नहीं दिये गये हैं। यह हो सकता है कि इससे कुछ आदमियों को रोजी मिली हो लेकिन सही माने में जनता का कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिये मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि योजना की जांच करावें और देखें कि किसानों का लाभ उस योजना से होता है या नहीं। अगर होता है तो योजना चलनी चाहिये और नहीं तो उसका नवीनीकरण करना चाहिये।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर जितनी योजनाएं बनी हैं और प्लानिंग हुआ है उससे हमारी जनता को काफी राहत मिली है। लेकिन एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे गढ़वाल जिले के अन्दर एक इलाका है जिसको राठ कहते हैं। हमारे मंत्री महोदय आज इस सदन में तशरीफ रखते हैं। मैंने कई मरतबे उनके पास जाकर उन लोगों की बाबत बताया और उनसे योजना के बारे में विचार विमर्श भी हुआ। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आज न उन लोगों के लिये कोई योजना है और न कोई आर्थिक हालत को ठीक बनाने के लिये ही कोई योजना सरकार ने प्रस्तुत की है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वह इलाका ऐसा है जहां निरक्षरता का अंधकार है और जहालत रोजाना उग्र रूप धारण करती हुई दिखाई देती है।

वह इलाका जो पहाड़ में डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के क्षेत्र में बसा हुआ है और जिसमें हमारे देश की बड़ी-बड़ी समृद्धियां छिपी हुई हैं और जिस इलाके को प्रकृति की देन ने हरा-भरा

कर रखा है उस इलाके में अभी हमारी सरकार की निगाह नहीं पहुंची है जिसकी वजह से वह इलाका अभी जहालत की हालत में पड़ा हुआ है। मुझे इस बात का खेद है कि जब सरकार के सामने हम इन बातों को पेश कर देते हैं तो हमारी सरकार उन बातों को अनसुनी कर देती है तो यह बिलकुल बरदाश्त करने के काबिल बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरा यह फर्ज हो जाता है कि उनकी बातों को आपके सामने रखूं। सरकार हमारी हमदर्द है और हम सरकार के साथ हैं। अगर मैं सरकार का दुश्मन होता तो मैं सरकार को सही रास्ते पर चलने की प्रार्थना नहीं करता और गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करता। परन्तु मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनके बदन बिलकुल नंगे हैं और तीन चौथाई शरीर जिनका नंगा रहता है और जो कोटद्वारा और रामनगर में जब आते हैं तो बाजार के लोग और लड़के उनको देखकर हंसते हैं। हम सब सभ्य कहलाने वाले लोग उन पर हंसते हैं, थूकते हैं और उनके ऊपर कुत्ते छोड़ते हैं।

मैं जिस इलाके का आपके सामने जिक्र कर रहा हूं वहां से कार्ट रोड करीब ४० और ८० मील के फासले पर है। क्या आप यह समझते हैं कि जो इलाका इतनी दूर हो उसकी उन्नति कैसे हो सकती है? हमारी सरकार जो इतने जोर के साथ प्लानिंग कर रही है क्या उन लोगों की दशा का अध्ययन नहीं कर सकती है और उनके लिये कोई प्लानिंग नहीं बना सकती है? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि सरकार की तरफ से वहां पर कम्पलसरी एजुकेशन हो जाना चाहिये लेकिन इस पर हमारे उच्चाधिकारियों ने कहा कि इन लोगों को पढ़ाने और लिखाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि यह आपने बहुत उचित बात कही है। परन्तु इसके साथ साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके उत्थान के लिये आपने क्या प्लानिंग की है और उनके लिये आपके पास क्या प्लान है। उस दूधाखाली पहाड़ पर, जहां पर कि बड़े-बड़े पानी के झरने हैं, वहां पर नहरें चल सकती हैं, लेकिन आज इन्सान ने उसको देखने की कोशिश नहीं की है। मुझे इसका महान् दुख है। मैं आपको बताता हूं कि वहां से एक नदी होकर आती है जिस पर पानी का प्रपात कम से कम ६००, ७०० फीट ऊंचा है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहे तो वह इलाका बहुत सरसब्ज बन सकता है। यह इलाका हमेशा भूखा और नंगा रहा है। वे लोग केवल कुछ औजार अपने हाथ से बनाकर अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। आपकी प्लानिंग की जितनी बातें हो सकती हैं और प्लानिंग द्वारा जितनी उत्थान की बातें हो सकती हैं, वह सब इस इलाके में हो सकती हैं।

मैं आपको बताता हूं कि आज जो कम्युनिटी ब्लाक जिलों के अन्दर बनाये जा रहे हैं यह बहुत अच्छी चीज है और मुझे यह खुशी है कि हमारी सरकार यह सब उत्थान का काम जिलों के अन्दर कर रही है। लेकिन मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर वह कुछ भी उत्थान वहां पर करना चाहती है तो वह वहां पर जरूर करे क्योंकि जितनी भी प्लानिंग हैं, वह सब राठ के इलाके में हो सकती है। अगर सरकार उसको नजरअन्दाज करती है, तो मैं यह समझता हूं कि सभ्यता के गले पर कुठाराघात करती है और सभ्यता के गाल पर चपत मारती है और सभ्यता के मुंह में थूकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार गलतियां भविष्य में कतई नहीं होनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा और साथ ही सरकार से भी निहायत अदब के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे पिछड़े हुये लोगों को कभी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये और उनकी जीविका और उनके उत्थान की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो चीज हमारे देश के लिये नेचुरल डिफेंस का काम करती है वह हमारे पहाड़ों की सीमा है। वहां पर भी कोई न कोई प्रबन्ध होना चाहिये जिससे वहां के इलाके के रहने वाले लोग अपना निर्वाह सुचारु रूप से कर सकें।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

में इस बात का चैलेंज करता हूं कि हमारी फौज भी उतनी हिफाजत नहीं कर सकती है जितना कि पहाड़ की सीमाएं हमारे देश को डिफेंस करती हैं। इसलिये मैं फिर निवेदन करता हूं कि इस पहाड़ी इलाके की तरफ भी आपको अपनी प्लानिंग जरूर करनी चाहिये जिससे वह लोग भी अपने जीवन में उन्नति कर सकें।

श्री फूलसिंह--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम सुन्दर पांडे जी ने जो बातें आजमगढ़ के संबंध में कहीं उनके मुताल्लिक मुझे इतना अर्ज करना है कि मैं श्री राम सुन्दर जी के साथ आजमगढ़ में कुछ समय रहा था लेकिन उस समय उन्होंने काम खराब होने की कोई शिकायत नहीं की। सुअर के मारे जाने वाली बात का प्लानिंग विभाग से कोई संबंध नहीं है परन्तु फिर भी मैं वहां जाऊंगा और जिन त्रुटियों की तरफ उन्होंने इशारा किया है उनको मैं देखूंगा और दूर करने की कोशिश करूंगा। गढ़वाल के बारे में मुझे यह कहना है कि वहां का काम एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट के मातहत चल रहा है और वहां के लिये एक एम० ई० एस० ब्लाक अलाट किया जा रहा है, वह चाहें जिस क्षेत्र में उसे रख सकते हैं, उसमें सरकार का हाथ नहीं है बल्कि उसे जिला प्लानिंग कमेटी अलाट करेगी और गालिबन सेल्फ हेल्प ग्रांट के रूप में भी वहां के लिये ४० हजार रुपया दिया गया है। यह रकम केवल ३ ही जिलों को दी गई है और उन में से गढ़वाल भी एक है। फिर भी सरकार की ओर से जो और सेवा वहां की हो सकेगी, की जायगी और माननीय सदस्य वहां की जो जो दिक्कतें हमारे सामने लाते रहेंगे उनको दूर करने की कोशिश की जायगी। मैं और अधिक समय नहीं लूंगा और सिफारिश करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हुये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह आजमगढ़ जाने के बाद की घटना है और इसमें गृह विभाग की नहीं बल्कि सामुदायिक विकास की सम्पत्ति क्षीण हुई है और इतना शोरगुल होने के बावजूद भी अधिकारी मुकदमा नहीं चला रहे हैं और उस पुलिस सब-इंसपेक्टर की खोज नहीं की जा रही है जो खुलकर लूट कर रहा है। इससे प्लानिंग विभाग को नुकसान होता है।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय के अन्तर्गत २४,९०,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४--लेखा शीर्षक ६९--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है) लेखा शीर्षक ६९--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समस्त अनुदान में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मुझे यह कहना है कि आजमगढ़ के जिले में जो सिंचाई विभाग का काम होता है उसमें इस विभाग की उदासीनता प्रतीत होती है। हमारे

जिले में कुल २३ नदियां हैं, मेरे दोस्त राम सुन्दर जी ने जो कहा है कि केवल १६ नदियां हैं वह गलत हैं। हमारे जिले में कुल २३ नदियां हैं। इस साल इन २३ नदियों में जब बाढ़ आई तो तमाम सम्पत्ति हमारे यहां की नष्ट हो गई और लाखों रुपये की फसल बरबाद हो गई और लाखों की सम्पत्ति और मकान नष्ट हो गये।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो सिंचाई का कोई प्रबन्ध वहां नहीं है। भूमि की अलग बरबादी होती है, सिंचाई का भी प्रबन्ध नहीं है, नहरों की ओर कुछ खयाल किया गया था। एक टांडा से नहर निकली। दूसरे यह भी सुना था कि दोहराघाट से एक नहर निकाली जायगी, लेकिन किसी नहर में कोई काम नहीं होता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि सिंचाई की तरफ इस जिले में भी कुछ न कुछ काम होना चाहिये। कुछ ट्यूबवेल्स अवश्य बन रहे हैं लेकिन उनकी प्रगति भी बहुत धीमी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि लाल रोशनी आ गयी है, मेरा समय समाप्त हो रहा है और साढे चार बज रहा है इसलिये मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सिंचाई मंत्री इस तरफ भी ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष--समय समाप्त हो गया इसलिये अब मैं इसके लिये सदन की राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४-राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक ६९-सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों के लिये निर्माण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५-कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत-लेखा शीर्षक ७१-कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ८३,३२,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत, लेखा शीर्षक ८१-राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ३०,००,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८--लेखा शीर्षक ६९ और ८१-क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८-विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर), लेखा शीर्षक ६९ और ८१-क के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक ८२--कृषि इंजीनियरिंग--सरकारी बस सरविस, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९-कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विस, सहायता और पुनर्वासन योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत लेखा शीर्षक ८२-राजस्व लेखे के बाहर अन्य राजकीय निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ८,०६,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२-ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण, लेखा शीर्षक द-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत १,१७,५३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५३-५४ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाब वाला, मैं सन् १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के प्रथम पूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं सन् १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ का प्रथम पूरक) विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३९६-३९९ पर)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रुपया हमसे मांगा जा रहा है उसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि वैसे तो करीब-करीब जितने अनुदान थे उन पर विचार यहाँ हो ही गया सदन के सामने लेकिन एक अनुदान जिसके बारे में जो

कि कुछ फ्रूट यूटिलाइजेशन स्कीम रानीखेत के लिये रखी गई थी, माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा कि चूंकि वह फाइल उनके कमरे में पड़ी हुई है, इस सदन में उनके पास नहीं है, इसलिये जब तक वह फाइल न आ जाय और तब तक माननीय मंत्री जी उसके बारे में हमें कुछ न बतायेंगे, तो मैं समझता हूं कि तब तक रुपया देना भी उचित न होगा। अध्यक्ष महोदय, फ्रूट यूटिलाइजशन स्कीम के बारे में रुपया आज मांगा गया है। बड़ी खुशी की बात है कि सरकार का इस ओर ध्यान गया और सरकार यह चाहती है कि पर्वतीय इलाकों में जहां ये सब फल पैदा होते हैं, उनके यूटिलाइज करने का कुछ इन्तजाम किया जाय। वैसे तो उत्तर प्रदेश के और इलाकों में भी काफी फल पैदा होते हैं और वह सब यूटिलाइज नहीं होते, बेकार चले जाते हैं, उनको भी यूटिलाइज करने का कोई रास्ता निकाला जाय और हमारे एफ० ए० ओ० एक्सपर्ट जो हैं उनकी सहायता भी ली जाय।

फ्रूट यूटिलाइजेशन के लिये जो रुपया मांगा गया है वह उस नये डाइरेक्टरेट की स्थापना के संबंध में है। तो पहले दो तीन साल तक तो उसका कोई उपयोग न रहेगा क्योंकि इतने फल तो अभी पैदा नहीं हुये हैं कि वह सारे के सारे उसमें यूटिलाइज हो सकें। तो हम यह चाहते थे कि जो एक छोटी सी स्कीम चलाई गयी थी रामगढ़ में पार साल, उसी तरह से काटेज इंडस्ट्रीज बेसिस पर ही वह चीज अभी रखी जाती तो बहुत अच्छा था। यह मैं जानता हूं कि जब फल बहुत पैदा होने लगेंगे तो उसके बाद एक बड़ी स्कीम की उनके यूटिलाइजेशन के संबंध में आवश्यकता होगी। परन्तु आज ज्यादा ध्यान सरकार का इस तरफ चला गया है कि यूटिलाइजेशन कैसे हो। इसकी ओर ध्यान नहीं है कि ज्यादा फ्रूट पैदा कैसे किये जायं। पहले यह कृषि विभाग का काम था अब इसको उद्योग विभाग के साथ मिला दिया गया है। मैं इसका विरोध तो नहीं करता हूं मगर यह चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और हमारे कहने का फायदा यह हो कि फ्रूट्स के पैदा करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। यह न हो कि हम फ्रूट यूटिलाइजेशन के संबंध में उनकी जेली कैसे बनायी जाय, या और कैसे उनको रखा जाय इसके लिये या और कामों के लिये मशीनें ही मंगावें, ऐसी बातों पर रुपया खर्च करें। और फलों की पैदावार की तरफ ध्यान न दें क्योंकि यदि फल ज्यादा न पैदा हुये तो जितना फ्रूट हमारे पास है वह तो १५ दिन के अन्दर ही सब कुछ उनका प्राडक्ट बन जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करते हुये यह आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी कुछ इस पर प्रकाश डाल सकेंगे और उसके बाद जो कुछ सदन निश्चय करेगा वह होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज नहीं करना चाहता।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय उपाध्याय जी ने जो कुछ सुझाव दिये हैं उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)--मैं पहले जो यहां इस संबंध में बात चीत हुई हो उससे परिचित नहीं हूं और मैं यही समझता हूं कि यदि जो डाइरेक्टोरेट का काम शुरू करने का इरादा किया गया है उसके संबंध में कोई आलोचना हुई हो तो.....(एक आवाज --उसकी नहीं है) उसकी नहीं है तो किसकी है यह मैं जानता नहीं मगर यह कुछ कहा गया कि फलों का पैदा करना जरूरी है इसलिये कि फलों का सदुपयोग हो सके और इस बात पर ज्यादा जोर देना कि फलों का ठीक इस्तेमाल हो तभी जरूरी हो सकता है जब कि फल बहुतायत से पैदा हों। यानी दोनों के ऊपर काफी ध्यान रहना चाहिये। इस उसूल से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमें इस पहाड़ी इलाके में इस बात की जरूरत है कि फलों की पैदावार बढ़ाई जाय।

यह हमारे प्रदेश के लिये और देश के लिये आवश्यक है कि लोगों में फलों का प्रचार हो और फलों का उपयोग हो। पहाड़ों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये और सबके स्वास्थ्य को ऊंचा करने के लिये फलों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिये स्कीमें बनाई गई हैं। नर्सरीज खोली गई हैं; और भी कई तरीकों पर इंटीग्रेटेड स्कीम से काम करने का इरादा है। इसके साथ ही साथ इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जब फल पैदा हों, उनमें जो

[श्री गोविन्द वल्लभ पंत]

बेकार चले जाते हैं या जिनका उपयोग नहीं होता, उनका भी उपयोग हो सके। इसके अलावा जो टिन्ड फ़्रूट बाहर से आते हैं उनको भी हम यहां बना सकें। मैं समझता हूं कि इन सब बातों से मदन मोहन जी सहमत होंगे कि जो स्कीम बन रही है उसके बारे में जो उद्देश्य उनका है वही गवर्नमेंट का भी है। यदि उसमें और कोई सुधार हो सके तो उसे हम करने के लिये हमेशा तैयार हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। यह तो मैं समझता हूं कि उनकी और हमारी दोनों की एक तरह से इच्छा है और उसे पूरा करने में हम अपनी शक्ति लगावेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५३ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३-५४ के प्रथम पूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ और ३

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३-५४ के लिये २,७२,७८,८०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग २,७२,७८,८०० रु० (दो करोड़ बहत्तर लाख, अठहत्तर हजार आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)—			
६	रजिस्ट्री	१००	—	१००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इर्रिगेशन) के निर्माण कार्य	१,४२,०००	—	१,४२,०००

१	२	३	
	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	४००	..	४००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,००,०००	..	३,००,०००
१६	जेल	१००	..	१००
१७	पुलिस	१००	..	१००
१९	शिक्षा	३००	..	३००
२०	चिकित्सा (मेडिकल)	२००	..	२००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	२००	..	२००
२२	कृषि संबंधी विकास और खोज (एग्रिकल्चरल डेवेलपमेंट ऐन्ड रिसर्च)	४००	..	४००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन)	३००	..	३००
२५	पशुचिकित्सा (वेटेरिनरी)	४००	..	४००
२६	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१००	..	१००
२७	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	२००	..	२००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण	१००	..	१००
२९	उद्योग	४००	..	४००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या	३००	..	३००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	४९,९००	..	४९,९००
३४	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	१००	..	१००
३५	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स)	१००	..	१००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमीन रिलीफ)	४,००,०००	..	४,००,०००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)	२००	..	२००
४२	असाधारण व्यय (एक्स्ट्राआर्डिनरी चार्जेज)	२००	..	२००
४३	योजना और एकीकरण	२४,९०,९००	..	२४,९०,९००
	योग 'क'	३३,८७,०००	..	३३,८७,०००

विधान सभा

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों मे अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—	रु०	रु०	रु०
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	१००	..	१००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	८३,३२,०००	..	८३,३२,०००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	३०,००,४००	..	३०,००,४००
४८	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	२००	..	२००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	८,०६,०००	..	८,०६,०००
	योग 'ख'	१,२१,३८,७००	..	१,२१,३८,७००
	ग—ऋणों और अग्र—ऋणों (लोन्स ऐन्ड एडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)—		..	
५२	व्याज वाले ऋण और अग्र—ऋण (एडवांसेज)	१,१७,५३,१००	..	१,१७,५३,१००
	योग 'ग'	१,१७,५३,१००	..	१,१७,५३,१००
	कुल योग	२,७२,७८,८००	..	२,७२,७८,८००

अविभाजित सभा

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

१९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ का प्रथम पूरक)

विधेयक

३१ मार्च, १९५४ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम १––यह अधिनियम १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम––जनाबवाला मैं, प्रस्ताव करता हूं कि १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ का प्रथम पूरक) जो विधेयक, अभी पेश हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि १९५३ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ का प्रथम पूरक) विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन आज ५ बजे के बाद भी जबतक उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पास न हो जाय बैठा रहे।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सदन जबतक कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पास न हो जाय तब तक अपनी कार्यवाही जारी रखे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४०० पर)

उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं उत्तर प्रदेश स्टेट ट्यूबवेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४०१ पर)

उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) १९५३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस अधिनियम की अवधि ३१ जनवरी, सन् १९५४, को खत्म हो रही है। यह केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण है और प्रांतीय सरकार को इसके अधीन कार्य करना पड़ता है। इसलिये केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार आवश्यकता इस बात की है कि इस अधिनियम की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाय। इसीलिये सदन के विचार के लिये मैं इसको पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश ऐक्ट १४, १९५० का प्रचलित रहना।

२—समय समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई०, की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५४" के स्थान पर संख्या "१९५५" रखी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९५३, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेंद्रशाह के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय सुरेश प्रकाश सिंह ने अभी एक विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में मुझे सूचना दी है। वह आज नहीं लिया जायगा उन्होंने यह सूचना दी है कि जिस वक्त यहां पर कर्फ्यू चल रहा था उस वक्त माननीय वीरेंद्रशाह जी के साथ कुछ ज्यादती हुई। इस संबंध में वे प्रश्न उठाना चाहते हैं और इसके लिये उन्होंने आज सूचना दी है। लेकिन इस प्रश्न पर अब जब सदन फिर बैठेगा उस वक्त मैं अपना निर्णय दूंगा कि यह वैध है या अवैध है। इस वक्त मुझे इसका नोटिस मिला है यह समझा जायगा कि आज का नोटिस है। अगर आज के रोज यह नोटिस मियाद के अन्दर है तो वह मियाद के अन्दर रहेगा और अगर मियाद के अन्दर नहीं है तो उस रोज भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज नोटिस दिया गया है इसलिये सदन को मैं सूचना दे देना चाहता हूं।

विधान सभा का भावी कार्य-क्रम

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—प्रोग्राम आगे का क्या है? आज असेम्बली बन्द हो रही है, फिर कब बैठेगी?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—आज तो अब यह अधिवेशन खत्म होने जा रहा है। इस विचार से खास तौर पर खत्म किया जा रहा है कि इस सदन के जो विरोधी पक्ष में कुछ सज्जन बैठते हैं उनको अपने काम में सुभीता हो। नहीं तो कुछ बिल ऐसे थे जिनको दो चार दिन बैठ कर खत्म कर लिया जाता। मगर मैं आशा करता हूं कि जब अगली दफा हम मिलेंगे तो उनको जल्द पास करने की कोशिश की जायगी इस समय अब सदन आपकी अनुमति से खत्म होता है और मैं समझता हूं कि शायद जनवरी भर फिर सदन की बैठक नहीं होगी। फर्वरी में सदन की बैठक कब होगी इसकी सूचना फिर पीछे मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं अनिश्चित काल के लिये।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ दिसम्बर, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये १७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

१ कृषि .. उन्नत बीज, औजार और खाद का अधिक से अधिक वितरण किया जावेगा।

कृषकों को उत्साहित करने के लिये फसल प्रतियोगिता की परियोजना है जिसमें अधिक से अधिक कृषकों के भाग लेने की आशा है।

बागवानी का काम भी होगा। सन् १९५६ तक प्रत्येक गांव में ५ से ८ एकड़ भूमि पर फलदार वृक्ष और तरकारी के पौधे लगाने की योजना है। इस सम्बन्ध में १ पौधाघर तहसील हेडक्वार्टर और छोटे-छोटे पौधाघर हर स्कूल में स्थापित किये जा रहे हैं।

गन्ने की उन्नति के लिये सड़कों, पुलों और कल्वर्ट की मरम्मत या निर्माण, बीज और खाद का वितरण और अधिक सिंचाई के साधन का प्रबन्ध किया जा रहा है।

२ सिंचाई .. सिंचाई के लिये ६ नलकूप और ५०० पक्के कुएं बन चुके हैं योजनाकाल में और भी बनाये जावेंगे। कुओं की बोरिंग तथा मरम्मत और तालाबों की खुदाई भी की जावेगी।

३ पशुपालन .. इस जिले में चार पशु चिकित्सालय, ३ स्टाक मैन डिस्पेन्सरीज और ३ फर्स्ट एड डिस्पेन्सरीज भी स्थापित की गई हैं। इस साल ३ और खोलने की आशा है।

अच्छी नस्ल के जानवरों को पालने और वितरण करने की योजना है। ३०,००० मवेशियों के एच० एस० का टीका लगाया जा चुका है और इसका कार्य चालू रहेगा। खुर और मुंह की बीमारियों की रोकथाम करने का कार्य भी किया जायेगा।

तालाबों में मछलियों के विकास की भी योजना है।

४ सहकारिता सहकारी समितियों की आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। सिंचाई सम्बन्धी समितियों के स्थापित करने की योजना है।

५ वन .. वन का क्षेत्र ९९८ एकड़ से बढ़ा कर १६,३१२ एकड़ करने का विचार है।

६ शक्ति .. गंगा ग्रिड के अन्तर्गत जिले के ग्रामों को ज्यादा से ज्यादा विद्युत मिल सकेगी। जिले में नलकूप विद्युत द्वारा काम कर रहे हैं।

७ उद्योग .. विभिन्न प्रकार के उद्योग शिक्षण के लिये १ केन्द्र तथा २३ उद्योग सहकारी समितियां स्थापित की जावेंगी। दो गुड़ विकास केन्द्र भी खोले जायंगे।

८ सार्वजनिक निर्माण नीचे लिखी सड़कों पर कार्य किये जायंगे :—

(१) बदायूं-बिलसी
(२) बदायूं-शहसवां
(३) मुरादाबाद-चंदौसी-बदायूं
(४) बरेली-बदायूं
(५) बदायूं-सराओं
(६) बदायूं-दातागंज
(७) बदायूं-आवंला।

९ शिक्षा .. १२० प्राइमरी, ७ जूनियर हाई स्कूल और ५ हाइयर सेकेंडरी स्कूलों को स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा ज्यादा संख्या में पुस्तकालय, वाचनालय और सोशल एजूकेशन केन्द्रों के स्थापित करने का विचार है।

१० चिकित्सा व स्वास्थ्य .. एक टी० बी० वार्ड बनाया जा रहा है जिसमें १२ मरीज रह सकते हैं और २ प्राइवेट वार्ड भी होंगे।

एक प्रसूत गृह तथा शिशु पालन केन्द्र स्थापित किया गया है और योजना काल में ऐसे चार खोले जायेंगे।

११ हरिजन .. हरिजन जातियों के बालकों में शिक्षा प्रसार करना, अच्छे मकान व कुंवे इत्यादि की व्यवस्था करना सारे प्रान्त में लागू है और उससे यह क्षेत्र भी लाभ उठाता है।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये १७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

सन् १९५३ के द्वितीय सत्र के चौथे गुरुवार के लिए श्री बाबू नन्दन द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर से संबद्ध तालिका—

सन् जिसमें जुडीशियल अफ़सर नियुक्त किये गये	स्थायी	अस्थायी
१९४२	१०	..
१९४३	२	..
१९४४	३	२
१९४५	१	..
१९४६	..	..
१९४७	३०	१७
१९४८	९	१८
१९४९	१	५३
१९५० ..	..	११
१९५१	..	१
१९५२	..	१४
१९५३	..	२
योग	५६	११८

इसके अतिरिक्त २ जुडीशियल अफसर अस्थायी मुंसिफ हैं पर उनका 'लीएन' जुडीशियल अफसर के २ स्थायी पदों पर है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये १७ जुलाई, १९५३ के स्थगित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

रजिस्टर्ड नं० ए-३८०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

अ सा धा र ण

लखनऊ, गुरुवार, ३० अक्तूबर, सन् १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या यू० ओ०-७१८/१७

लखनऊ, ३० अक्तूबर, १९५२ ई०

विज्ञप्ति

विविध

उत्तर प्रदेश राज भाषा अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम २६, १९५१) की धारा २ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के गवर्नर १ नवम्बर, १९५२ को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से देवनागरी लिपि में हिन्दी निम्नलिखित के लिये उपयुक्त की जायगी :—

(१) भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन प्रचारित अध्यादेश, और

(२) भारत के संविधान अथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी विधि (ला) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम तथा उपनियम।

आज्ञा से,

रणधीर सिंह,

सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ट ३०७ पर)

३० अप्रैल, १९५३ तक

क्रम-संख्या	जिले	व्यक्तियों की संख्या
१	देहरादून	५६,४२०
२	सहारनपुर	५७,६८९
३	मुजफ्फरनगर	१५,२७१
४	मेरठ	३४,०३२
५	अलीगढ़	६ ४६०
६	बुलन्द शहर	११,३०१
७	मथुरा	१३,४९५
८	आगरा	३२,९९८
९	मैनपुरी	३,०१०
१०	एटा	१,५१५
११	बरेली	१६,३७४
१२	बिजनौर	५,८१३
१३	बदायूं	४,४६६
१४	मुरादाबाद	२४,१५६
१५	रामपुर	४,०९०
१६	शाहजहांपुर	३,८३०
१७	फर्रुखाबाद	१,५६५
१८	पीलीभीत	१,६३३
१९	इटावा	१,७४२
२०	कानपुर	२७,२८६
२१	फतेहपुर	२४१
२२	इलाहाबाद	११,२५०
२३	बांदा	३९२
२४	हमीरपुर	४९५
२५	झांसी	६,४१३
२६	जालौन	१,५९८
२७	बनारस	१०७०४
२८	मिर्जापुर	१,४०४
२९	जौनपुर	६१३
३०	गाजीपुर	२६१
३१	बलिया	३७०
३२	गोरखपुर	४,४६७
३३	बस्ती	८३३
३४	आजमगढ़	५२०
३५	देवरिया	६१०
३६	नैनीताल	१३,०८४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले			व्यक्तियों की संख्या
३७	अल्मोड़ा	..	..	२९१
३८	गढ़वाल	..	..	४१६
३९	टिहरी-गढ़वाल	..	..	३०२
४०	लखनऊ	..	..	४२,३९७
४१	उन्नाव	..	..	१,१७२
४२	रायबरेली	..	..	१,२६०
४३	सीतापुर	..	..	१,८८८
४४	हरदोई	..	..	८२१
४५	खीरी	..	..	१,३८८
४६	फैजाबाद	..	..	४,८१८
४७	गोंडा	..	..	१,३७३
४८	बहराइच	..	..	४८६
४९	सुल्तानपुर	..	..	६९३
५०	प्रतापगढ़	..	..	३८२
५१	बाराबंकी	..	..	१,०९४
	योग	..		४,३५,१८२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

औद्योगिक शिक्षालय योजना

जिले के अनुसार औद्योगिक शिक्षालयों की तालिका जैसी कि सितम्बर, १९५३ के अन्त में थी।

क्रम-संख्या	जिला	स्थिति	कला
१	आगरा ..	१—गोकुलपुरा	पार्थ कला
		२—मनटोला	चर्म कला
२	अलीगढ़ ..	३—हाथरस	चाकू बनाना
३	इलाहाबाद ..	४—इलाहाबाद	टोकरी बनाना
		५—सुलम सराय	बढ़ई गीरी
		६—सिरसा	चमड़ा पकाना
४	अल्मोड़ा ..	७—चौरा	बुनाई
		८—अल्मोड़ा	कालीन बनाना
		९—अल्मोड़ा	सिलाई
		१०—अल्मोड़ा	लोहारगीरी
		११—लोहाघाट	चमड़ा पकाना
		१२—पिथौरागढ़	चर्म कला
		१३—लोहाघाट	चर्म कला
		१४—बागेश्वर	सिलाई
		१५—द्वार हाट	लोहारगीरी
		१६—डीडहाट	बुनाई
५	आजमगढ़	१७—घोसी	बढ़ईगीरी
		१८—दोहरीघाट	लोहारगीरी
		१९—आजमगढ़	बढ़ईगीरी
		२०—निजामाबाद	बर्तन बनाना
६	बदायूं ..	२१—शेखूपुर	बढ़ईगीरी
		२२—बदायूं	कागज कूट कर वस्तु बनाना
७	बहराइच	२३—बहराइच	दरी बुनना
		२४—मिहीपुरवा	टोकरी बनाना
		२५—बहराइच	सिलाई व कढ़ाई बुनाई
		२६—बहराइच	बढ़ईगीरी
८	बलिया ..	२७—रसरा	बढ़ई व लोहारगीरी
		२८—रसरा	बर्तन बनाना
९	बनारस ..	२९—शिवपुर	सिलाई
		३०—खोजवा	खिलौने बनाना
		३१—सेवापुरी	बढ़ईगीरी

अवधान सभा

क्रम-संख्या	जिला	स्थिति	कला
		३२—सेवापुरी	साबुन बनाना
		३३—लहरतारा	चर्म कला
१०	बांदा ..	३४—करवी	चमड़ा पकाना
११	बाराबंकी ..	३५—हड़हा	बढ़ई व लोहारगीरी
		३६—फतेहपुर	कालीन बुनना
१२	बरेली	३७—बरेली	दरी बुनना
१३	बस्ती ..	३८—बस्ती	चर्म कला
		३९—भटहट	चर्म कला
		४०—पुरैना	बुनाई
		४१—हरैइया	सिलाई
१४	बिजनौर ..	४२—बालावली	बढ़ईगीरी
		४३—नजीबाबाद	सिलाई
		४४—नगीना	चर्म कला
		४५—शिवहारा	बुनाई
		४६—जैत्रा	चमड़ा पकाना
		४७—भोजपुर	चमड़ा पकाना
१५	देहरादून ..	४८—चकराता	बढ़ईगीरी
		४९—चकराता	बुनाई
		५०—मसूरी	छड़ी बनाना
		५१—प्रेमनगर	बढ़ईगीरी व पेंसिल बनाना
		५२—प्रेम नगर	सिलाई
		५३—प्रेमनगर	कढ़ाई-बुनाई
१६	देवरिया ..	५४—कसया	कम्बल बुनना
		५५—बरहज	बढ़ईगीरी
		५६—बरहज	चमड़ा पकाना
१७	एटा ..	५७—गंजडुन्डवारा	बुनाई
		५८—कासगंज	रंगाई छपाई
१८	इटावा ..	५९—औरैइया	सिलाई
		६०—नगला सुभान	चमड़ा पकाना
		६१—विधुना	चर्म कला
१९	फर्रुखाबाद ..	६२—फर्रुखाबाद	रंगाई छपाई
		६३—कायमगंज	चाकू बनाना
		६४—कायमगंज	बढ़ईगीरी
		६५—छिबरामऊ	चर्म कला
		६६—रजला मई	चमड़ा पकाना
२०	फतेहपुर ..	६७—फतेहपुर	साबुन बनाना
२१	फैजाबाद	६८—अकबरपुर	सिलाई

क्रम-संख्या	जिला	स्थिति	कला
२२	गाजीपुर	६९—मुहमदाबाद	बढ़ईगीरी
२३	गोरखपुर	७०—बृजमनगंज	बढ़ईगीरी
		७१—जफ़राबाजार	कम्बल बनाना
२४	गोन्डा ..	७२—बलरामपुर	टोकरी बनाना
२५	जालौन ..	७३—कालपी	हाथ से काग़ज़ बनाना
२६	जौनपुर ..	७४—मियांपुर	चर्म कला
२७	झांसी ..	७५—ललितपुर	बढ़ईगीरी
		७६—ललितपुर	लोहारगीरी
२८	कानपुर ..	७७—बाबूपुरवा	रंगाई छपाई व दरी बुनाई
		७८—मूसानगर	लोहारगीरी
		७९—गोविन्दनगर	बढ़ईगीरी
		८०—गोविन्दनगर	सिलाई
		८१—बिल्हौर	सिलाई
		८२—पुखरायां	चर्म कला
		८३—पुखरायां	चमड़ा पकाना
		८४—कंधा	चमड़ा पकाना
२९	लखीमपुर खेरी..	८५—गोला	बढ़ईगीरी
३०	लखनऊ ..	८६—डालीगंज	लोहारगीरी
		८७—डालीगंज	ज़री
		८८—डालीगंज	सिलाई, स्त्री
		८९—डालीगंज	सिलाई, पुरुष
		९०—डालीगंज	कढ़ाई-बुनाई
		९१—मवैइया	लकड़ी के खिलौने बनान
		९२—आर्ट्स स्कूल, लखनऊ	काग़ज़ कूट कर वस्तु बनाना
		९३—अमेठी	चर्म कला
३१	मथुरा	९४—अरोठा	चमड़ा पकाना
३२	मिर्जापुर ..	९५—बसही	कम्बल बुनना
		९६—चुनार	बर्तन बनाना
		९७—दुद्धी	सिलाई
		९८—राबर्ट्सगंज	चर्म कला व चमड़ा पकाना
३३	मेरठ ..	९९—किठौर	सिलाई
		१००—किठौर	बर्तन बनाना
		१०१—डीलरी	बढ़ईगीरी
		१०२—मेरठ	हाकी बनाना
		१०३—गढ़मुक्तेश्वर	मोंढ़ा बनाना
		१०४—हस्तिनापुर	लोहारगीरी
		१०५—हस्तिनापुर	हैट बनाना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला	स्थिति	कला
		१०६—हस्तिनापुर	मून्ढा बनाना
		१०७—हस्तिनापुर	बढ़ईगीरी
		१०८—टटेरी	चमड़ा पकाना
३४	मुरादाबाद	१०९—अमरोहा	वुड लेकरिंग
३५	नैनीताल ..	११०—भीमताल	बुनाई
		१११—भीमताल	चमड़ा पकाना
		११२—भीमताल	चर्म कला
३६	पौरी गढ़वाल	११३—वम्पा	बुनाई
		११४—डुगद्दा	लोहारगीरी
		११५—डुगद्दा	बढ़ईगीरी
		११६—कोटद्वारा	चिक बनाना
		११७—माना	बुनाई
		११८—नन्द प्रयाग	कम्बल बुनना
		११९—बैरगना	टोकरी बनाना
३७	प्रतापगढ़	१२०—चिलबिला	टाट पट्टी
३८	रायबरेली	१२१—करमगंज	बुनाई
३९	रामपुर ..	१२२—रामपुर	बर्तन बनाना
		१२३—रामपुर	होजरी का सामान बनाना
		१२४—रामपुर	चर्म कला
४०	सहारनपुर ..	१२५—रुड़की	लोहारगीरी
		१२६—रुड़की	ड्राइंग व सर्वेइंग इन्स्ट्रमेंट बनाना
		१२७—ज्वालापुर	चमड़ा पकाना
		१२८—सठेरी	चमड़ा पकाना
४१	टेहरी ..	१२९—टेहरी	बुनाई व रंगाई छपाई
		१३०— टेहरी	लोहारगीरी

नत्थी 'च'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

विकास कार्यों की विवरणात्मक तालिका

१—कृषि—

(अ) सिंचाई (व्यक्तिगत ट्यूबवेल)

ऐसा अनुमान है कि जिले में २४ व्यक्तिगत ट्यूबवेल लगाये जायंगे जिनमें से ४ इस क्षेत्र में बनेंगे। कर्जा देने के लिये तकावी का प्रबन्ध किया जायेगा।

सिंचाई के कुएं—

जिले में १,००० कुयें स्वीकृत हुये हैं उसमें से १०० कुयें इस क्षेत्र में पड़ेंगे। यदि पुनः सहायक योजना के अन्तर्गत १,००० कुयें की योजना प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित की जाय तो २५० कुयें इस क्षेत्र में आ जायंगे। ३० टूटे फूटे कुओं का जीर्णोद्धार किया जायेगा किन्तु कोई सहायता नहीं दी जायेगी केवल सामान उपलब्ध करने की व्यवस्था की जायेगी, ५० कुओं में बोरिंग की जायेगी और इस क्षेत्र में १२ रहट (Persian wheel) तथा ४५ पंपिंग सेट लगाने की योजना है। ४० तालाब गहरे किये जायंगे। बोरिंग, रहट व पंपिंग सेट के लिये कोई सहायता नहीं दी जायेगी। इस क्षेत्र में ९० कठकुइयां का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिये तकावी का प्रबन्ध किया जायगा।

(ब) उन्नत बीज का प्रबन्ध—

योजना काल में शत प्रतिशत गेहूं, जौ, चना तथा मटर के उन्नत बीजों का प्रबन्ध किया जायगा, धान में ५० प्रतिशत को कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि आधी भूमि उन्नत बीज के योग्य नहीं है। इस क्षेत्र में फरन्दरपुर में एक बीज गोदाम खोला जायगा।

(स) खाद—

१—वर्ष १९५६ तक इस क्षेत्र में २६,६०० खाद के गड्ढे बनाये जायंगे तथा १३३५ टन अमोनियम सल्फेट की बिक्री भी की जायेगी। १,५०० एकड़ में हरी खाद का प्रयोग करने की योजना है।

(द) उन्नत कृषि यन्त्र—

इस क्षेत्र में निम्नलिखित संख्या में यंत्र विक्रय किये जायेंगे :—

मेस्टन हल	..	..	६९०
सीड ड्रिल	..	..	१२
हैन्ट हो	..	..	३७५
कल्टीवेटर	..	..	९०
अल्पाड थ्रेशर	..	..	४०
थ्रेसिंग रेक	..	..	६६०
ट्रैंगुलर हैरो	..	..	६५
अकोला हो	..	..	२२
डनलप बैलगाड़ी	..	..	१६
चारा काटने की मशीन	..	..	१०

इन उन्नत यंत्रों का प्रबन्ध और विक्रय सहकारी बीज गोदामों द्वारा किया जायेगा।

(क) कृषि रक्षा—

इस क्षेत्र के प्रत्येक बीज गोदाम पर झाड़न, दवा छिड़कने का यंत्र तथा औषधियों का प्रबन्ध फसल की सुरक्षा के लिये किया जायेगा।

(ख) बागवानी—

वर्ष १९५६ तक इस क्षेत्र में १५ एकड़ नये बाग़ लगाने की योजना है। ८ एकड़ पुराने बागों का जीर्णोद्धार किया जायगा। ३,३३० फलदार तथा २,१०० अन्य प्रकार के वृक्ष लगाये जायंगे। सड़कों के किनारे ३ मील वृक्षारोपण किया जायेगा। ८० एकड़ में तरकारी बोई जायगी ४० पौन्ड बीज वितरित किया जायगा।

(ग) फसल प्रतियोगिता—

इस क्षेत्र में गांव सभा स्तर पर २,७५० तहसील स्तर पर २८ तथा जिला स्तर पर ८ प्रतियोगी बनाने की योजना है।

२—पशु-पालन—

(१) जानवरों को बधिया करना

इस क्षेत्र में १५०० जानवरों को बधिया करने की योजना है। १०,००० एच० एस० तथा १३,५०० आर० पी० के टीके इस क्षेत्र में लगाये जायंगे।

(२) निम्नलिखित संख्या में पशु वितरित किये जायंगे:—

१—सांड	..	१८
२—भैंस मुर्रा	..	१२
३—बकरे	..	१०
४—सुअर	..	३
५—मुर्गे व मुर्गियां	..	३० (बांटी जायगी)

३—शिक्षा—

(१) प्राइमरी स्कूल—इस क्षेत्र में ३ प्राइमरी स्कूलों की इमारत बनाई जायंगी।

४—सार्वजनिक निर्माण—

(१) सड़क निर्माण—वर्ष १९५६ तक इस क्षेत्र में १०० मील कच्ची सड़क का जीर्णोद्धार किया जायगा तथा २५ पुलियों का निर्माण भी होगा।

५—जन-स्वास्थ्य—

समस्त कुओं में पोटास अथवा ब्लीचिंग पाउडर डालकर जल शुद्ध किया जायगा। योजना काल में इस क्षेत्र में समस्त शिशुओं को चेचक के टीके लगाने की योजना है।

सहकारिता—योजना काल में इस क्षेत्र में ७५ नई समितियां स्थापित की जायंगी।

हरिजन उत्थान—इस तहसील में हरिजनों को गृह उद्योग के लिये अनुदान दिया जायगा ७,००० रु० इस तहसील के हरिजनों के गृह निर्माण पर तथा ८,००० रु० पानी के पम्प लगवाने में व्यय किया जायेगा जिनमें से लगभग ४,००० रु० इस क्षेत्र के हरिजनों के गृह निर्माण पर व्यय किया जायेगा।

गृह उद्योग—(१) गुड़ भट्ठी और कोल्हू—

इस क्षेत्र में लगभग २०० सुलतान कोल्हू तथा इतनी ही गुड़ भट्ठियां स्थापित की जायंगी। और बाढ़प-ीड़ित क्षेत्रों में ३०० चर्खे वितरित किये जायंगे।

नत्थी 'छ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

व्यक्ति का नाम		व्यवसाय
१—श्री बाल किशोर	..	छापेखाने के यंत्रों के बनाने के लिये।
२—श्री राधाकृष्ण	..	चूना बनाने के लिए।
३—श्री उत्तम सिंह	..	लकड़ी का सामान बनाने के लिए।
४—श्री सरदारी लाल	..	सूटकेस, ताले, विलप, हैंन्डिल इत्यादि के लिए
५—श्री जी० एल० मलहोत्रा	..	पेट्रोल टंकी के लिये।
६—श्री बी० एल० धवन	..	बिजली के आरे से लकड़ी काटने के लिए।
७—श्री वीरेन्द्र	..	टाइपराइटर के अतिरिक्त भागबनाने के लिए।
८—श्री प्रेमनाथ	..	धातु के काम के लिए।
९—श्री श्याम लाल दर	..	जूते बनाने तथा मरम्मत के लिए।
१०—श्री तेजभान बली	..	मुद्रणालय के लिए।
११—सर्वश्री सचूमल भगवानदास	..	चूना तथा लकड़ी के काम के लिए।
१२—श्री जी० पी० अग्रवाल	..	दुग्धशाला के लिए।
१३—सर्वश्री लिपटन लिमिटेड	..	चाय के बंडल बनाने के लिए।
१४—श्री प्यारेलाल	..	खराद की मशीन के लिए।
१५—श्री सत्यपाल धीर	..	दवा के लिए।
१६—श्री जी० पी० शर्मा	..	लोहा तथा लकड़ी के काम के लिए।
१७—श्री किशन दास	..	पत्थर पीसने के लिए।
१८—श्री राम प्रसाद अग्रवाल	..	दाल, चावल, तेल और आटा चक्की के लिए।
१९—श्री कुन्दनलाल सहगल	..	बर्फ बनाने का कारखाना, दाल, आटा, चक्की तथा सोडावाटर इत्यादि के लिए।
२०—श्री रामसरन दास	..	यंत्रों की मरम्मत के लिए।
२१—श्री मान सिंह	..	डाक्टरी के औजारों तथा ताले बनाने के लिए।
२२—सर्वश्री भगवानदास हरीशचन्द्र	..	कृषि यंत्रों के लिए।
२३—श्री यमुनाधर ज्योतिषी	..	औषधि बनाने के लिए।
२४—श्री मंगलसेन नारंग	..	चाकू बनाने के लिए।
२५—सर्वश्री प्रकाश बिजली कम्पनी	..	बिजली के काम के लिए।
२६—सर्वश्री सुरेन्द्र वर्मा ओंकार वर्मा	..	कुक्कुट पालन के लिए।
२७—श्री मनोहर लाल भाटिया	..	प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए।
२८—श्री राजेन्द्र प्रकाश भाटिया	..	लकड़ी के काम के लिए।
२९—सर्वश्री जगदीश चन्द्र प्रेमनाथ	..	दुग्धशाला के लिए।
३०—श्री मेउमल	..	मुद्रणालय के लिए।
३१—श्री घनश्यामदास	..	रोशनाई बनाने के लिए।
३२—श्री भगवानदास बोहरा	..	तेल के कारखाना इत्यादि के लिए।

नत्थी 'ज'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१५ पर)

१९५२–५३ सीजन

क्रम-संख्या	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख	क्रम-संख्या	मिल का नाम	बन्द होने की तारीख
१	बेगमाबाद	९–३–५३	३४	बिस्वां	१२–४–५३
२	मोहिनुद्दीनपुर	२१–३–५३	३५	बुढ़वल	१६–४–५३
३	मलियाना	१५–३–५३	३६	बाराबंकी	२८–४–५३
४	सिम्भौली	२२–३–५३	३७	मसोधा	१६–३–५३
५	डौराला	१८–३–५३	३८	शाहगंज	२७–३–५३
६	मवाना	२३–३–५३	३९	हरदोई	२१–३–५३
७	सकोती टांडा	२०–३–५३	४०	नवाबगंज	११–४–५३
८	शाम्ली	२१–४–५३	४१	बलरामपुर	२९–४–५३
९	खतौली	२७–३–५३	४२	तुलसीपुर	१७–५–५३
१०	रोहना	३०–३–५३	४३	बभनान	६–५–५३
११	मुन्सुरपुर	३–४–५३	४४	खलीलाबाद	१०–४–५३
१२	सहारनपुर	३०–४–५३	४५	मुंडेरवा	१०–४–५३
१३	लश्कर	१८–५–५३	४६	बस्ती	२४–४–५३
१४	देवबन्द	१८–४–५३	४७	वाल्टरगंज	२७–४–५३
१५	डोइवाला	३१–५–५३	४८	जरवल रोड	४–४–५३
१६	बरेली	२७–४–५३	४९	सिसवाबाजार	२०–५–५३
१७	बहेड़ी	१५–५–५३	५०	आनन्द नगर	२४–५–५३
१८	बिलाड़ी	२१–३–५३	५१	घुघली	१८–५–५३
१९	अमरोहा	१४–४–५३	५२	पिपराइच	१८–५–५३
२०	बिजनौर	९–५–५३	५३	सरदारनगर	४–५–५३
२१	धामपुर	७–५–५३	५४	छितौनी	२६–४–५३
२२	सिवहारा	१३–५–५३	५५	खड्डा	२३–५–५३
२३	काशीपुर	२१–५–५३	५६	कैप्टिनगंज	१०–५–५३
२४	गोकुलनगर	१६–५–५३	५७	लक्ष्मीगंज	७–५–५३
२५	पीलीभीत	६–५–५३	५८	पडरौना	११–४–५३
२६	रजा	६–५–५३	५९	सिवराही	७–४–५३
२७	बुलन्द	१०–५–५३	६०	रामकोला (के०)	२१–४–५३
२८	रोजा	१४–४–५३	६१	रामकोला (पी०)	२२–४–५३
२९	नेवली	३०–४–५३	६२	कठकुइंया	२९–४–५३
३०	गोला	२–६–५३	६३	देवरिया (पी०)	१९–४–५३
३१	अयरा	३०–४–५३	६४	गौरी बाजार	२५–४–५३
३२	हरगांव	१७–५–५३	६५	बैतालपुर	२६–४–५३
३३	महोली	१६–४–५३	६६	परताबपुर	४–४–५३

नत्थी 'झ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १७५३ के तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पिछले पृष्ठ ३१७ पर)

क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट के इन्वेस्टीगेशन ब्रान्च के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या की तालिका

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
१	सुपरिन्टेंडेंट पुलिस	२
२	डिप्टी सु० पुलिस	१०
३	पुलिस इन्सपेक्टर	३१
४	पब्लिक प्रासीक्यूटर	११
५	पुलिस सबइन्सपेक्टर	१२
६	हेड कान्सटेबिल सी० पी०	८
७	कान्सटेबिल सी०पी०	५०
८	कान्सटेबिल ड्राइवर	११
९	कान्सटेबिल ए० पी०	१२
१०	हेड क्लर्क	२
११	एकाउन्टेंट	१
१२	असिस्टेंट सीनियर स्केल	६
१३	असिस्टेंट जूनियर स्केल	७
१४	असिस्टेंट एकाउन्टेंट जूनियर स्केल	१
१५	स्टेनोग्राफर	२
१६	मुनीम	३
१७	पर्सनल आर्डरली पियून	६२
१८	दफ्तरी	१
१९	आफिस आर्डरली पियून	३
२०	स्वीपर्स	१
२१	फर्रास	१

अमर प्रकाश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

माडल उद्योगशाला हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर के उन शरणार्थी छात्रों की सूची जिनको सन् १९५१–५२ में निःशुल्क सहायता दी गई—

क्रम-संख्या	छात्र का नाम	निःशुल्क सहायता का धन
१	२	३
	कक्षा १	
		रु०
१	तारा	१५
२	कमलेश कुमारी	१५
३	राज	१५
४	विमला देवी	१५
५	विमला कुमारी	१५
६	रमेश कुमारी	१५
७	कैलाश कुमारी	१५
८	अशोक कुमार	१५
९	सन्तोष कुमारी	१५
१०	उषन कुमारी	१५
११	मोहन लाल	१५
१२	कौशल्यादेवी	१५
१३	कृषना	१५
१४	अरजना बाई	१५
१५	रपुन लता	१५
१६	कमलेश कुमारी	१५
१७	जनक दुलारी	१५
१८	मोहिनी	१५
१९	माया	१५
२०	मोहन	१५
२१	हीरा	१५
२२	खेमचन्द	१५
२३	बाबू राम	१५
२४	जवाहरलाल	१५
२५	भजन कौर	१५
२६	चन्दर रानी	१५
२७	ऊषा	१५
२८	निर्मला	१५
२९	सुदेश कुमारी	१५
३०	उर्मिला कुमारी	१५
३१	इन्द्रा	१५
३२	कृषना देवी	१५
३३	शान्ता कौर	१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	छात्र का नाम	निःशुल्क सहायता का धन
१	२	३
		रु०
३४	मोहनलाल	१५
३५	शैमल	१५
३६	सुन्दर	१५
३७	रमेश रानी	१५
३८	गुल भूषन कुमार	१५
३९	शम्भू	१५
४०	ज्ञानी बाई	१५
४१	सुदर्शन कुमारी	१५
४२	लीला	१५
४३	प्रेम कुमार	१५
४४	गुरमुख	१५
४५	सुरेश कुमार	१५
४६	सुरेन्द्र मोहन	१५
४७	वीरकौर	१५
४८	बाल	१५
४९	जोगेन्दर कुमार	१५
५०	राजकुमारी	१५
५१	स्वदेश कुमारी	१५
५२	भागी बाई ..	११ रु० ४ आना (नौ मास के लिये)
५३	इंजना	११ रु० ४ आ० (नौ मास के लिये)
	योग ..	७८७ रु० ८ आ०

कक्षा २

		रु०
१	चंचल कुमारी	१८
२	शांती देवी	१८
३	सोबरन लाल उर्फ मौरहे	१८
४	दाली	१८
५	दया	१८
६	कृष्णा कुमारी	१८
७	विमला	१८
८	निर्मला कुमारी ..	१८
९	सरस्वती	१८
१०	कमला कुमारी	१८
११	राज कुमारी ..	१८
१२	मुन्नी देवी	१८
१३	जीत	१९
१४	खेम चन्द	१८
१५	शीला	१८

अमर विधान सभा

क्रम संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
१६	लक्षमन	..	१८
१७	मुरलीमनोहर	..	१८
१८	गुलशनबीर	..	१८
१९	कमलेश कुमारी	..	१८
२०	शकुन्तला	..	१८
२१	कैलाश	..	१८
२२	फूल राम	..	१८
२३	राम प्रसाद	..	१८
२४	घनश्याम दास	..	१८
२५	चमन लाल	..	१८
२६	सुन्द्र कौररे	..	१८
२७	लक्ष्मन बाई	..	१८
२८	हीरामल	..	१८
		कुल	५०४ रु०

कक्षा ३

१	रामकृष्ण		१८
२	रोशन लाल	..	१८
३	ज्ञान कुमार	..	१८
४	जगदीश चन्द्र	..	१८
५	उमा शेष	..	१८
६	लाल मनी	..	१८
७	भगवन्ती	..	१८
८	शांती देवी	..	१८
९	चम्पा देवी	..	१८
१०	गजेन्द्र पाल	..	१८
११	उर्मिला देवी	..	१८
१२	भेरू	..	१८
१३	संतोष कुमारी	..	१८
१४	परबीन कौर	..	१८
१५	मेरूमल	..	१८
१६	अर्जुन लाल	..	१८
१७	पुष्पा देवी	..	१८
१८	तुलसी दास	..	१८
१९	कृष्णा लाल	..	१८
२०	प्रताप सिंह	..	१८
२१	दौलत राम	..	१८
२२	राज रानी	..	१८

अध्यात्म प्रदेश मधुरा

क्रम-संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
२३	कृष्णा कुमारी	..	१८
२४	निर्मला कुमारी	..	१८
२५	दर्शन कुमारी	..	१८
२६	सुरेंद्र कौर	..	१८
२७	तुलसी दास	..	१८
२८	हीरा नन्द	..	१८
२९	विमला देवी	..	१८
३०	सरन सिंह	..	१८
३१	सुदेश	..	१८
३२	शांती देवी	..	१८
३३	लाल चन्दा	..	१८
३४	अशोक कुमार	..	१८
३५	उनवर दास	..	१८
३६	कमलेश	..	१८
३७	अमृत कौर	..	१८
३८	नानक कौर	..	१८
३९	हरी	..	१८
४०	नन्दलाल	..	१८
४१	उमा शशी	..	१८
४२	विशम्भर लाल	..	१८
४३	संतोष कुमारी	..	१८
४४	सुरेन्द्र कुमारी	..	१८
४५	संतोष कुमारी	..	१८
४६	बेन्टा कौर	..	१८
४७	दरियाना	..	१८
४८	सुनदेरना कुमारी	..	१८
४९	विमला देवी	..	१८
५०	सुबाश चन्द्र	..	१८
५१	निर्मला कुमारी	..	१८
५२			१८
		कुल	९३६ रु०

कक्षा ४

			रु०
१	दर्शन कुमारी	..	१८
२	संतोष कुमारी	..	१८
३	राधा रानी	..	१८
४	प्रेम कुमारी	..	१८
५	कृष्ण कान्ता	..	१८

विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
६	पुष्पा रानी	..	१८
७	नरेन्द्रा	..	१८
८	कृष्ण गुपाल	..	१८
९	सुशीला	..	१८
१०	सोन राज	..	१८
११	राज कुमारी	..	१८
१२	कौशल्या देवी	..	१८
१३	भगवन्त कौर	..	१८
१४	कमलेश कुमारी	..	१८
१५	शोभावन्ती	..	१८
१६	उर्मिला कुमारी	..	१८
१७	सरला कुमारी	..	१८
१८	महेन्द्रा कौर	..	१८
१९	भगवन्त कौर		१८
२०	सुमित्रा रानी	..	१८
२१	संतोष कुमारी	..	१८
२२	गुरदेवी	..	१८
२३	ओम कुमारी	..	१८
२४	शाहनी देवी	..	१८
२५	कृष्णा	..	१८
२६	गोविन्द राम	..	१८
२७	लक्षमन दास	..	१८
२८	गोविन्द राम	..	१८
२९	मोहन मूर्ति	..	१८
३०	गोपाल कृष्ण	..	१८
३१	गंगा देवी	..	(८ मास के लिये) १२
३२	चन्द्रा कांता	..	(८ मास के लिये) १२
३३	शोभा देवी	..	१८
३४	कृष्णा	..	१८
३५	सरजीत कुमार]	..	१८
३७	विमला कुमारी]	..	१८
		कुल	६३६ ०

कक्षा ५

१	गुरदीप कौर	..	३६
२	राजकुमारी	..	३६
३	हरीश चन्द्रा	..	३६
४	महेन्द्र कौर	..	३६
५	वृजलाल	..	३६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
६	गुरमुख लाल	..	३६
७	सतीश चन्द्र	..	३६
८	जगदीश सिंह	..	३६
९	नन्द लाल	..	३६
१०	धारूमल	..	३६
११	सुरेन्द्र नाथ	..	३६
१२	सत्य पाल	..	३६
१३	जय कृष्णा	..	३६
१४	खैराती लाल		३६
१५	टीकम चन्द्र	..	३६
१६	प्रीतम सिंह	..	३६
१७	गिरधारी लाल	..	३६
१८	शंकर सरन कोहली	..	३६
१९	मधुमती	..	३६
२०	विमला कुमारी	..	३६
२१	जगेन्द्र पाल	..	३६
२२	वेद प्रकाश	..	३६
२३	मदन लाल	..	३६
२४	तेजू मल	..	३६
२५	तोही कौर	..	३६
२६	रेवा चन्द	..	३६
२७	गोपी चन्द	..	३६
२८	अमर नाथ	..	३६
२९	राज कुमार	..	३६
३०	विमला देवी	..	३६
३१	देवी	..	३६
३२	शांती देवी	..	३६
३३	यशोदा	..	३६
३४	विमला देवी	..	३६
३५	सरस्वती	..	३६
३६	मेन्द्री कौर	..	३६
३७	चन्द्र मोहन	..	३६
		कुल	१३३२ रु०

कक्षा ६

१	राम प्यारी	..	३६
२	राज रानी	..	३६
३	लाल चंद	..	३६
४	विश्व मित्रा		३६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
५	रमेश	..	३६
६	हीरा नन्द	..	३६
७	महेन्द्र पाल	..	३६
८	राम चन्द्र	..	३६
९	बासू देव	..	३६
१०	रामचन्द्र २	..	३६
११	निरमल कुमारी	..	३६
१२	चन्द्र मोहनी	..	३६
१३	कान्ता देवी	..	३६
१४	प्रेम कुमारी	..	३६
१५	प्रेम कौर	..	३६
१६	शांती देवी	..	३६
१७	माया कुमारी	..	३६
१८	भगवती	..	३६
१९	शीला कुमारी	..	३६
२०	प्रेम चन्द्र	..	३६
२१	तीर्थ राम	..	३६
२२	केशव दास	..	३६
२३	हरजीत सिंह	..	३६
२४	श्री दयाल	..	३६
२५	खेम चन्द्र	..	३६
२६	कुन्दन लाल	..	३६
२७	सुख देव	..	३६
		कुल	९७२ रु०

कक्षा ७

१	प्रमोद कुमारी	..	५४
२	भजन कुमारी	..	५४
३	चन्द्रा कांता	..	५४
४	सुदर्शन कुमारी	..	५४
५	राज कुमारी	..	५४
६	विद्यावती	..	५४
७	सुन्दर दास	..	५४
८	जय चन्द	..	५४
९	मंगत राम	..	५४
१०	अमीर चन्द	..	५४
११	बासु देव	..	५४
१२	गुर सरन दास	..	५४
१३	सेन दास	..	५४

सत्यमेव जयते

क्रम संख्या	छात्र का नाम		निःशुल्क सहायता का धन
१	२		३
			रु०
१४	प्रेम सागर	..	५४
१५	करतार सिंह	..	५४
१६	बास देव	..	५४
१७	तलसी दास	..	५४
		कुल	९१८ रु०

कक्षा ८

१	सीता देवी	..	५४
२	जीत कौर	..	५४
३	चम्पा देवी	..	५४
४	सत्या देवी	..	५४
५	अमृत कौर	..	५४
६	अजीत कौर	..	५४
७	उर्मिला देवी	..	५४
८	शुषमा कुमारी	..	५४
९	कमलेश कुमारी	..	५४
१०	पर्मिला देवी	..	५४
११	राजकुमारी	..	५४
१२	कौशल्या	..	५४
१३	प्रेम चन्द्र	..	५४
१४	मोतिया	..	५४
१५	राज कुमारी	..	५४
१६	गुरदाम्रव	..	५४
१७	ठाकुरदास	..	५४
१८	गीता कुमारी	..	५४
१९	मुल्क राज	..	५४
२०	कृष्णा कुमारी	..	५४
		कुल	१,०८० रु०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये २४ दिसम्बर, १९५३ के अतारांकित प्रश्न ३ व ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर।)

(अ) मनोरंजन कर की दर

	१९४६–४७	१९५१–५२
दो आना से कम तक	०	०
*दो आना पर	६ पाई	एक आना
दो आने से अधिक और तीन आने तक ..	६ पाई	एक आना
तीन आने से अधिक और चार आने तक ..	एक आना	एक आना छः पाई
चार आने से अधिक और आठ आने तक ..	दो आने	दो आने छः पाई
आठ आने से अधिक और एक रुपया तक	चार आने	पांच आने
एक रुपया से अधिक और दो रुपये तक ..	आठ आने	दस आने
दो रुपये से अधिक और तीन रुपये तक ..	बारह आने	एक रुपया
तीन रुपये से अधिक और चार रुपये तक ..	एक रुपया	एक रु० आठ आने
चार रुपये से अधिक और पांच रुपये तक ..	एक रुपया आठ आने	दो रु० चार आने
पांच रुपये से अधिक और छः रुपये आठ आने तक	दो रुपये	तीन रुपये
छः रुपये आठ आने से अधिक और दस रुपये तक	तीन रुपये	चार रु० आठ आने
प्रथम दस रुपये के बाद प्रति पांच रुपये या उसके भाग पर, प्रथम दस रुपये पर लगे हुये कर के अलावा	दो रुपये	तीन रुपये

(ब) कर से आय

	१९४६–४७ रु०	१९५१–५२ रु०
मनोरंजन कर	२७,२२,१३७	८५,४६,७३२
बाजी लगाने का कर	४,४४,१३६	८,४९,२८७
योग ..	३१,६६,२७३	९३,९६,०१९

(स) सिनेमाओं की संख्या

१९४६–४७	१८४
१९५१–५२	३००

(द) मनोरंजन कर विभाग पर खर्च

	रुपया
१९४६–४७	२०,७२७
१९५१–५२	१,२०,९९६

*८ जून, १९४७ के पूर्व दो आने की दर पर छः पाई टैक्स लगता था। ८ जून, १९४७ से २८–१०–१९५२ तक दो आने का दर टैक्स से मुक्त था। २९ अक्तूबर, १९५२ से दो आने की दर पर एक आना टैक्स लगने लगा और अभी तक यही दर लागू है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६४ पर।)

१९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ का प्रथम पूरक) विधेयक

३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार दने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम १९५३ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५३–५४ का प्रथम पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५३–५४ के लिये २,७२,७८,८०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग २,७२,७८,८०० रु० (दो करोड़, बहत्तर लाख, अठहत्तर हजार, आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन–जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५४ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)—				
६	रजिस्टरी	१००	–	१००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	१,४२,०००	–	१,४२,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय	४००	..	४००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	३,००,०००	..	३,००,०००
१६	जेल	१००	..	१००
१७	पुलिस	१००	..	१००
१९	शिक्षा	३००	..	३००
२०	चिकित्सा (मेडिकल)	२००	..	२००
२१	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	२००	..	२००
२२	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रिकल्चरल डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)	४००	..	४००
२३	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐण्ड कालोनाइजेशन)	३००	..	३००
२५	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	४००	..	४००
२६	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	१००	..	१००
२७	विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय	२००	..	२००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण	१००	..	१००
२९	उद्योग	४००	..	४००
३०	श्रम (लेबर) और संख्या	३००	..	३००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	४९,९००	..	४९,९००
३४	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	१००	..	१००
३५	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स)	१००	..	१००
३६	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमिन रिलीफ)	४,००,०००	..	४,००,०००
४०	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज)	२००	..	२००
४२	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा आर्डिनरी चार्जेज)	२००	..	२००
४३	योजना और एकीकरण	२४,९०,९००	..	२४,९०,९००
	योग 'क'	३३,८७,०००	—	३३,८७,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज और पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—			
४४	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	१००	–	१००
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	८३,३२,०००	–	८३,३२,०००
४७	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	३०,००,४००	–	३०,००,४००
४८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत	२००	–	२००
४९	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	८,०६,०००	–	८,०६,०००
	योग 'ख'	१,२१,३८,७००	–	१,२१,३८,७००
	ग—ऋणों और अग्र ऋणों (लोन्स ऐन्ड ऐडवांसेज) का भुगतावा डिस्बर्समेंट—			
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज)	१,१७,५३,१००	–	१,१७,५३,१००
	योग 'ग'	१,१७,५३,१००	–	१,१७,५३,१००
	कुल योग	२,७२,७८,८००	–	२,७२,७८,८००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के साथ पठित अनुच्छेद २०५ के अनुसार विधान सभा द्वारा पूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष १९५३–५४ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत पूरक अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित पूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
वित्त मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७० पर।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९५३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० को और आगे प्रचलित रखने के निमित्त उसमें संशोधन करने का

उत्तर प्रदेश ऐक्ट १४, १९५०।

विधेयक

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० को उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० द्वारा जनवरी, १९५४ ई० तक जारी रखा गया था;

उत्तर प्रदेश ऐक्ट, ४, १९५३।

और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५५ ई० तक प्रचलित रखने की व्यवस्था की जाय।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट १४, १९५० का प्रचलित रहना।

२—समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५४" के स्थान पर संख्या "१९५५" रखी जाय।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की अवधि ३१ जनवरी, १९५४ ई० को समाप्त हो जायगी। इस समय भी यह आवश्यक है कि आयात की जाने वाली आवश्यक औषधियों पर नियंत्रण रखा जाय। अतएव सरकार का यह विचार है कि उक्त ऐक्ट के उपबन्ध उसकी समाप्ति के दिनांक से एक वर्ष तक के लिये और जारी रखे जायं।

२—यह विधेयक उक्त उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
अन्न तथा रसद मन्त्री।

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७० पर ।)

यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।]

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करने का

विधेयक

यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० स्टेटट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में :

(१) उपधारा (२) में शब्द "subject to the provisions section 3" निकाल दिये जांय और सदा से निकाले हुये समझे जांय, और

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे सदा से रखा हुआ समझा जाय—

"(3) It shall come into force at once."

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की धारा ३ का हटाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ निकाल दी जाय और उसे सदा से निकाली हुई समझी जाय।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९३६ की अनुसूची का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की अनुसूची (schedule) के वर्तमान पैरा १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और उसे सदा से रखा हुआ समझा जाय:—

"1. In section 6 of the said Act for the words 'day so named' the words 'commencement of the U. P. State Tube-Wells Act, 1936' shall be deemed to be substituted and for the words 'such application or use of the said water' the words 'the application or use of underground water for the purpose of a State Tube-Well' shall be deemed to be substituted."

शंकाओं का निवारण और कार्यवाहियों का वैधीकरण।

५—शंकाओं के निवारण के लिये एतद् द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम की, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधत किये जाने के पूर्व, वह वर्तमान था, धारा १ की उपधारा (२) और (३) में तथा धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी १६ जून, १९४० से इस अधिनियम के प्रारम्भ

होने के दिनांक तक की अवधि में मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी प्राधिकारी द्वारा दी गई सभी आज्ञाएं, किये गये कार्य या की गयी कार्यवाहियां, जारी किये गये आदेश या प्रयोग में लाये गये क्षेत्राधिकार न्याय की दृष्टि से वैसे ही ठीक और वैध समझे जायंगे, मानों कि इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अनुसार विधिवत् ऐसी आज्ञायें दी गयी हों, कार्य किये गये हों, कार्यवाहियां की गयी हों, आदेश जारी किए गये हों और क्षेत्राधिकार प्रयोग में लाया गया हो ।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० स्टेट ट्यूब-वेल्स ऐक्ट, १९३६ में राज्य नलकूप सिंचाई निर्माण कार्यों (State Tube well Irrigation Works) के निर्माण, सुधार और रखरखाव की व्यवस्था की गयी है । धारा ३ तथा धारा १ की उपधारा (२) और (३) के उपबन्ध कुछ सीमा तक समव्यापी (overlapping) हैं और इससे विधिक तथा प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अतएव इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया गया है ।

इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

कमलापति त्रिपाठी,
सिंचाई मन्त्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १०९ एल० ए०—१९५३—८५० ।